खण्ड-235, अंक-7
गुरूवार, 12 आश्विन, शक संवत् 1884
(4 अक्टूबर, 1962 ई0)

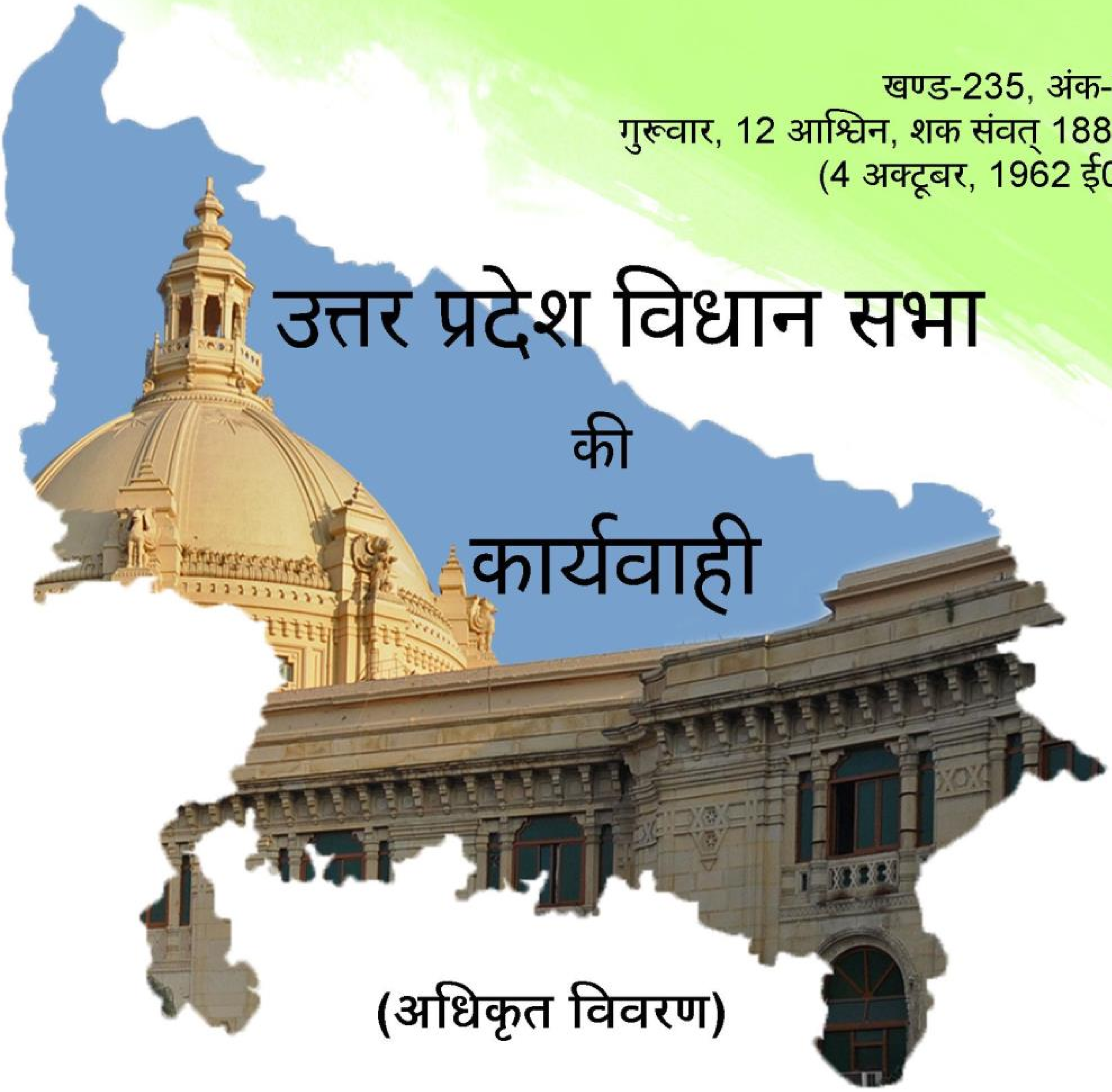

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६०७–६११
प्रश्नोत्तर	६३१–६६५
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	६६५
विधान भवन के मुख्यद्वार के बाहर पोर्टिको पर पुलिस द्वारा कथित अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्रप्रताप द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	६६५–६६९
जोतकर विधेयक का समर्थन करने के लिए एक परिपत्र भेजने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	६६९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६६९–६७३
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी)	६७४–६७६
श्री सत्यनारायण पांडेय द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत (जारी)	६७७
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी)	६७७
श्री सत्यनारायण पांडेय द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत	६७७–६८२
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी)	६८२–६८६
श्री सत्यनारायण पांडेय के साथ पुलिस अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्धमें नियम ११३ के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अस्वीकृत)	६८६–७०८
नत्थियां	७०९–७४०

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८०

अक्षयबरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, जयसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री

रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशन लाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाँडेय'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाँडेय, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतल प्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाँडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ अक्तूबर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

केसा के औद्योगिक कर्मचारियों का भत्ता

*१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता टैक्सटाइल, जूट, ऊन, इत्यादि के उद्योगों में दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के बराबर था, किन्तु आज कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में टैक्सटाइल, जूट, ऊन इत्यादि के उद्योगों के श्रमिकों की अपेक्षा बारह रुपये प्रति मास महंगाई भत्ता कम दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—केसा के औद्योगिक कर्मचारियों को नवम्बर, १९४८ तक कानपुर के सूती मिल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर महंगाई भत्ता मिलता था। पहली दिसम्बर, १९४८ से सूती मिलों तथा केसा के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरें भिन्न भिन्न कर दी गईं। महंगाई भत्ते की दर रहन-सहन के मूल्यांकन पर आधारित है और दोनों प्रकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों की दरों का अन्तर हर महीने घटता बढ़ता रहता है। यह अन्तर अगस्त, १९६२ में ९.५० रुपये था।

श्री संतसिंह यूसुफ—माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह मैं जानकारी चाहता हूं कि केसा में हर साल प्राफिट बढ़ रहा है और उसके मुकाबले में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और ग्रेड रिवीजन और जो कर्मचारी हैं उनके मुकाबले में कम है, ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों में असंतोष का वातावरण होता है, क्या इसके बारे में सरकार कुछ विचार करेगी कि एक ही शहर में और मजदूरों के मुकाबले में उनका महंगाई भत्ता कम है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—महंगाई भत्ता देने के लिये एक कमेटी बिठाई थी। उन्होंने बिजली के कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों के लिये कुछ दर निश्चित किये हैं जिसकी मालूमात मेरे से ज्यादा यूसुफ साहब को है। उसके अनुसार हम देते हैं। एक चीज जरूर है कि कानपुर में अलग-अलग रेट हैं। लेकिन केसा, जो एक बड़ी भारी अंडरटेकिंग ह, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पार्ट है। केसा में जरूर फायदा है लेकिन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्यादा फायदा नहीं है इसलिये ज्यादा दर नहीं दे सकते।

श्री संतसिंह यूसुफ—मेरी प्रार्थना यह है कि डी० ए० का परपज क्या होता है, यह देखिये जो महंगाई बढ़ती है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—माननीय यूसुफ जी, आर्गूमेंट से ज्यादा प्रभावकारी आपका प्रश्न होगा; प्रश्न कीजिये।

श्री संतसिंह यूसुफ—इसमें तो मेरी आप से प्रार्थना है कि जितने ग्रेड हैं उन सब से कम हैं और इससे न्युट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार क्या पुनः इस मामले पर कमेटी वगैरह बिठा कर विचार करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—विचार करने का सवाल पैदा नहीं होता। जो महंगाई भत्ता हम दे रहे हैं बिजली में, कानपुर में कुछ ऐसी मिलें हैं, कपड़े के सिवा, जो वही रेट दे रही हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री जी बतावेंगे कि जो सर्वमान्य सिद्धांत है कि महंगाई के भत्ते को तय करने के लिए यह देखा जाता है कि उस शहर की क्या स्थिति है और सरकार ने इसीलिए विभिन्न शहरों का कैटेगराइजेशन उसी आधार पर कर दिया है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उस आधार को न मान कर यह महंगाई भत्ते में जो ९ रुपये का फर्क है यह क्यों है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा, एक कमेटी महंगाई भत्ता के लिए बैठायी गयी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दे रहे हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९४८ से, जब से इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से इस कम्पनी का लाभ १५ गुना बढ़ गया, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि नौकरों को जो अमालूमेंट्स मिलते हैं वह २६ रुपये पहले से कम हो गये हैं, पहले १०८ रुपये थे और १९६१ में ८२ रुपये हो गये?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा बताया, केसा, कानपुर एक शाख है एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, उसमें तो लाभ है।

लेकिन यह तो एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक अंग है। उसमें लाभ नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि और प्राइवेट सेक्टर्स में जो बिजली कम्पनियां हैं जैसे साहू केमिकल्स में या अल्यूमिनियम फैक्ट्री में या और दूसरी जगहों पर जो उनका वेतनक्रम और महंगाई भत्ता है उसमें और केसा के कर्मचारियों के वेतनक्रम और महंगाई भत्ते में जो अन्तर है वह क्यों है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—साहू केमिकल्स का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मार्टिन बर्न में जो महंगाई भत्ता है वही हमारे यहां है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इस बात को देखते हुये कि सन् १९४८ में, जब इस कम्पनी को सरकार ने लिया तो उस वक्त मुनाफा बहुत कम था और वहां के मजदूरों ने इतनी मेहनत की कि इस वक्त उसका मुनाफा ४५ लाख रुपये सालाना से ऊपर हो गया है, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि अगर महंगाई भत्ते का रेट न बढ़ाया जाय तो कुछ उनको बोनस के रूप में या और किसी रूप में दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—जवाब से यह प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो सारा है उसके अनुपात में देते हैं।

श्री ऊदल—प्रश्न यह उठता है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर जो और कम्पनियां हैं उनमें जो करोड़ों रुपयों का लास हो रहा है उसका क्या कारण है ? पीलीभीत में गंगाखादर में कुछ कम्पनियां तो ऐसी हैं कि जिनमें तीन चार करोड़ रुपया सरकार का लगा है, लेकिन वह एकदम घाटे में हैं और कई कम्पनियां ऐसी और हैं जिनमें करोड़ों रुपये का घाटा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर की बिजली फैक्ट्री में ४५ लाख रुपये का सालाना फायदा है और बकिया कम्पनियों में करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है, उसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इन सबका एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो एक ही है। लेकिन घाटा क्यों हुआ इसकी जानकारी अगर आप चाहें तो मैं दे दूंगा क्योंकि देहात में बिजली देनी पड़ती है और ट्यूबवेल्स को देनी पड़ती है जिसमें काफी नुकसान गवर्नमेंट को होता है और इस समय में बजट के मौके पर कह चुका हूं कि हमको घाटा नहीं है, हम करीब करीब पूरे पर आ गए हैं।

*२–४—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

देवरिया अस्पताल की डाक्टरनी के खिलाफ शिकायत

*५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ३ सितम्बर, १९६२ को देवरिया जिला के सदर अस्पताल के महिला कक्ष में श्री बैजनाथ सिंह वकील का नवजात शिशु और कैलाशी नामी औरत और उसके प्रसूत शिशु की मृत्यु डाक्टरनी की उपेक्षा, उपयुक्त उपचार न करने, दवा न देने तथा उचित देखभाल न कर सकने के कारण हो गयी है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रेषित सिविल सर्जन देवरिया, विभागीय मन्त्री लखनऊ को श्री बैजनाथ सिंह के शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? और इस मामले की छानबीन हेतु कोई जांच कमीशन बैठायेंगे तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है उससे सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—श्री बैजनाथ सिंह के नवजात शिशु तथा कैलसिया (कैलाशी नहीं) और उसके नवजात शिशु की मृत्यु देवरिया जिले के सदर अस्पताल के महिला कक्ष में ४ सितम्बर, १९६२ को हुई। प्रारम्भिक जांच से विदित होता है कि इनकी मृत्यु डाक्टरनी की उपेक्षा, उपयुक्त उपचार न करना, दवा न देना तथा उचित देखभाल न करने के कारण नहीं हुई है। इस मामले में अभी अग्रिम जांच जारी है और सरकार इसके लिये जांच कमीशन बैठाने की आवश्यकता नहीं समझती है।

श्री बैजनाथ सिंह के शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०९–७१० पर)

श्री चन्द्रबली सिंह—क्या हालत खराब होने पर सिविल सर्जन को सूचना दी गई और क्या क्या दवा दी गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह दोनों सूचनायें मेरे पास नहीं हैं। इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि इतने डिटेल में किसी सवाल का जवाब आ नहीं सकता।

श्री चन्द्रबली सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कैलाशी तो आप कहते नहीं हैं पता नहीं क्यों कैलसिया कह कर उसको अपमानित करना पसन्द करते हैं—वह कैलाशी नाम की औरत, उसका बच्चा तथा बैजनाथ सिंह का बच्चा ये तीन तीन व्यक्ति मर जांय तब भी आप न्यायिक जांच बैठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, तो कितनी संख्या में मृत्यु हो कि आप जांच बैठायेंगे ताकि हम उसके लिये तैयार रहें ?

मुख्यमंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—डाक्टरों का कार्य काफी गम्भीर कार्य होता है और उस जिम्मेदारी को डाक्टर जहां तक सम्भव होता है इस तरह से निभाते हैं कि उसका मरीज जिसके पीछे उत्तरदायित्व निभाना है वह ठीक हो जाय। ऐसे ऐसे केसेज कभी कभी डाक्टरों के सामने आते हैं कि जिनमें डाक्टर अपनी मेहनत के बावजूद भी और अपनी तत्परता के बावजूद भी सफल नहीं होते हैं। इस केस में, जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने जानकारी प्राप्त की है, यह ऐसा केस है कि जो प्रिमेच्योर डिलिवरी का केस था और जिसमें वह बच्ची, जिसका जिक्र किया गया है, वह मर गई। दूसरा एक ऐसा केस था जिसके बच्चा हुआ था और जो २०, २५ घंटे पहले ही वहां गई थी। उसका बच्चा आधा ही निकल पाया था और सिर अन्दर रह गया था। वह भी अस्पताल में दाखिल हुआ और उसको उसमें सैप्टोसीनिया हो गया तो उस कारण से डाक्टर अपनी तत्परता के बावजूद भी उस मरीज को स्वस्थ बनाने में सफल नहीं हुये। तो कभी कभी इस प्रकार के मरीज जब देहात से आ जाते हैं, जिनको देर हो जाती है इलाज के सिलसिले में, तो अस्पताल के डाक्टर उनके साथ बहुत काफी मदद नहीं कर पाते हैं और न उनके जीवन की रक्षा हो पाती है। इस केस में जितनी जानकारी है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डाक्टरों का इतना दोष नहीं था, यद्यपि अभी जांच और भी जारी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जाँच कराई गई है और जिसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर है वह किस अधिकारी के द्वारा कराई गई है और जो अग्रिम जाँच कराई जायगी वह किस अधिकारी के द्वारा कराई जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिविल सर्जन जिले में हमारा एक अधिकारी होता है जो कि इस प्रकार की जाँच करता है और वही पूरी तौर पर जाँच करके सारे फैक्ट्स हमारे सामने प्रस्तुत करेगा।

श्री कल्पनाथसिंह—इस बात को देखते हुये कि यह मामला बड़ा गम्भीर है और सिविल सर्जन स्थानीय अधिकारियों के प्रभाव में रहा करता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ से इस मामले की जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जाँच का नतीजा जब हमारे सामने आयेगा यदि उसमें हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें कोई भेद किया जा रहा है तब अगर हम मुनासिब समझेंगे तो डाइरेक्टर या एडीशनल डाइरेक्टर से वह जाँच करा लेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

विद्युत विहीन स्थानीय निकाय

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—(जिला आजमगढ़), श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कौन-कौन नगरपालिकायें तथा टाउन एरिया हैं जहाँ पर विद्युत् शक्ति उपलब्ध नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—सूचना नत्थी किये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७११-७१३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश में ७ नगरपालिकायें ऐसी हैं कि जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो इन नगरपालिकाओं में कब तक बिजली लग जाने की सम्भावना है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कुछ नगर-पालिका ऐसी हैं जहाँ पर हम जाँच कर रहे हैं। जाँच करने पर यदि इकानामिक और जो हमारा पैमाना है उसमें वह ठीक मालूम हुई तो बिजली देने का प्रयास करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगभग ३०, ४० ऐसी टाउन एरिया हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। तो क्या इन टाउन एरियाओं को बिजली देने के लिये सरकार ने कोई लिस्ट बनाई है जिसके आधार पर बिजली दी जायगी ? या और किसी प्रकार से बिजली देने का आयोजन होता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—प्रदेश भर में जाँच कर रहे हैं उनके लिये, कहीं कहीं बिजली देंगे। उसके लिये हमारा एक मापदंड है क्योंकि बिजली लगाने में खर्चा बहुत होता है। उस मापदंड में जो पहले आयेगा उसको हम पहले देंगे और दूसरों को बाद में देंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यदि टाउन एरियाज सरकार को आधा रुपया दे दें तो सरकार उन टाउन एरियाज़ को जल्दी बिजली देने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जो रुपया टाउन एरियाज को देना है और जो हमारा मापदंड है उस हिसाब से अगर बातें पूरी हो जायं तो वहाँ बिजली लगा दी जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, तमाम टाउन एरियाज में बिजली लगायी जाय यह आम भावना वहाँ के लोगों की है, लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम है कि वे उसका खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते, तो क्या सरकार उनकी भावना को देखते हुए और उनकी जरूरत को महसूस करते हुए जो नियम इस संबंध में हैं उनमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि उन लोगों को बिजली जल्दी मिल जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा, हमारा लाइन लगाने में वहाँ तक कितना खर्च होगा और वहाँ के निवासी कितनी बिजली लेंगे, क्योंकि टाउन एरिया तो केवल बिजली जलाने के लिये लेता है, तो उन दोनों को मिला कर अगर हमारा खर्चा पूरा हो जायगा, नो प्राफिट नो लास की बेसिस पर तो हम वहाँ बिजली लगा देते हैं।

श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्सर देखा गया है कि जिन टाउन एरियाज ने बिजली की दरख्वास्त दी है उनको साल साल भर हो गया है और अभी तक उस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ है, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह तो एक जनरल सवाल हो गया। इतने टाउन एरियाज हैं कि मैं हर एक की बात नहीं बतला सकता, लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं होता।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी उन टाउन एरियाज के नाम बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनको बिजली देने के लिये वह इन्क्वायरी कर रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। यह एक बड़ी लम्बी लिस्ट है, बहुत-सा समय लग जायगा।

श्री अध्यक्ष—नहीं, रहने दीजिये।

खीरी जिले में गन्ना किसानों को नलकूप के लिये अंशदान

*२—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ में खीरी जिले की फरधान, गोला, भीरा (खीरी), पत्निया, देवकली, आदि विभिन्न गन्ना विकास समितियों के अन्तर्गत गन्ना उत्पादकों को सिंचाई सुविधा के लिये (subsidy) सहायता का आश्वासन देकर कितने नलकूपों का निर्माण कराया गया और अब तक सबसीडी (subsidy) गन्ना उत्पादकों को दी गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊ दयाल खन्ना)—सन् १९६१-६२ में खीरी जिले की फरधान, गोला, मीरा, पलिया, आदि गन्ना समितियों के क्षेत्र में गन्ना विकास परिषदों द्वारा ७१ नलकूपों के बनाने के लिये गन्ना किसानों को अंशदान (sudsidy) देने का आश्वासन दिया गया था। उनमें से केवल ६३ नलकूप ३०-६-६२ तक बन पाये। अब तक ३८ नलकूपों पर अंशदान दिया जा चुका है। शेष २५ नलकूपों के अंशदान का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उनके कागजात पूर्ण नहीं हैं।

श्री छेदालाल चौधरी—क्या माननीय गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो २५ नलकूपों के अंशदान का भुगतान नहीं हुआ है और बतलाया गया है कि कागजात पूर्ण नहीं हैं इसकी जिम्मेदारी जो विभिन्न परिषदों में सी० डी० आई० हैं उनकी मनमानी है और उसके कारण ही यह कागजात पूर्ण नहीं हो सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों ने कुएं बनवाये हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह सही इत्तलात दफ्तर को दें। मिसाल के लिये मैं बतलाऊं कि ६ नलकूप ऐसे हैं कि जिनके जो असली मालिकान हैं वह नहीं थे और उन्होंने फर्जी नाम लेकर भेज दिये। जाँच से पता लगा कि वह लोग बाहर हैं। तो जब तक यह सब चीजें मुकम्मिल न हों तब तक अंशदान नहीं दिया जा सकता।

श्री छेदालाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में गन्ना अधिकारी, खीरी और आप की सेवा में कोई शिकायत आयी है कि किसानों को जो सब्सीडी दी गयी वह अग्रिम ऋण के रूप में काट ली गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, मेरे यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में पंचायत मंत्रियों की अपीलें

*३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने पंचायत मंत्रियों की नौकरी से हटाये जाने के विरुद्ध अपीलें जिला अधिकारियों तथा प्रान्तीय सरकार के पास विचारार्थ पड़ी हुई हैं ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—फर्रुखाबाद जिले के केवल दो पंचायत मंत्रियों की अपीलें जिलाधिकारियों के पास विचारार्थ पड़ी हुई हैं।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अपीलें अधिकारियों के पास पड़े हुए कितने दिन हो चुके हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, यह अपील पहले जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष रिवीजन के रूप में २५–७–६० को गई थी। उसको जब रिजेक्ट कर दिया गया तो सितम्बर में जिलाधीश के पास फिर से अपील की गई।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन पंचायत मंत्रियों को नौकरी से किस लिये अलग किया गया और उसके क्या कारण थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—यहाँ पर इस समय मेरे पास तो विस्तृत रूप से इसकी सूचना नहीं है, लेकिन उनके ऊपर आरोप थे और उन आरोपों की जाँच जिला अधिकारी द्वारा की गई थी। उसके बाद उनको नौकरी से पृथक् किये जाने की सूचना दी गई थी।

नियोजन विभाग के अस्थायी क्लर्क

*४—**श्री बृजेश्वरसहाय** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग में ऐसे कितने क्लर्क कार्य कर रहे हैं जिनको नौकरी करते ३ साल से १० साल हो गये हैं और अब तक उनकी नौकरी अस्थायी है ? वह अब तक क्यों स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—प्लानिंग विभाग में, अलीगढ़, सीतापुर और चमोली जिलों में कार्य करने वाले क्लर्कों को छोड़ कर ३ साल से १० साल के अस्थाई क्लर्कों की संख्या २,०६० है। इन कर्मचारियों का स्थायीकरण ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त निश्चित न होने के कारण नहीं हो सका।

चमोली जिले के रचनात्मक कार्यों के लिये अनुदान बढ़ाने पर विचार

*५—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी** (जिला चमोली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमान्त जिले चमोली में जिला अन्तरिम परिषद् नहीं है ? गढ़वाल से चमोली पृथक जिला बनने के बाद जिला अन्तरिम परिषद् के नाम पर चमोली को हस्तान्तरित जिला अन्तरिम परिषद्, चमोली में स्थित पैदल सड़कों, पुल-पुलियाओं तथा आधारिक और जूनियर हाई स्कूलों की दुर्दशा का क्या सरकार को कुछ ज्ञान है ? सीमान्त जिला बनने के बाद इनकी मरम्मत व व्यवस्था तथा रक्षा के लिये धन का अभाव क्यों हो गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। जिला चमोली में अंतरिम जिला परिषद् है। उसका सभी कार्य जिलाधीश देखते हैं। अंतरिम जिला परिषद्, गढ़वाल से चमोली के पृथक होते समय जो पैदल सड़कें, पुल, पुलियाएं तथा आधारिक व जूनियर हाई स्कूल अंतरिम जिला परिषद्, चमोली को हस्तांतरित हुए उनकी हालत बड़ी खराब थी। चमोली जिले में अन्तरिम जिला परिषद् सम्बन्धी करों से आय बहुत कम है जिसके कारण उनकी मरम्मत और सुव्यवस्था का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाता है। सीमांत जिला बनने के बाद अंतरिम जिला परिषद्, चमोली को यह कार्य सुव्यवस्थित रूप से करने के लिये और अधिक अनुदान की आवश्यकता है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

*६—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार के पूर्व उत्तरों से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड और चमोली में परिषद् नहीं बनेगी तो ऐसी हालत में सरकार चमोली जिले को अन्तरिम परिषद् से संबंधित समस्त सड़कों, पुल, पुलियों और विद्यालयों को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती और इनकी सुव्यवस्था का प्रबन्ध क्यों स्वयं नहीं करती ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह सही है कि अभी उत्तराखंड और चमोली जिलों में जिला परिषद् नहीं बनेगी और अंतरिम जिला परिषद् के सभी कार्यों का संचालन जिलाधीश द्वारा ही होगा। परन्तु अंतरिम जिला परिषद् की समस्त सड़कों, पुलों और विद्यालयों का परिषदीय अस्तित्व मिटा कर उन सबको शासन का अपने हाथ में लेना उचित नहीं है।

*७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—चमोली के सीमान्त जिला बनने और अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के बाद परिषदीय अध्यापकों को यथासमय वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज भी चार माह से परिषदीय अध्यापकों का वेतन क्यों रुका पड़ा है? इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि भविष्य में ठीक समय पर इन अध्यापकों का वेतन चुकता होता रहे इसलिये क्या सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सुव्यवस्था कर रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—चमोली के सीमान्त जिला बनने पर अंतरिम जिला परिषद्, गढ़वाल से पृथक होते समय चमोली को जो भाग मिला उसमें आय कम और खर्च अधिक था। इसके कारण अंतरिम जिला परिषद्, चमोली के अध्यापकों को वेतन समय से नहीं दिया जा सका। अब अंतरिम जिला परिषद्, चमोली को अनुदान बढ़ा दिया गया है जिससे अध्यापकों का वेतन समय से चुकता होता रहे।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली अन्तरिम परिषद् के अध्यापकों को महंगाई भत्ता शायद और अनुपात से आधा मिलता है और बार्डर एलाउन्स नहीं मिलता है? क्या सरकार उन्हें बार्डर एलाउन्स देने पर विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—यह तो नया सवाल हो गया। क्या मंत्री जी आप इसका जवाब देंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां। इस पर विचार किया गया, परन्तु बार्डर एलाउन्स देने का इरादा नहीं है।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया था उसका उत्तर बड़ा कन्फ्यूज्ड है। एक तरफ कहा जाता है कि वहां जिला परिषद् नहीं है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि है भी। यह भी कहा जाता है कि जो सड़कें जिला परिषद् की हैं उसको हम नहीं ले सकते। मैं यह पूछना चाहता हूं कि चमोली जिला बनने से क्या वहां की हालत बदतर हुई है या सुधार हुआ है और क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि वहां अच्छी सड़कें आदि बनें? अध्यापकों को समय से वेतन और भत्ता मिले?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—दो चीजें हैं—एक जिला परिषद् और एक अन्तरिम जिला परिषद्। मैंने कहा कि अंतरिम जिला परिषद् काम कर रही है और जिला परिषद् नहीं बनेगी, वहां का चेयरमैन जिलाधीश है और बार्डर एरिया के डेवलपमेंट के लिये केन्द्रीय सरकार कुछ रुपये देती है जिससे वहां पर बड़े भारी काम हो रहे हैं। टीचर्स के लिये उन्होंने कहा है कि यह इकोनामिक डेवलपमेंट में काम नहीं देते हैं इसलिये इनको बार्डर एलाउन्स देने में हम असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष—यह और बता दीजिये कि उन्नति हुई है या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस क्षेत्र में तो बराबर उन्नति होती जा रही है क्योंकि जितना खर्चा और जगह होता है उसके अनुपात में वहां काफी खर्चा हो रहा है, सड़कें, पुल आदि बन रहे हैं, अस्पताल और स्कूल आदि पर भी काफी खर्चा हो रहा है और जो निर्माण के काम हो रहे हैं उनसे उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जिस प्रकार मैदानी इलाकों में अध्यापकों को ४-५ महीने तक वेतन न देने की जिला परिषदों को छूट है, क्या उसी प्रकार की छूट बार्डर के इलाकों में भी है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है। वे कह चुके हैं कि अनुदान बढ़ा दिया है।

श्री गेंदासिंह—मैं जानना चाहता था कि जो नियम मैदानी इलाकों के लिये ४–५ महीने वेतन न देने का है वह वहां है कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

मुजफ्फरनगर जिले में कृष्णी नदी के घाट ठेकेदारों की शिकायत

*८—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में कृष्णी नदी पर ग्राम काबड़ोत कुवाना, और मुख्य रूप से राजपुर छाजपुर घाटों के ठेकेदार अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा निर्धारित की गई दरों से कई गुना, यानी एक आने की जगह २ रु० तक वसूल करते हैं और यात्रियों को अपमानित करते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस कप्तान साहब तथा अध्यक्ष, अन्तरिम परिषद् को जुलाई, १९६२ को और इससे भी पहले कोई दरख्वास्त दी गई थी और जनता द्वारा कई बार इश्तहार भी बांटे गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—(क) काबडौत घाट—जिला परिषद् के अधिकार में नहीं है। बल्कि यह घाट ग्राम समाज काबडौत के ही प्रबन्ध में है। इस घाट के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र जिला परिषद् अथवा पुलिस कप्तान को प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) किवाना घाट,

(ग) राजपुर छाजपुर घाट, यह दोनों घाट अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार में हैं।

मार्च, १९६१ में किवाना घाट के ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी कि ठेकेदार अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा निर्धारित दर से अधिक कर मांगता है। राजपुर छाजपुर घाट के ठेकेदार के विरुद्ध एक लिखित शिकायत जुलाई, १९६२ में प्राप्त हुई थी कि ठेकेदार जिला परिषद् द्वारा निर्धारित कर से अधिक वसूल करता है और मांगा हुआ टैक्स न देने पर गाली गलौज व मारपीट करता है। जुलाई, १९६२ से पूर्व राजपुर छाजपुर घाट के ठेकेदार के विरुद्ध अन्तरिम जिला परिषद् में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। राजपुर छाजपुर पुल के ठेकेदार के विरुद्ध एक इश्तहार भी अगस्त, १९६२ में प्राप्त हुआ था।

पुलिस कप्तान के पास भी एक प्रार्थना-पत्र राजपुर छाजपुर के ठेकेदार के विरुद्ध इस आरोप से प्राप्त हुआ था कि वह निर्धारित दर से अधिक कर वसूल करता है।

श्री विजयपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—पहला घाट तो गांव समाज का है। ५० रुपया जुर्माना कुवाना के ठेकेदार पर और १०० रुपये राजपुर के ठेकेदार पर किये गये। उन्हें यह भी चेतावनी दी गयी कि अगर फिर शिकायतें आईं तो जिला परिषद् ठेके रद्द करने को मजबूर होगी।

श्री ऊदल—उनके ठेके क्यों नहीं बदल दिये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—ठेके वार्षिक होते हैं। आगे अगर कोई ज्यादा बोली लगायेगा तो उसे दे दिया जायगा।

श्री विजयपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि १ आने की जगह वे अब भी २ रुपये वसूल कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—कांदला के एस० ओ० से जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि २ रुपये चार्ज नहीं कर रहे हैं और जो चार्ज करते हैं उसकी रसीद देते हैं।

श्री जगदम्बाप्रसाद—ऐसे ठेकेदारों की शिकायतें करीब-करीब सभी जगह पाई जाती हैं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप शिकायतें बतावें तो सरकार सोचे।

*९—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

डी० एस० पी० कम्पलेन्ट्स के साथ हिन्दी स्टेनोग्राफर

*१०—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६ में कितने हिन्दी स्टेनोग्राफर को Dy. S. P., कम्पलेन्ट्स के साथ नियुक्तियां हुई थीं ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—सन् १९५६ में डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स के साथ ४८ हिन्दी स्टेनोग्राफरों की नियुक्तियां हुई थीं।

*११—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब Dy. S. P., कम्पलेंट्स के पदों को तोड़ दिया गया तो इन स्टेनोग्राफर्स का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री नवलकिशोर—४८ डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स में से तीन डी० एस० पीज० को १९५८ में कार्य कम होने के कारण हटा कर सी०आई० डी० में नियुक्त कर दिया गया था और इनके साथ ३ स्टेनोग्राफर भी सी० आई० डी० में चले गये थे। सात स्टेनोग्राफर रेंज हेडक्वार्टर्स पर रखे गये, ७ को डी०एस० पीज० के साथ कर दिया गया। एक ने फरवरी, १९६२ में इस्तीफा दे दिया और उसके स्थान पर एक असिस्टेंट क्लर्क कार्य करने लगा जो बाद में अपने पद पर वापस चला गया। शेष ३७ स्टेनोग्राफरों को उनकी सम्मति से जिला पुलिस कार्यालयों में कापिस्ट तथा क्लर्क के पदों पर रख लिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय सन् ५६ में यह स्टेनोग्राफर रखे गये थे उस समय की तनख्वाह उन्हें अब भी मिलती है?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, जब डी०वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स के पद समाप्त किये गये तो या तो उन्हें रिट्रैन्च किया जाता या यह आल्टरनेटिव उन्हें दिया गया कि कम वेतन पर दूसरी जगहों पर जा सकें। उनकी स्वीकृति के बाद ही वे दूसरे पदों पर भेजे गये।

आदर्श बुनकर सहकारी समिति, मऊनाथ भंजन को पावर लूम का एलाटमेंट

*१२—**श्री जेड०ए०अहमद** (जिला आजमगढ़), **श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आदर्श बुनकर सहकारी समिति, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़, जिसकी रजिस्ट्री १९६१ में हुई है, को "स्पेशल मैरिट" पावर लूम एलाट किये गये हैं ? यदि हाँ, तो किस आधार पर तथा किस नियम के अन्तर्गत ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—आदर्श बुनकर सहकारी समिति, मऊनाथभंजन, आजमगढ़, को पावरलूम इस योजना के अन्तर्गत नियमों के आधार पर ही एलाट हुये हैं। इस समिति को केवल एक नियम में छूट दी गई वह यह कि यह समिति १९६१ में रजिस्टर्ड हुई हैं।

विशेष परिस्थितियाँ जिनके आधार पर इस समिति को पावरलूम एलाट हुये हैं निम्नलिखित हैं :—

१—मऊनाथ भंजन में पहले ११ समितियों को दस-दस पावरलूम एलाट हुये थे जिनमें से ४ समितियाँ इस विभाग के आदेशानुसार पावरलूम लगाने में कुछ प्रगति न कर सकीं, इसलिये इन समितियों के पावर लूमों को ऐसी नई समितियों को एलाट करने का प्रश्न उठा जो पावरलूमों को शीघ्र लगाकर चला सकती थीं।

२—इस समिति की आर्थिक स्थिति अच्छी थी।

३—इस समिति ने पावरलूमों को शीघ्र लगाकर चलाने का आश्वासन दिया था।

४—इस समिति के पास पावरलूम लगाने के लिये भवन व बिजली के साधन उपलब्ध थे और इस समिति ने इसके लिये कोई सहायता नहीं माँगी थी।

५—जिस समय इस समिति को पावरलूम एलाट किये गये थे, केवल ३ समितियों (जिनमें आदर्श बुनकर सहकारी समिति भी सम्मिलित थी), ने ही पावरलूम के एलाटमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे और इन्हीं को पावरलूम एलाट भी कर दिये गये।

*१३—**श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त सहकारी समिति मऊनाथ भंजन के एक बड़े व्यापारी श्री बृजबिहारी लाल टंडन के संबंधियों तथा नौकरों की एक फरजी समिति है जिसका बुनकरों से कोई संबंध नहीं है ?

श्री वीरसेन—यह सच है कि श्री बृजबिहारी टंडन के कुछ संबंधी तथा नौकर उक्त समिति के सदस्य हैं। परन्तु चूंकि वह समिति अन्य समितियों की तरह कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, उसके फर्जी होने का प्रश्न नहीं उठता।

*१४—**श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छतरपुर बुनकर सहकारी समिति, मऊनाथ भंजन ने आदर्श बुनकर सहकारी समिति, मऊनाथभंजन से बहुत पहले ही पावर लूम एलाट करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उस प्रार्थना-पत्र को किस आधार पर तथा किन कारणोंवश अस्वीकृत कर दिया गया ?

श्री वीरसेन—१—जी हाँ।

२—कथित प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया था बल्कि छतरपुर बुनकर सहकारी समिति, मऊ को १० पावरलूम एलाट कर दिये गये थे, परन्तु समिति द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें (Formalities) पूरी न किये जाने के कारण एलाटमेंट रद्द कर दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जाँच करावेंगे कि छतरपुर की समिति वहाँ के गरीब बुनकरों की समिति है जो बहुत पुरानी है और जिसके पास कुछ केपिटल भी है, लेकिन चूंकि श्री बृजबिहारी टंडन वहाँ के प्रभावशाली व्यापारी और स्थानीय काँग्रेस के नेता हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों और नौकरों की फर्जी समिति बना रखी है, इसलिये छतरपुर को वह एलाट न करके उनकी सोसाइटी को एलाट कर दिया गया ?

श्री वीरसेन—ऐसी बात नहीं है। छतरपुर की समिति में जनरल बाडी की मीटिंग में अधिकारी बदल दिये गये। पुराने अधिकारियों ने आरबिट्रेशन फाइल कर दिया है। वह प्रगति नहीं कर सकी, तो दूसरी को दे दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सूचना मानकर कि आज से २ साल पहले से पिछली मिनिस्ट्री के माननीय उद्योग मंत्री के पास २,३ डेपुटेशन गये जिनमें हम लोग स्वयं थे, उन्हें लिखकर दिया गया कि वृजविहारी टंडन ने सरकारी अनुदान का फायदा उठाने के लिये अपने संबंधियों और नौकरों की फर्जी समिति बना रखी है और इससे वहाँ के वास्तविक बुनकरों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, इस बात की पुनः किसी उच्चाधिकारी से जाँच करावेंगे ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—इसमें २ प्रश्न हैं। एक तो यह कि छतरपुर की समिति से हैन्डलूम क्यों ले लिया दूसरा यह कि दूसरी समिति को क्यों दिये गये। छतरपुर समिति को हैन्डलूम एलाट हुये। कई महीने एलाटमेंट रहा। उसने कोई काम नहीं किया। न जमीन खरीदी और न रुपया लगाया। तो मजबूर होकर वह कैंसिल करके दूसरी समिति को दिये गये। हो सकता है कि उसके कुछ लोग आपस में रिश्तेदार हों, मगर नियमों में इसकी कोई बाधा नहीं है। दूसरे, वही एक ऐसी समिति बची थी जिसकी दरख्वास्त थी। इसलिये कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिये।

श्री जेड० ए० अहमद—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि मऊनाथ भंजन हैन्डलूम का एक बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं, इस बात के लिये तैयार हैं कि यहाँ से किसी उच्च अधिकारी को भेज कर वहाँ की सभी कोआपरेटिव सोसाइटीज की जाँच की जाय और सही बात मालूम की जाय ?

श्री फूलसिंह—सरकार की तरफ से ऐसे आदेश तमाम प्रान्त के लिये जारी हो गये हैं कि अभी तक जिन लोगों ने कर्जा लिया है या जिनको सरकार की ओर से रा-मैटीरियल मिलता है, उनकी जाँच की जाय। उनकी जाँच करीब-करीब पूरी हो चुकी है। अब जिन्होंने खादी बोर्ड से भी कर्जा लिया है अथवा हैन्डलूम से लिया है उन लोगों की जाँच निकट भविष्य में कराई जाकर उसकी भी रिपोर्ट आ जायगी।

श्री जेड० ए० अहमद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज को वहाँ पावर लूम दिये गये और वे बिल्डिंग बनवा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उनको बिल्डिंग बनवाने का कर्जा आज तक नहीं दिया गया और उनकी बिल्डिंग बनना रुक गयी है, क्या मंत्री जी इसकी जाँच करायेंगे ? और क्या माननीय मंत्री जी यह हुक्म सादिर करने के लिये तैयार हैं कि उनको नियमानुसार बिल्डिंग के लिये कर्जा दिया जाय ?

श्री फूलसिंह—नियमों के अनुसार सभी सोसाइटीज को कर्जा देने की कोशिश की जायगी।

श्री झारखंडेराय—नियम तो यह है कि बुनकर लोगों की सहकारी समितियाँ बनायी जायं लेकिन परम्परा यह चालू है कि बड़े पूंजीपति या पैसे वाले लोग कुछ अपने नाते रिश्तेदारों को मिलाकर अपनी समिति बना लेते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी स्वयं अथवा डाइरेक्टर द्वारा यह जाँच करायेंगे कि नियमों की किस हद तक अवहेलना की गयी है ?

श्री फूलसिंह—हैन्ड लूम सोसाइटीज और पावर हैन्डलूम सोसाइटीज दो भिन्न-भिन्न चीजें हैं। जहाँ तक पावर हैन्डलूम का सवाल है उस पर डिस्कशन तो एक हिस्टारिक चीज ही होगी क्योंकि नये पावर लूम तो अलाट किये नहीं जा रहे हैं। अब रहा प्रश्न नियमों की अवहेलना का, तो जब भी किसी समिति के बारे में यह मालूम होगा कि वहाँ नियमों की अवहेलना की गयी है, उसकी जांच करायी जायगी।

श्री जेड० ए० अहमद—क्या माननीय मंत्री जी अपने किसी दौरे में मऊनाथ भंजन को खुद देखने का कष्ट करेंगे जिससे कि वहां की समस्या उनके सामने सीधे तौर पर आ जाय? वहां हम भी उनके साथ रहेंगे।

श्री फूलसिंह—जहां-जहां मौका लगेगा, मैं जरूर जाऊंगा और इसी काम के लिये जाऊंगा। मुझे और कोई काम नहीं है।

बनकटा विकास खंड

*१५—**श्री कैलाश** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के बनकटा में कब तक विकास खंड खोलने की योजना है?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—बनकटा में १ अक्तूबर, १९६२ से विकास खंड खुलने की संभावना है।

श्री कैलाश—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसमें १ अक्टूबर की तारीख बतायी है तो अब वह कब तक खुलेगा?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—खुल गया है।

पी० एम० टी० में चुने गये विद्यार्थी

*१६—**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ, कानपुर व आगरा मेडिकल कालेजों में कितने विद्यार्थी इस वर्ष पी०एम० टी० में बैठे हैं, कितने लिये गये हैं, और उनमें कितने हरिजन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लखनऊ, कानपुर तथा आगरा के मेडिकल कालेजों में १९६२ की पी० एम० टी० में बैठने वाले विद्यार्थियों की तथा उनमें से चुने गये विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

		बैठने वालों की संख्या	चुने गये विद्यार्थियों की संख्या
१—मेडिकल कालेज, लखनऊ	..		१४१
२—मेडिकल कालेज, कानपुर	..	१,९००	१५७
३—मेडिकल कालेज, आगरा	..	१,२१०	१०१

इनमें कानपुर मेडिकल कालेज में एक हरिजन Scheduled Caste विद्यार्थी लिया गया।

महिला अस्पताल, बाराबंकी में श्रीमती कमल की मृत्यु की जांच

*१७—**श्री भीमाप्रसाद** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), **श्री रामसुन्दर पांडेय** **श्री होरीलाल यादव** तथा **श्री मुकुटबिहारीलाल** (जिला बाराबंकी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला अस्पताल बाराबंकी में अभी हाल में ३५ वर्षीय एक गर्भवती महिला की मृत्यु इन्ट्रावीनस इंजेक्शन लगाने के उपरान्त हो गई?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—४-८-६२ को श्रीमती कमल नामक एक गर्भवती महिला को इन्ट्रावीनस इंजेक्शन लगाने के साढ़े सात घंटे बाद मृत्यु हो गई थी।

*१८—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित), श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री होरीलाल यादव तथा श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक महिला के पति ने राज्य के उच्च चिकित्सा अधिकारियों के पास पत्र लिख कर उक्त महिला अस्पताल के अधिकारियों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये हैं? यदि हां, तो क्या उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां, उन्होंने आरोप लगाये हैं। उनके पत्र दिनांक ११-८-६२ की प्रतिलिपि सदन के मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१४-७१५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृत्यु का कारण डाक्टरों ने क्या बतलाया है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह काफी दिनों की प्रेगनेंट थीं तथा उन्हें एनिमिया व टौक्सिमिया की बीमारी थी, इसलिये उसकी डेथ हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसके पति ने जो प्रार्थना-पत्र डाइरेक्टर के यहां भेजा है उसकी इनक्वायरी किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वहां के सिविल सर्जन ने उसकी इनक्वायरी की।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि इन्ट्रावीनस इंजेक्शन देने के साढ़े ७ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गयी, श्रीमन्, जब किसी को इन्ट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है तो पहले ब्लड की जांच कर ली जाती है क्योंकि बहुत से लोगों का खून पाजीटिव होता है और बहुतों का निगेटिव होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले उसके खून की जांच की गयी थी, उसके बाद इन्ट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया?

श्री अध्यक्ष—क्या उसकी मृत्यु इन्ट्रावीनस इंजेक्शन देने की वजह से हुई?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं पूछ रहा हूं कि इन्ट्रावीनस इंजेक्शन देने से पहले उसके खून की जांच की गयी थी?

श्री अध्यक्ष—अगर वह डेथ इन्ट्रावीनस इंजेक्शन की वजह से नहीं हुई है तो आपका यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री होरीलाल यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमल को मर्फिया का भी इंजेक्शन दिया गया था?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां।

श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि जो इन्ट्रावीनस इंजेक्शन दिया गया, वह इन्ट्रावीनस न देकर मसकुलर दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी तथा वहां की नर्सेज भी अन्ट्रेंड हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य मंत्री तो डाक्टर हैं नहीं, लेकिन जो सूचना मुझे डाक्टरों ने दी है उसके अनुसार यह कथन सही नहीं है कि वहां जो नर्सेज हैं वे अन्ट्रेंड है और वहां वह उपचार मरीजा का नहीं किया गया जो उपचार कि करना चाहिये था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इस प्रकार की घटनायें देवरिया, बाराबंकी व कानपुर में खासकर महिला अस्पतालों में घटित हुई हैं और अक्सर होती हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी घटना जो उनके सामने आवे उसकी जांच वे वहां के सिविल सर्जन से न करा कर, उनके ऊपर के किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे और गलत काम करने वालों को नसीहत भी मिले ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि यह एक साधारण घटना है कि एक मरीजा आयी जो काफी बीमार थी। उसको एक इंजेक्शन दिया गया। जो इंजेक्शन दिया गया उस दवा का नाम नियाफोरिन है। कायदे के अनुसार उसे पहले मर्फिया का इंजेक्शन देना चाहिये था जो दिया गया। मरीजा की जैसी हालत थी उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। जांच कराने के दूसरे मौके होते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितने तथ्य अभी तक सरकार के पास आये हैं और जो शिकायतें अभी तक सरकार को मिली हैं उन से क्या सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि महिला डाक्टरों का व्यवहार महिला मरीजों के साथ जितना बुरा है उतना पुरुष डाक्टरों का बुरा नहीं होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तजुर्बा तो उन को अधिक होगा जिन के पास महिलायें हैं। मुझे तो ऐसा तजुर्बा नहीं है कि महिलायें व्यवहार ठीक नहीं करती हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मृत्यु के बाद महिला की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इसमें पोस्टमार्टम का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक महिला के पति ने जो आरोप पत्र दिया है उसमें मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—उनका मुख्य आरोप यह है कि इस महिला की मृत्यु मार्फिया के इन्जेक्शन से हुई और दूसरा एक आरोप यह है कि जब उस की हालत खराब हुई तो इसकी इत्तिला बाराबंकी में उन को नहीं दी गई और इनका जवाब यह है कि जो इन्जेक्शन लगाया गया था उसका थोड़ा सा रिएक्शन हुआ और उसके बाद मर्फिया जो लगाया जाता है उसका इंजेक्शन भी लगाया गया और जहां तक खबर करने की बात है डाक्टर बंसल के द्वारा खबर आई थी और लेडी डाक्टर ने डाक्टर बंसल को ही खबर दी और वह इस से पहले ही अस्पताल में आ गये थे।

बाराबंकी जिले में मार्ग निर्माण

*१९—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के हर विकास खंड स्तर पर छोटी सड़कों को बड़ी सड़कों से मिलाने हेतु ५ लाख रुपया प्रत्येक ब्लाक में व्यय करने जा रही है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जी नहीं।

*२०—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के हर ब्लाक में किन-किन मार्गों को पक्का करने का निश्चय किया है और इनकी दूरी क्या है और अलग-अलग कितना धन प्रत्येक मार्ग पर व्यय करने की योजना है और यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—अभी तक ग्रामीण-जन-शक्ति-उपयोग-योजना के अन्तर्गत बाराबंकी जिले के किसी मार्ग को पक्का करने के लिये सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत जिला बाराबंकी के हैदरगढ़ और त्रिबेनीगंज से जो एस्टीमेट मांगे गये थे वह किन किन सड़कों के थे और इस संबंध में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—प्रथम प्रोग्राम में २ जनशक्ति उपयोग की ग्राम योजनायें और दूसरे में २१ ग्राम योजनायें सरकार की ओर से ली गईं और तीसरी एक और योजना रुदौली सड़क की थी लेकिन उसे पी० डब्लू० डी० ने स्वीकार नहीं किया इसलिये वह रह गई।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—श्रीमन्, हैदरगढ़ और त्रिबेनीगंज स्थान से भी कुछ सड़कों के लिये एस्टीमेट मांगा था और क्षेत्र समितियों ने भी कुछ सड़कों को बनाने का प्रस्ताव भेजा था तो वह किन किन सड़कों को लेना चाहते हैं और उनका कितना एस्टीमेट है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मुझे यह बात समझ में नहीं आती, आप की तो मेन पावर मोबिलाइजेशन की बात है सड़कों का कोई विवरण नहीं मांगा गया, हम ने इस स्कीम में कोई सड़क नहीं ली केवल एक का प्रपोजल था लेकिन उसको भी पी० डब्ल्यू० डी० ने टर्न डाउन कर दिया है।

गड़हन बुजुर्ग ग्राम में डाकुओं से मुठभेड़ में मृतकों के आश्रितों को पेन्शन

*२१—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज से तीन वर्ष पूर्व ग्राम गड़हन बुजुर्ग, थाना बुन्धरापुर, जिला आजमगढ़ में डकैती पड़ी थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उक्त ग्राम के निवासी श्री कोमल राय के घर सन् १९५९ में डकैती पड़ी थी।

*२२—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त डकैती में कुछ व्यक्तियों की मौत डाकुओं से मुकाबला करते समय डाकुओं की गोली लगने से हुई थी? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस डकैती में दो व्यक्ति, श्री मंगला राय तथा श्री उत्पाती की मृत्यु डाकुओं से मुकाबला करते समय डाकुओं की गोली लगने के कारण हुई थी।

*२३—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित)—क्या डाकुओं की गोली से मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों ने स्थायी और तात्कालिक सहायता की मांग सरकार से की थी? यदि हां, तो किन किन को, कितनी और कैसी सहायता दी गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, सरकार ने स्वर्गीय श्री मंगला राय की पत्नी को १५ रु०, व उनकी पुत्री को ५ रु० तथा स्वर्गीय श्री उत्पाती के पुत्र को १२ रु० प्रति माह की पेंशन मंजूर की है।

बरेली में थाना किला की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*२४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली के थाना किला के अधिकारियों के विरुद्ध एक नागरिकों की विशाल सभा जून, १९६२ के महीने में मोती पार्क में हुई थी? यदि हां, तो उस सभा में उक्त थाने के अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें की गयीं और उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री नवलकिशोर—जी हां। इस प्रकार की एक सभा हुई थी। सभा में मुहल्ला जखीरा में गिरफ्तार हुए कुछ व्यक्तियों के संबंध में थाना किला की पुलिस की आलोचना की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस के विरुद्ध ज्यादती करने, घूस लेने, धमकी देने, अपराध की सूचना न लिखने, अनुचित गिरफ्तारी करने तथा अभियुक्तों को थाने में मारने पीटने के आरोप लगाये गये। जिस घटना के संबंध में गिरफ्तारियां हुईं वह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था तथा बाद में उसमें पार्टियों ने सुलह कर ली अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष आरोप जांच से निराधार पाये गये।

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में थाना किला के अन्तर्गत ग्राम सालेहनगर छावनी राजा काली चरन में पुलिस द्वारा बनाई गई डिफेन्स कमेटी के सदस्यों के विरुद्ध वहां के निवासियों ने कई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश व थाना अधिकारियों को दिये हैं कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की?

श्री नवलकिशोर—जी हां, डिफेन्स कमेटी के सदस्यों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। जांच से अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप निराधार पाये गये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या यह सही है कि मुहल्ला जखीरा के गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ कुछ लोग थाने में आये थे उन्हें भी पुलिस द्वारा पीटा गया था इसीलिये सभा हुई थी?

श्री नवलकिशोर—ऐसी सूचना तो नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मंत्री जी बतायेंगे कि इस विषय में किन अधिकारियों के द्वारा जांच करायी गई है?

श्री नवलकिशोर—सरकार के पास जो रिपोर्ट है वह एस० पी० की है। अब उन्होंने किसके द्वारा इसकी जांच करायी है उस व्यक्ति का नाम मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—जब यह सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित है तो मेरा कहना यह है इसमें तथ्यों को छुपाया गया है। वास्तव में वहाँ खड़े हुए निरपराध व्यक्तियों को पीटा था इसलिये तमाम बरेली में उस संबंध में रोष था और यह सभा हुई थी। तो मंत्री जी क्या दोबारा जांच करायेंगे जिससे तथ्यों की जानकारी पूर्ण रूप से हो सके?

श्री नवलकिशोर—यदि माननीय सदस्य का यह खयाल है कि तथ्य छिपाये गये हैं, तो वह लिख कर भेज दें तो उनके ऊपर फिर दोबारा जांच करा ली जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्राम सालेहनगर का जिक्र किया गया है छावनी का इसमें कोई न तो चुनाव हुआ है, न कोई वहाँ प्रधान है इसलिये डिफेंस कमेटी प्रधान और गाँव सभा के तमाम अधिकार अपने हाथ में ले कर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है इन कारणों की फिर से जाँच करायेंगे मन्त्री जी?

श्री अध्यक्ष—आप कोई कारण तो बताते नहीं। जो प्रश्न किया है उसी को दोहरा देते हैं, कुछ ग्राउन्ड्स बतायें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—जो डिफेंस कमेटी है वहां लोगों को मकान नहीं बनाने दे रही है, किसी को खुद इजाजत दे देती है, किसी के खिलाफ, ग्राम सभा के जितने काम होते हैं उन अधिकारों का प्रयोग करके, नोटिस दे देती है, मुकदमा चला देती है इस कारण डिफेंस कमेटी....

श्री अध्यक्ष—ठीक है समझ गये।

श्री नवलकिशोर—मुझे बड़ा ताज्जुब है कि डिफेंस कमेटी कैसे गांव सभा के कार्यों को कर सकती है।

यदि आप आज्ञा दें तो कुछ अर्ज कर दूं। बरेली में प्रजा पालन शर्मा और श्याम बिहारी लाल, दो हिन्दू महासभा के सदस्य हैं। तो गांव के अन्दर मस्जिद के पीछे कुछ आराजी थी उसको यह लोग बनवाना चाहते थे। उस पर जो डिफेंस कमेटी के एक साहब हैं उन्होंने कहा यह बात गलत है, ऐसा न कीजिये। इसके साथ उन्होंने वहां जुआ वगैरह रोकने की कोशिश की। इससे कुछ साहबान नाराज हो गये और शिकायत कर दी। और गाँव सभा की जो बातें बतायीं उसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मंत्री जी बतायेंगे कि जिन आरोपों को मैंने लगाया है इनको यदि मैं लिख कर दूं तो क्या इसकी जांच वे फिर से करायेंगे ?

श्री नवलकिशोर—क्योंकि वहाँ ग्राम सभा नहीं है, मान्यवर वैधानिक तौर से डिफेंस कमेटी गाँव सभा का काम नहीं कर सकती है, लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं जांच करा दूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मन्त्री महोदय को जानकारी होगी कि वहां गांव सभा नहीं है और इस डिफेंस कमेटी में गांव के प्रभावी लोग होंगे तो जैसे आरोप गंगवार जी ने लगाये हैं उनको देखते हुये उनकी पुनः स्पष्ट जांच करा कर सदन के सन्मुख सारी बातें रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वहां पर गांव सभा है या नहीं है।

वाराणसी जिले में जनाना अस्पताल

*२६—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में पिछली दोनों योजनाओं में स्त्रियों के स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा के लिये कोई नया जनाना अस्पताल अथवा जन-स्वास्थ्यशाला खुली है ? यदि हाँ, तो कहां ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

पुनर्वास क्षेत्र नेमना में सोनाई चमार के विरुद्ध कार्यवाही

*२७—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को पता है कि पुनर्वास विभाग द्वारा वितरित भूमि को कुछ काश्तकार उदाहरणस्वरूप श्री सोनाई चमार, पुनर्वास क्षेत्र नेमना ने श्री श्याम बिहारी सिंह तथा शोमनाथ लोहार तथा उनके भाई को यह कह कर कि वितरित भूमि उसके काश्त की है जबरदस्ती अपने हल से जोत लिया है ? यदि ऐसी बात है, तो सरकार ने उसकी भूमि को क्यों बांटा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री सोनाई चमार ने अनाधिकारिक तौर पर उक्त विस्थापितों की भूमि को जोतने की कोशिश की जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*२८—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब इस प्रकार की कई शिकायतें पुनर्वास अधिकारी से की गईं तो उन्होंने अब तक ऐसे कितने मामलों में निपटारे की कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की कुल ७३ शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से ५७ में निपटारा किया जा चुका है।

गढ़वाल हवालात में पागल

*२९—**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिछले ६–७ माह से गढ़वाल की हवालात में १५–१६ व्यक्ति दिमाग खराब होने के जुर्म में बन्द हैं ? यदि हां, तो उन लोगों के सिलसिले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१५-१६ व्यक्ति नहीं बल्कि केवल ५ व्यक्ति कुछ समय से दिमाग खराब होने के कारण उक्त हवालात में बन्द हैं। जिले के चिकित्सालय में उन्मत कोष्ट (Lunatic Cell) खाली न होने तथा मेन्टल अस्पताल बरेली में इलाज के लिये जगह खाली न होने के कारण कुछ लोगों का निरीक्षण अभी तक नहीं हो सका है और कुछ को इलाज के लिये नहीं भेजा जा सका है और उन्हें हवालात में रखना पड़ा है। उक्त स्थानों में जगह खाली होते ही उनके निरीक्षण तथा इलाज का प्रबन्ध किया जायगा।

गुमखाल-दिवारी खाल सड़क

*३०---श्री रियासत हुसैन---क्या सरकार बतायेगी कि ब्लाक ढागू, जिला गढ़वाल में गुमखाल, दिवारी खाल सड़क के लिये कुछ लोगों को कुछ साल पहले १३ हजार रुपया दिया गया था? वे लोग कौन हैं और वह १३ हजार रुपया किस तरह खर्च हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है?

फैजाबाद जिले में केन सीड सबसीडी

*३१---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में कितने ऐसे सुपरवाइजर सर्किल हैं जिनके क्षेत्र में किसानों को १९६१-६२ की सबसीडी अभी तक नहीं दी गयी है? यदि हां, तो न देने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---केवल दो ऐसे सर्किल हैं जिनके क्षेत्रों के किसानों को १९६१-६२ की केन सीड सबसीडी अभी तक वितरण नहीं हो पाई है।

इन क्षेत्रों में अनुमान से अधिक मात्रा में बीज बटा है। इसकी जांच की जा रही है।

वाराणसी जिले के नियोजन विभाग में परिगणित जाति के कर्मचारी

*३२---श्री हरिगैन राम (जिला वाराणसी)---क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के नियोजन विभाग में निम्नलिखित पद पर कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उसमें कितने परिगणित जाति के हैं:---

(१) ए० डी० ओ०,
(२) ग्राम सेवक,
(३) पंचायत मंत्री,
(४) क्लर्क,
(५) चपरासी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वाराणसी जिले में नियोजन विभाग के निम्नलिखित पदों के कर्मचारियों की कुल संख्या एवं उनमें परिगणित जाति की संख्या उनके सम्मुख अंकित हैं:---

	कुल संख्या	परिगणित जाति की संख्या
१---ए० डी० ओ०	६७	१
२---ग्राम सेवक	१७२	११
३---पंचायत मंत्री	२८७	२३
४---क्लर्क	१२०	—
५---चपरासी	१२६	१९

दरियाबाद केन यूनियन में खाद वितरण में गड़बड़ी

*३३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियाबाद, जिला बाराबंकी की केन यूनियन में खाद वितरण में बड़ी धांधली वहां के इंचार्ज साहब कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं ।

*३४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र शिकायत के संबंध में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, ऐसा एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच से ज्ञात हुआ कि उनकी शिकायत गन्ना यूनियन, दरियाबाद के संबंध में नहीं थी ।

*३५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—खाद वितरण के संबंध में क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे जनता को खाद मिलने में कठिनाई न हो ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—किसी नई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कसारा ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय न खुल सकना तथा कमलसागर औषधालय की इमारत

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कसारा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का आयोजन चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विचार किया गया किन्तु दूसरे स्थानों पर आवश्यकता अधिक होने के कारण उनको प्राथमिकता दी गई । जिसके फलस्वरूप ग्राम कसारा में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री दिनांक २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि कमल सागर आयुर्वेदिक औषधालय के भवन निर्माण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित गांव सभा के प्रधान ने संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (आयुर्वेदिक) को २२ मार्च, १९६२ को मुफ्त भूमि देने के लिये कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसा कोई पत्र संचालक, आयुर्वेद के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ ।

बिजली कम्पनियों पर ऋण

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में अब तक कितनी बिजली कम्पनियां सरकारी तथा कितनी निजी हैं और वे कहां-कहां हैं और उनसे कितनी किलोवाट बिजली इस वक्त पैदा हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के अधीन केवल मिर्जापुर जिले में रिहन्द योजना है। कानपुर शहर तथा प्रदेश के वे क्षेत्र जिनके लिये लाइसेन्सधारी या सैन्कशन-ग्रहीता नहीं हैं राज्य विद्युत् परिषद् के संभरण क्षेत्र में आते हैं। इस समय बिजली कम्पनियां तथा नगर-पालिकाओं के विद्युत् उपक्रमों की संख्या ४३ है जिनका विवरण अनुसूची १ में दिया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत जून में लगभग ११,२३,८७,००० K. W. H. बिजली उत्पादित हुई थी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१६–७१७ पर)

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि बिजली रेट अलग-अलग कार्यों के लिये प्रदेश की बिजली कम्पनियों में क्या-क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दरों का विवरण माननीय सदस्य उप-मंत्री (विद्युत्) के कमरे में देख सकते हैं।

*६—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में अब तक किन-किन बिजली कम्पनियों को सरकार ने कितना-कितना रुपया कर्ज के रूप में किस शर्त पर दिया है और वे कम्पनियां शर्तों को पूरा कर रही हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिजली कम्पनियों को सरकार द्वारा दिये गये कर्ज की सूचना संलग्न अनुसूची २ में दी हुई है। यह कर्ज विकास कार्य के लिये दिये गये थे। उनके लिये सूद की दरें और वापसी की किस्तें निश्चित थीं। केवल एक बिजली कम्पनी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१६ पर)

इलाहाबाद में ट्रक दुर्घटनाएं

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में मोटर तथा ट्रक से कितनी दुर्घटनायें जनवरी, १९६२ से ५ अप्रैल, १९६२ तक हुईं तथा कितने आदमी इस दुर्घटना में मरे तथा घायल हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में कुल ४८ दुर्घटनायें हुईं। इनमें १२ व्यक्ति मरे और ४५ घायल हुए।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में मोटर तथा ट्रक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु १ जनवरी से ५ अप्रैल तक कितने मोटर ट्रक व मोटरों का चालान किया गया तथा कितने आदमी इसमें गिरफ्तार किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में मोटर दुर्घटनाओं के संबंध में १४० मोटर ट्रक व कारों का चालान किया गया और इनमें ४७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

माताटीला बांध के मैगजीन तथा चिरगांव गोदाम से चोरी

*९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माता टीला बांध जिला झांसी के स्टोर से जनवरी, १९६२ से १५ मई, १९६२ तक ३ हजार डाइनामाइट कारतूस और ७६३ गैलन डीजल के गायब होने का पता लगा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—७–८ मार्च, १९६२ की रात को माताटीला मैगजीन से निम्नांकित सामान की चोरी हुई :

१—११,००० डिटोनेटर
२—५०पौंड जलीगिनाइट
३—ताले ४

इस संबंध में दिनांक ९-३-६२ को थाना तालबेहट में एक मुकदमा अंकित किया गया और अभी जाँच जारी है ।

*१०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में भांडेर कैनाल के निर्माण-कार्य के लिये रखे हुये सीमेंट से १५० बोरी सीमेंट एक ट्रक में भर कर १ मई से १५ मई, १९६२ के बीच में चिरगाँव बाजार में चोरी से बिकता हुआ पकड़ा गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय भंडार, नहर प्रखन्ड के चिरगाँव गोदाम से सीमेंट की १५० बोरियां एक ठेकेदार को दबोह हेड तथा रेग्यूलेटर के निर्माण हेतु दी गई थीं जो निर्देशित स्थान तक नहीं पहुंचीं । ७-५-६२ को पुलिस ने चिरगाँव में सीमेंट की १५० बोरियां पकड़ीं । पुलिस द्वारा इस संबंध में जाँच की जा रही है ।

अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष

*११—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अन्तरिम परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव किस तारीख तक हो जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६२ तक ही है । अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों का कोई नया चुनाव कराने का इरादा सरकार का नहीं है । अन्तरिम अवधि के लिये, अन्तरिम जिला परिषदें, क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा २७१ के अनुसार जिला परिषदों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग एवं पालन करेंगी ।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री संबंधित कैन्टीन की जांच

*१२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क स्थित राजकीय सीमेंट फैक्ट्री सरकारी कैन्टीन के हिसाब की जाँच फैक्ट्री के निदेशकों द्वारा कराई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निदेशक स्वयं ऐसी जाँच नहीं करते, परन्तु कैन्टीन से संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसी जाँच कराई जाती है और निदेशक उस पर अपने आदेश देते हैं ।

*१३—श्री हिम्मतसिंह—यदि हाँ, तो क्या सरकार रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की गई जो सदन की मेज पर रखी जा सके । केवल नैत्यक प्रकार की टिप्पणियाँ और आदेश हैं जो इस महत्व के नहीं हैं कि सदन के सामने रखे जा सकें ।

*१४—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैन्टीन में आर्थिक लाभ हो रहा है या हानि ? यदि लाभ है, तो कितना रुपया प्रतिवर्ष और यदि हानि है, तो कितना रुपया प्रतिवर्ष ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कैन्टीन 'न लाभ न हानि' के आधार पर कर्मचारियों की सुविधा हेतु खोला गया है अतः लाभ व हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बाजपुर चीनी मिल

*१५—श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—गत सप्ताह में क्या सरकार को नैनीताल जिले की बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारियों तथा गन्ना उत्पादकों में बलवा हो जाने की सूचना मिली है ? यदि हाँ, तो क्यों और कितने धन-जन की हानि इस सिलसिले में हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—११ मई, १९६२ को इस मिल में किसानों और मजदूरों के बीच गन्ने से लदी गाड़ी को रखने और हटाने के प्रश्न पर झगड़ा हुआ था किन्तु फैक्ट्री को किसी धन जन की हानि नहीं हुई।

*१६—श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—उक्त मिल ने अब तक कितना गन्ना इस वर्ष पेरा है, कितनी चीनी उत्पन्न हुई और कितना सीजन के अन्त तक गन्ना पेरा जाने का अनुमान है तथा कितनी चीनी उत्पन्न होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६१-६२ सीजन में उक्त मिल ने बन्द होने के समय तक कुल ५६,३५,७२० मन गन्ना पेरा और ५,१२,८६९.७१ मन चीनी उत्पादित की।

*१७—श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—अब तक कितनी चीनी गत सीजन की बनी, बिकने से बाकी है और कितनी इस वर्ष की और किस दर पर चीनी पहले बेची गई तथा इस वक्त किस दर पर बेची जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत सीजन १९६०-६१ की बनी समस्त चीनी बिक चुकी है। इस वर्ष की चीनी अब तक १,४९,१०८ क्विंटल बिक चुकी है और ४२,२८८ क्विंटल चीनी बिकने को बाकी है। पहले चीनी बिकने का औसत भाव रु० १०६.०३ न० पै० प्रति क्विंटल था और इस समय चीनी का औसत भाव रु० १०७.०० प्रति क्विंटल है।

पीलीभीत में श्री गंगाराम की हत्या

*१८—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि पीलीभीत जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक ३१-५-६२।१-६-६२ की रात में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीलीभीत के सेक्रेटरी श्री गंगा राम की हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या दिन में नहीं हुई।

*१९—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो उस विषय की पूरी जानकारी जो प्राप्त है, वह क्या है तथा उस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७१८ पर)

*२०—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—[हटा दिया गया।]

फिरोजाबाद में चिमनी गिरने से श्रमिक की मृत्यु

*२१—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फिरोजाबाद में एक चिमनी गिर जाने से ३ श्रमिकों की मृत्यु हो गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

*२२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल—यदि हां, तो सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि उन मृतक श्रमिकों के परिवार वालों को क्या सहायता प्रदान की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मृतक के परिवार वालों को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गयी है।

सदर अस्पताल, गोरखपुर का प्राइवेट वार्ड

*२३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल में कोई प्राइवेट वार्ड बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस ठेकेदार द्वारा तथा कितनी लागत लगा कर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, सदर अस्पताल, गोरखपुर में ६ प्राइवेट वार्डस का निर्माण श्री ब्रजभूषण गुप्ता, ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है और इसके लिये ३८,१०० रुपये के तखमीने स्वीकृत किये गये हैं।

*२४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्राइवेट वार्ड में कोई कमरा नर्सिंग स्टाफ के लिये भी रखा गया है जो प्राइवेट वार्ड के मरीजों की सेवा करती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। ये वार्ड्स बाद में एक बड़े ब्लाक का स्वरूप लेंगे। उस समय नर्सिंग स्टाफ के लिये ड्यूटी रूम बनाया जायेगा।

*२५—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ, वार्ड ब्वाय तथा मेहतरों से कितने घंटे की ड्यूटी ली जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों, वार्ड ब्वाय और मेहतरों को दिन में ८ घन्टे तक ड्यूटी देनी होती है और रात में १२ घंटे तक देनी होती है एक मास तक। दिन की ड्यूटी में १ घंटे का समय जलपान के लिये भी सम्मिलित है।

कानपुर के तुलसी हत्या काण्ड में पुलिस की कड़ी आलोचना

*२६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तुलसी की हत्या करने वाले लक्ष्मी नारायण व श्याम को धारा ३०२ के अपराध से बरी करते हुये जिला एवं सेशन जज, कानपुर ने पुलिस की शिथिल जांच की कड़ी टीका की है? यदि हां, तो जज महोदय ने पुलिस पर क्या दोष लगाये हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। जिला एवं सेशन जज द्वारा पुलिस के विरुद्ध की गई आलोचना के उद्धरण संलग्न हैं। इस संबंध में पुलिस रेगूलेशन के पैरा ५०० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७१९ पर)

*२७-२९—श्री चन्द्रजीत यादव—[हटा दिये गये।]

आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद का स्थानान्तरण

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को इलाहाबाद से हटा कर दूसरे जिले में भेजा जा रहा है? यदि हां, तो कहां और क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को इलाहाबाद से हटा कर बख्शी का तालाब के निकट लखनऊ सीतापुर रोड पर स्थित नार्मल स्कूल बिल्डिंग्स में भेजा जा रहा है, इसके दो कारण हैं। प्रथम तो यह है कि सरकार उक्त ट्रेनिंग स्कूल को ऐसी जगह रखना चाहती थी जहां आफिसरों को ग्रामीण क्षेत्रों के तथा विकास खंडों के संबंध में क्रियात्मक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। नये स्थान में यह सुविधायें उपलब्ध हैं। दूसरे, लोक सेवा आयोग को अपने कार्यालय के लिये एक बड़े भवन की आवश्यकता थी।

कानपुर क्षेत्र जनगणना कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*३१—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन जनगणना कार्यालय के उपनिरीक्षक तथा कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये कतिपय गंभीर आरोपों के संबंध में एक आवेदन-पत्र दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ को श्री झारखंडे राय की ओर से उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई और उसका परिणाम क्या हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। जांच कराने पर मालूम हुआ कि उसमें उल्लिखित आरोप निराधार थे। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

भारतीय ग्राम सेवा केन्द्र, मरहेरा

*३२—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा मरहेरा, जिला एटा में एक भारतीय ग्राम्य सेवा केन्द्र अमेरिका की सहायता से चलता था जिसके संबंध में खुफिया द्वारा जांच करने पर पता चला कि वह एक जासूसी का अड्डा बना हुआ था? यदि हां, तो जांच का पूर्ण विवरण क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

*३३—क्या सरकार प्रदेश में इस प्रकार अमेरिका की सहायता से चलने वाले अन्य केन्द्रों की भी जांच खुफिया द्वारा कराने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारतीय ग्राम सेवा केन्द्र मरहेरा, जिला एटा के संबंध में सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

नर्सों की आवास व्यवस्था

*३४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसका ध्यान सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सेज के अपने घर से अधिक दूर नियुक्त किये जाने व ट्रान्सफर किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया गया है? तो क्या सरकार इस संबंध में कोई नियम बनाने का विचार कर रही है जिस से नर्सेज को उनके घर से कम से कम दूरी पर रखा जा सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस संबंध में सरकार की यह नीति रही है कि नर्सों को यथासंभव उनके घर के निकट रक्खा जाय और उनका ट्रान्सफर केवल प्रशासकीय आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाय।

*३५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि नर्सेज को विशेष कर विवाहित नर्सेज को अस्पताल की सीमा के भीतर फैमिली क्वार्टर न मिलने से कठिनाई उत्पन्न हो जाती है? क्या मुदालियर कमेटी ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। चूंकि मुदालियर कमेटी की पूर्ण रिपोर्ट अभी हमारे यहां नहीं आई है, अतः यह ज्ञात नहीं है कि उक्त कमेटी ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है या नहीं।

खनिज पदार्थों की खोज

*३६—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ में सोना, गन्धक तथा अन्य रासायनिक पदार्थों का होना उसे ज्ञात हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिथौरागढ़ में सोने के भंडार पाये जाने के विषय में कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई। ग्राम दार, पट्टी मल्ला दारमा में सोते के पानी में गंधक पाया गया है। अन्य रासायनिक पदार्थों में मेगनासाइट वेराइटीज तथा तांबा भी पाया गया है। इस संबंध में पूर्ण सूचना इस प्रकार है :—

भूगर्भ तथा खनिज निदेशालय के एक दल नें गंधक का पता ग्राम दार में सर्वेक्षण करते हुये लगाया था। सोते के पानी में गंधक की मात्रा ६९७ भाग प्रति १० लाख है। पत्थरों से खुरच कर प्राप्त एक नमूने से ४९ प्रतिशत गंधक मिला। धार ग्राम धारचूला से ४० मील उत्तर धौली गंगा की घाटी में है। मैगनासाइट का भंडार थल, देवलथल तथा आगर नामक स्थानों पर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में है। इन भंडारों से प्राप्त खनिज की किस्म तथा मात्रा के विषय में अभी पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं है। तांबे के भंडारों का सर्वेक्षण Geological Survey of India कर रहा है।

कानपुर में सुरक्षा कमेटियां

*३७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में पुलिस विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सुरक्षा कमेटियां किस उद्देश्य से और सरकार की किस आज्ञा के अनुसार बन रही हैं तथा उनके क्या कार्य हैं और उनका किस आधार पर संगठन हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुरक्षा कमेटियां पुलिस को शांति और सुव्यवस्था तथा अपराध की रोकथाम में सहयोग तथा अन्य समस्याओं के संबंध में परामर्श देने के लिये बनाई गई हैं। यह ग्राम रक्षा समितियों से संबंधित सरकारी योजना के आधार पर नगरों में भी निर्मित की गई हैं। प्रत्येक २,००० व्यक्तियों की आबादी पर एक कमेटी बनाई गई है।

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*३८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यक्ष के अवैध, अनैतिक और स्वेच्छाचारिता पूर्ण कार्यों के विरुद्ध जिलाधीश, उन्नाव द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जिलाधीश उन्नाव द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है। इस समय इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन में रखना जनहित में न होगा।

*३९—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार जिलाधीश, उन्नाव की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यक्ष के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना मुनासिब न होगा।

*४०-४२—श्री कल्पनाथसिंह—[हटा दिये गये।]

उद्योग बस्ती, जोया

*४३—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि जोया, जिला मुरादाबाद में जो उद्योग बस्ती (इंडस्ट्रियल स्टेट) बनाई जा रही है उस पर कितना रुपया खर्च होगा ? और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री फूलसिंह—जोया, जिला मुरादाबाद में स्थापित की जाने वाली रूरल इंडस्ट्रियल स्टेट पर कुल २ लाख रुपया खर्च होगा तथा उसके तैयार हो जाने की आशा १९६३-६४ के मध्य तक है।

*४४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस उद्योग बस्ती में कौन-कौन से उद्योग खोले जायेंगे और कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा ?

श्री फूलसिंह—उक्त रूरल इंडस्ट्रियल स्टेट में खोले जाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की कोई सुनियोजित योजना नहीं है वरन् सभी प्रकार के आधुनिक ग्रामीण और लघु उद्योग, जिनका भविष्य उज्जवल है तथा जिनके बने हुये माल की निकटवर्ती बाजार में खपत की संभावना है, खोले जा सकते हैं। उद्योगों का निर्णय उद्योगपति स्वयं करेंगे जिनमें से कुछ के नाम संलग्न सूची में दिये हुये उपरोक्त औद्योगिक आस्थान में कितने आदमियों को रोजगार

मिलेगा यह अभी यथार्थ रूप में नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह बहुत कुछ औद्योगिक आस्थान में चलाये जाने वाले उद्योगों पर निर्भर है। अनुमानतः लगभग १२५ आदमी इसमें रोजगार पा सकेंगे।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७२० पर)

हाथकर्घा उद्योग के लिये ऋण

*४५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में हाथ कर्घा द्वारा कपड़ा बनाने के काम को प्रोत्साहन देने के हेतु कितनी-कितनी रकम अनुदान तथा कितनी-कितनी रकम कर्जा के रूप में दी गई ?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

*४६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में उपरोक्त कर्जा जो दिया गया उसमें से कितनी-कितनी रकम प्रत्येक वर्ष वसूल हुई और कितनी-कितनी बाकी है ?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

*४७—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हाथ कर्घा द्वारा कपड़ा बनाने के काम से सम्बन्धित संस्थाओं को जो रकम पांच वर्षों में कर्ज के रूप में दी गई थी उसकी वसूली में कितनी कुल रकम इस काल में माफ (Write off) की गई, कितना देय (due) बाकी है जो समय पर वसूल नहीं हुआ ?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले में खरीफ अभियान

*४८—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर, गोरीबाजार, बेतालपुर, देवरिया, मकुनी और बरहज विकास क्षेत्रों में वर्तमान खरीफ अभियान के सिलसिले में किन-किन गांवों में कितने-कितने एकड़ में अरहर और ज्वार (बाजरा) की लाइन में बोवाई करायी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना माननीय सदस्य विकास मंत्री जी के कार्यालय में देख सकते हैं।

*४९—श्री चन्द्रबलीसिंह—उपरोक्त विकास क्षेत्रों में कब से विकास हेतु रबी और खरीफ अभियान चालू है तथा कितने किसानों में नयी कृषि रीति की आदत बन गयी है और उस आदत के लक्षण क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रसंगगत विकास क्षेत्रों में खरीफ व रबी अभियान १९५८ के खरीफ से चालू है तथा कुल मिलाकर २६,५६५ किसानों में नई कृषि रीति की आदत बन गई है। इस आदत का लक्षण यह है कि अब वे नई रीति से ही खेती करते हैं।

बिलग्राम तहसील में नारायनदास मठिया के निकट पुलिया

*५०—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार को यह मालूम है कि सैलाव में हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील में मल्लावां से राघौपुर तक पहुंचने के लिये सरकारी अधिकारियों को हरदोई से फर्रुखाबाद होकर आना पड़ता है जब कि फासला मल्लावां से राघौपुर तक केवल ५ मील है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

*५१—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार इस ५ मील में एक पुलिया नारायनदास की भटिया, एक छोटा पुरा नारायन मऊ के पास व ठठिया जाहिदपुर का पुल बनवा देने की कृपा करेगी ताकि सैलाब में परगना कहन्दुआ को समय पर सहायता पहुंच सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । नारायनदास भटिया के निकट एक पुलिया तथा ग्राम नारायनमऊ क पास एक पुलिया निर्माण विचाराधीन है । ठठिया के निकट लकड़ी का जो पुल बना है उसके सुधारने तथा विकास करने का प्रश्न अन्तरिम जिला परिषद् हरदोई के विचाराधीन है, क्योंकि यह सड़क उसी के अधीन है ।

मुरादाबाद में कन्ट्रोल का कच्चा माल देने में घपला

*५२—श्री रियासत हुसैन—क्या उद्योग मंत्री को यह मालूम है कि मुरादाबाद में जो सरकारी कन्ट्रोल का कच्चा माल वहां के सोसाइटी के आम मेम्बरान को दिया जाता है, वह मेम्बरान को नहीं मिलता और सोसाइटी के चन्द पदाधिकारी खुद हजम करके ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं; जब इसकी शिकायत अफसर मुताल्लिका से की जाती है तो कोई जांच नहीं होती है? क्या सरकार इसमें कोई जांच करायेगी ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५३—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार को जिले मुरादाबाद की इंडस्ट्रीज आफिस के खिलाफ रिश्वत लेने और रिश्वत देने का बढ़ावा देने के बारे में शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५४—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि दि ग्लास मैनुफैक्चरर्स कोआपरेटिव सोसायटी मुगलपुरा के कुछ मेम्बरान की शिकायत पर श्री शुक्ला ने यह हिदायत की थी कि कच्चा माल सुपरवाइजर की मौजूदगी में तकसीम हो लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ और रुपया वसूल कर के माल तकसीम हुआ और जब इसकी इत्तला श्री शुक्ला को की गई तो कोई कार्यवाही नहीं हुई ? क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करके अफसरान को सजा देगी ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहारनपुर मैदा वर्कर्स यूनियन की मांगें

*५५—श्री रक्षपाल सिंह—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मैदा मिल वर्कर्स यूनियन की ओर से कोई मांग पत्र मिल अधिकारियों, श्रम अधिकारियों या मंत्री महोदय को पिछले दो मास में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ? क्या उन्होंने यह भी धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी न हुईं तो उन्हें बाध्य हो कर हड़ताल करनी पड़ेगी ? यदि हां, तो श्रम अधिकारियों, मिल मालिकों तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । मिल अधिकारियों को मांग-पत्र प्राप्त हुआ या नहीं, सरकार को कोई सूचना नहीं है । परन्तु कथित यूनियन ने मिल अधिकारियों को गत अगस्त मास में एक हड़ताल नोटिस दी थी जिसकी प्रतिलिपि श्रमाधिकारियों को भेजी थी, परन्तु शासन को नहीं ।

उक्त हड़ताल नोटिस में सम्मिलित श्रमिकों की मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

उक्त हड़ताल नोटिस अवैधानिक थी और यूनियन को यह बता दिया गया था, फलस्वरूप हड़ताल नहीं की गई। इस सम्बन्ध में यूनियन को श्रमाधिकारियों द्वारा सलाह दी गई कि वह अपनी मांगें निर्धारित ढंग से संराधन समिति के समक्ष रखें।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७२१ पर)

यूसुफपुर का जलूस

*५६—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १३ अगस्त से २० अगस्त के बीच गाजीपुर जिले की तहसील मोहम्मदाबाद में कोई जलूस निकाला गया जिसमें कि पाकिस्तान जिन्दाबाद, बुतपरस्ती मुर्दाबाद, हिन्दू धर्म मुर्दाबाद, मूर्ति पूजा मुर्दाबाद आदि के नारे लगाये गये? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १३-८-६२ को एक जलूस मौजा यूसुफपुर में निकला था। इसमें कोई नारा, जो प्रश्न में है, नहीं लगाया गया, न इस बारे में कोई शिकायत ही थाने पर प्राप्त हुई। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*५७—श्री रक्षपालसिंह—क्या यह सच है कि एम०डी०एस० (मुहम्मदाबाद) श्री विषगोई ने जलूस के लिये अनुमति न देने की सिफारिश की थी, फिर भी एकाएक आगामुद्दीन साह (डी०एम०) ने आज्ञा प्रदान कर दी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह सच नहीं है।

*५८-५९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रधान मंत्री के लखनऊ आगमन पर व्यय

*६०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रधान मंत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के जुलाई, सन् ६२ में लखनऊ आगमन पर उनके स्वागत इत्यादि में कितने लाख रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया, इस की पूर्ण तफसील जनहित में देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने कुल ४,५४५ रु० ३० नये पैसे व्यय किये। यह व्यय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पर हुआ।

*६१—श्री लखपतराम शर्मा—[हटा दिया गया।]

हिसार इलेक्ट्रिक कम्पनी में धांधली

*६२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास रायबरेली से शंकर लाल गुप्त का कोई पत्र हिसार इलेक्ट्रिक कम्पनी की धांधलेबाजी पूर्ण रवैया पर आया है? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त कम्पनी के दोषपूर्ण रवैये को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। श्री शंकर लाल गुप्त का एक शिकायती पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। उसमें लिखित शिकायतों की जांच मौके पर की गई परन्तु उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया।

खलीलाबाद में पावर लूम टेक्निकल मैनेजर को हटाना तथा यार्न प्रोपरेटरी फैक्टरी की स्थिति

*६३—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद में नियुक्त पावर लूम टैक्नीकल मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सार्वजनिक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है ?

श्री फूलसिंह—जी हां। परन्तु वह अब सरकारी सेवा से अलग कर दिये गये हैं।

*६४—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद सर्किल की कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, खलीलाबाद के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके खलीलाबाद में नियुक्त पावरलूम टैक्नीकल मैनेजर को हटाने की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*६५—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद में स्थापित यार्न प्रोपरेटरी फैक्टरी को सरकार द्वारा आवश्यक काम चलाऊ पूंजी (वर्किंग कैपिटल) न दिये जाने के कारण फैक्टरी को कठिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त फैक्टरी को बिना वर्किंग कैपिटल के किस प्रकार चलाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री फूलसिंह—(क) जी हां।

(ख) यूनियन को परामर्श दिया गया है कि वह यू०पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक या अन्य आर्थिक सहायता देने वाली संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करके वर्किंग कैपिटल का प्रबंध करे।

सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल एड देने की सिफारिश

*६६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों को जो मेडिकल रिइम्बर्समेंट दिया जाता था, वह कब से और किन कारणों से बन्द कर दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहली अप्रैल, १९६१ से। इसके मुख्य कारण यह हैं :—

(१) ताकि सरकारी कर्मचारियों को अपने या अपने आश्रितों पर चिकित्सा सम्बन्धी व्यय न करना पड़े और उनको सरकारी व्यय पर ही समस्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें सरकारी अस्पतालों से मिल जायें।

(२) रिइम्बर्समेन्ट के सम्बन्ध में जिस लिखा पढ़ी के करने में काफी समय लग जाता था, उसको समाप्त कर दिया जाये।

*६७—कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिइम्बर्समेन्ट देना बन्द कर दिया गया तो उसके स्थान पर मेडिकल एड उन कर्मचारियों को उनके माहवारी वेतन के साथ जो सौ रुपये से १५० रु० तक या उससे कम वेतन पाने वाले हैं उनको वह मेडिकल एड देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

डाक्टरों की कमी

*६८—श्री भगवानसहाय—क्या यह सही है कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि उन अस्पतालों में जहां इस समय डाक्टर नहीं हैं और कम्पाउन्डर ही डाक्टर का कार्य कर रहे हैं, जब तक इन अस्पतालों में डाक्टर नहीं पहुंच जाते तब तक राज्य में नये अस्पताल नहीं खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

अमीनाबाद, लखनऊ में बिजली बन्द होना

*६९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक २ सितम्बर, १९६२ को सांयकाल लगभग १ १/२ घंटे तक प्रदेश की राजधानी के मुख्य बाजार अमीनाबाद में एकाएक बिजली बिलकुल बन्द हो जाने के कारण घोर अंधकार तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अव्यवस्था का कारण बतायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । २ सितम्बर, १९६२ को अमीनाबाद सब-स्टेशन के केबिल में खराबी हो गयी थी । केबिल उस दिन अंधेरा हो जाने तक ठीक न हो सका और लोड कम करने हेतु, अमीनाबाद में शाम को ६.५० बजे से ८.२० तक बिजली बन्द करनी पड़ी ।

*७०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केबिल में खराबी किसी कर्मचारी की गलती से नहीं हुई थी परन्तु केबिल बाक्स (cable box) के अन्दर नमी के कारण अचानक शार्ट सर्किट (short circuit) हो गया था । इस कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*७१—श्री बृजेश्वरसहाय—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

पुरैनीगंज को बिजली देने की मांग

*७२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पुरैनीगंज तहसील बिसवां जिला सीतापुर के नागरिकों का कोई आवेदन-पत्र अध्यक्ष यू० पी० (Electricity Board) के पास अप्रैल, सन् १९६२ में आया था कि उक्त स्थान पर बिसवां से बिजली सप्लाई हेतु लाइन लगवाई जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच-पड़ताल की गयी जिससे पता चला कि यह अलाभकर है ।

*७३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सरकार को यह विदित है कि पुरैनीगंज बिसवां नगर से जहां तक हाइडिल की लाइन विद्यमान है केवल पांच फर्लांग है ? यदि हां, तो पुरैनीगंज के महत्व को देखते हुये जो कि गल्ले की बड़ी मंडी है बिजली लाइन ले जाने की कब तक योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । एक लो-टेनशन लाइन पुरैनीगंज से ५ फर्लांग की दूरी पर जा रही है परन्तु इसकी क्षमता अधिक भार सहन करने की नहीं है । अतएव इस नगर का विद्युतीकरण प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से फिलहाल सम्भव नहीं है ।

*७४–७६—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

फुलासी निवासी श्री बलवीरसिंह की हत्या

*७७—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलबीर सिंह निवासी ग्राम फुलासी, थाना आवला, जिला बरेली का कत्ल हुआ और पुलिस ने उसमें कोई पता लगाने की कोशिश नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । ग्राम फुलासी निवासी श्री बलवीर सिंह का कत्ल हुआ था । पुलिस ने भा० दं० वि० की धारा १४७–३०४ के अन्तर्गत अपराध रजिस्टर किया । मामले में आवश्यक जांच की गयी किन्तु मुलजिमान के विरुद्ध शहादत न मिलने के कारण पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*७८—श्री रामेश्वरनाथ—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्री बलवीरसिंह के वारिसों ने कोई दरख्वास्त आई० जी०, डी० आई० जी० और बरेली सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को जांच कराने के सम्बन्ध में दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक प्रार्थना पत्र श्री बलवीर सिंह के पिता श्री उजागर सिंह ने डी० आई० जी० पुलिस को दिया था ।

*७९–८१—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में विभिन्न अपराधों में गिरफ्तारियां

*८२—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में बदमाशों को पकड़ने के लिये हाल में कोई सप्ताह मनाया गया ? यदि हां, तो कितनी गिरफ्तारी थानेवार हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दयामशों को पकड़ने के लिए सप्ताह नहीं बल्कि दिनांक ३–७–६२ से १८–७–६२ तक पखवाड़ा मनाबा गया । वांछित सूचना संलग्न तालिका "क" में दी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७२२–७२३ पर)

*८३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गिरफ्तारी किस-किस दफा में की गई और कितनों में चार्जशीट और कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गिरफ्तारियां भा० दं० वि० की धारा ३९५, १६०, ४५४, ४५७, ३१९, ३८०, ३०२, ३६५, व सी० आर० पी० सी० की धारा १०९, ११०, १५१ तथा १९ आर्म्स ऐक्ट, ६० एक्साईज ऐक्ट, ९ ओपियम ऐक्ट, टेलीग्राम ऐक्ट, ई० एस० टी० पी० ऐक्ट, मोटर ऐक्ट तथा गम्बलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत हुईं । ८८८ के विरुद्ध चार्जशीट लगी । अभी फाइनल रिपोर्ट किसी व्यक्ति के मामले में नहीं दी गई है ।

*८४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१–६२ में डकैती और कत्ल की संख्या थानेवार क्या है ? इनमें कितने मुकदमे चलाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका "ख" में दी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७२२–७२३ पर)

*८५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*८६—श्री रघुवीर—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

मुजफ्फरनगर जिले में अपराध

*८७—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१–६२ में जिला मुजफ्फरनगर में कितने कत्ल व डकैतियां हुईं, उनमें से कितनों के चालान हुये, कितनों को सजा हुई और कितने छूटे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१–६२ में जिला मुजफ्फरनगर में ७५ कत्ल व ६७ डकैतियां हुईं। उनमें ४३ कत्ल व ४९ डकैतियों के चालान हुए, १४ कत्ल और १२ डकैतियों में सजा हुई व २० कत्ल व ८ डकैतियां छूटीं।

*८८—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१–६२ में जो मुकदमे कत्ल व डकैती के जिला जज के यहां से छूटे हैं उनमें से कितनों की अपील सरकार ने की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—छूटे हुए मुकदमों में से किसी में भी सरकार ने अपील नहीं की।

तुलसीपुर चीनी मिल अस्पताल का प्रबन्ध

*८९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी, कि तुलसीपुर चीनी मिल (गोंडा) के अस्पताल में नियमों के अनुसार दवाओं का पूर्ण प्रबन्ध नहीं है यदि हां, तो कब तक यह प्रबन्ध हो जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कारखाना अधिनियम १९४८ तथा उसके अन्तर्गत बने उत्तर प्रदेश कारखाना नियम १९५० के अनुसार कथित चीनी मिल में एक अम्बुलेंस रूम या डिस्पेंसरी होना आवश्यक है। नियमों के अनुसार उक्त चीनी मिल में एक अम्बुलेंस रूम तथा उसमें सभी निर्धारित सामग्री व फर्स्ट-एड बक्स उपलब्ध हैं।

*९०—श्री सुखदेवप्रसाद—जबकि Factory Act के अनुसार एक नर्स प्रत्येक मिल अस्पताल में रहती है, तो तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री अस्पताल में आज तक क्यों नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त चीनी मिल के अम्बुलेंस रूम में क्वालीफाइड नर्स के स्थान पर एक सेकेन्ड ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति काम करता है जिसे नर्स का काम करने के लिए आवश्यक मुक्ति प्राप्त है।

*९१—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या उक्त मिल में न तो कोई ठीक प्रकार का कैन्टीन है, न मजदूरों के आराम करने हेतु कोई विश्रामालय ही है ? यदि हां, तो इसका प्रबन्ध कब तक हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त मिल में कैन्टीन तथा विश्राम-गृह की व्यवस्था नियमानुसार उपलब्ध है।

बेला डिस्पेन्सरी की भूमि

*९२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेला (इटावा) की नई डिस्पेंसरी के अहाते में सरकार द्वारा शफाखाना के निर्माण के लिये भूमि हस्तगत करने के पश्चात् भी करीब १० बीघा गेहूं और मटर बोये गये थे ? यदि हां, तो उसकी फसल की पैदावार कहां जमा हुई ? शफाखाने के हिसाब में या डाक्टर के व्यक्तिगत हिसाब में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार बेला डिस्पेंसरी के लिये भूमि हस्तगत करने के पश्चात् उस पर कोई फसल नहीं बोई गई है। अतः पैदावार के जमा होने का प्रश्न नहीं उठता।

*९३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जबकि शफाखाने की बिल्डिंग को मुकम्मिल हुये एक साल से अधिक हो गया है तो अब तक बस्ती धर्मशाला से शफाखाना वहां न लाने के क्या कारण रहे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शफाखाने की बिल्डिंग के तैयार होने की सूचना २१-४-६२ को मिली थी। परन्तु पानी का उचित प्रबन्ध न होने के कारण वहां अस्पताल स्थानान्तरित नहीं किया गया। वहां पानी के लिये दो हैन्ड पम्प लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही इमारत हस्तगत करके वहां अस्पताल चालू कर दिया जायगा।

*९४—श्री चन्द्रबली सिंह—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में उद्योगों के लिये ऋण तथा तकावी

*९५—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में उद्योग विभाग द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु १९६१-६२ में कुल कितना रुपया ऋण रूप में बांटा गया और विभिन्न उद्योगों के अन्तर्गत किस-किस व्यक्ति को कितना रुपया अनुदान दिया गया ?

श्री फूलसिंह—कुल ६१,९०० रु० ऋण तथा तकावी के रूपों में दिया गया। जिन इकाइयों को अनुदान दिया गया उन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७२४ पर)

*९६—श्री रतीपाल—उपरोक्त सहायता पाये हुये व्यक्तियों में से कितनों ने उद्योग स्थापित किये और कितनों ने अब तक भी नहीं किये और जिन व्यक्तियों ने कोई भी उद्योग नहीं स्थापित किया सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री फूलसिंह—सहायता प्राप्त करने वालों में से १५ इकाइयों ने अभी तक उद्योग स्थापित नहीं किया है। चूंकि उपरोक्त सहायता १ अक्तूबर, १९६१ के पहले नहीं दी गई थी अतः नियमानुसार १ अक्तूबर, १९६२ से पहले किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*९७—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर बिजली कम्पनी को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

*९८—श्री मुहम्मद रफी खां—सरकार ने जिस तरह हरदोई बिजली कम्पनी को अपने हाथ में लिया है क्या सरकार उसी तरह शाहजहांपुर बिजली कम्पनी को अपने हाथ में लेकर वहां के लोगों को भी एक बहुत बड़ी लूट से बचाने में कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हरदोई बिजली कम्पनी को सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है। राज्य विद्युत परिषद ने इस कम्पनी को खरीदने का निश्चय किया है। शाहजहांपुर की बिजली कम्पनी को भी खरीदने का प्रश्न परिषद् के विचाराधीन है।

जिला परिषदों द्वारा निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृति लेना

*९९—श्री रघुनाथसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला परिषदों द्वारा सिंचाई अथवा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी होने वाले कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी पड़ती है ? यदि हां, तो इस स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार को अपने हाथ में रखने का प्रयोजन क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अन्तरिम जिला परिषदों को सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी साधारण कार्य के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। परिषदें अपना निर्माण कार्य स्वयं करती है। परन्तु जब प्रोजेक्ट (project) का तखमीना दस हजार

रुपये से अधिक होता है तो परिषद् को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की स्वीकृति लेनी होती है। पुलों के निर्माण का नक्शा और तखमीना यदि ५० हजार से अधिक रुपये का होता है तभी परिषद् को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा मुख्य अभियन्ता (Chief Engineer) की स्वीकृति लेनी होती है।

यह नियम केवल इसलिये है कि जिससे परिषद् को आवश्यक प्राविधिक सुझाव प्राप्त हो सके और उसके धन का अपव्यय न हो।

*१००—श्री रघुनाथसिंह—क्या शासन के वास्तविक विकेन्द्रीकरण के लिये निर्माण-कार्यों के लिये स्वीकृति प्रदान करने का यह अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शासन के विचार से उपर्युक्त व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

*१०१—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

जिला उद्योग समिति, आजमगढ़

*१०२—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ की उद्योग समिति में कौन-कौन सदस्य हैं और कौन-कौन सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं ?

श्री फूलसिंह—जिला उद्योग समिति, आजमगढ़ में निम्नलिखित सदस्य हैं:—

१—जिलाधीश	अध्यक्ष
२—श्री जेड० ए० अहमद	एम० एल० ए०
३—श्री झारखंडे राय	"
४—श्री चन्द्रजीत यादव	"
५—श्री सुरजन राम	"
६—श्री छांगुर राम	"
७—श्री सत्यदेव सिंह	"
८—श्री मंगल देव	"
९—श्री भीमा प्रसाद	"
१०—श्री राम सुन्दर पांडेय	"
११—श्री उमा शंकर मिश्र	"
१२—श्री बृजबिहारी मिश्र	"
१३—श्री इन्द्रासनसिंह	"
१४—श्री अमजद अली	"
१५—श्री दौलत लाल	"
१६—श्री राम हरष यादव	एम० पी०
१७—श्री जयबहादुर सिंह	"
१८—श्री रामबिलास पाण्डे,	एम० एल० सी०

१९—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी, सदस्य, हैण्डलूम बोर्ड, यू० पी०
२०—श्री रामकुंवर सिंह, अध्यक्ष, अ० जि० परिषद्
२१—जिला पूर्ति अधिकारी
२२—अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग
२३—एजेन्ट, स्टेट बैंक
२४—जिला नियोजन अधिकारी
२५—जिला उद्योग अधिकारी, मंत्री

सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य:—

२६—श्री अब्दुर्रहमान
२७—श्री नाथ, भूतपूर्व एम० एल० ए०
२८—श्री शिवराम, सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी

*१०३—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि समिति के कुछ सदस्य स्वयं काफी कर्ज उद्योग विभाग से ले लिये हैं? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं और कितनी कितनी धनराशि कर्ज में ले चुके हैं?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

*१०४–१०५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०६—श्री शारदानन्द—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

*१०७–१०९—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

ऐशबाग प्रेस की मशीनें

*११०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रेस ऐशबाग के मोनो आपरेटिंग तथा कास्टिंग की कितनी मशीनें कितने दिनों से बेकार पड़ी हुयी हैं और क्यों तथा उनकी क्या लागत है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय कोई मोनो टाइप की बोर्ड या कास्टिंग मशीन बेकार नहीं है तथा सभी मशीनें चालू हालत में हैं सिवा उनके जिनमें कोई आर्जी खराबी आ गई हो। अतः बेकार पड़ी मशीनों की संख्या तथा लागत का प्रश्न नहीं उठता।

*१११—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६० से ३१ मार्च, १९६२ तक छपाई की कितनी मशीनें बेकार पड़ी रहीं और क्यों तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रेटक्लिफ (Ratcliff) नामक एक डाइरेक्ट रोटरी लिथो मशीन के अतिरिक्त कोई और छपाई की मशीन १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ की पूरी अवधि तक बेकार नहीं पड़ी रही; उक्त मशीन लगभग ३२ वर्ष पुरानी है और वर्तमान दशा में चलने योग्य नहीं है।

अतः उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता।

*११२—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ तक कुल कितने कर्मचारी काम न होने के कारण राजकीय प्रेस ऐशबाग में नो वर्क पा रहे हैं और नो वर्क पर रहने के बावजूद भी कितना रुपया सरकारी खजाने से इन कर्मचारियों को दिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय प्रेस ऐशबाग का कोई कर्मचारी नो वर्क के कारण १ अप्रल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ की अवधि तक लगातार अकर्मण्य नहीं रहा।

इस अवधि में समय समय पर नो वर्क में रहे कुल कर्मचारियों की संख्या ६०–६१ में २६ व ६१–६२ में २६ थी। नो वर्क के फलस्वरूप १९६०–६१ में २६,०५९ रु० तथा १९६१–६२ में ४४,४१८ रुपया दिया गया।

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर बांदा

*११३—श्री मतोला सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को पता है कि नरेशचन्द्र वर्मा को बांदा जिले में डी० पी० ओ० पद पर चार वर्ष से ऊपर हो चुका है और वह बदस्तूर कार्य कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। किन्तु उन्हें अभी चार वर्ष पूरे नहीं हुये है।

*११४—श्री मतोलासिंह—जब उन्हें तीन वर्ष बाद ही बांदा से तबादला कर देना चाहिये तब ऐसा न करने का क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रशासकीय कारणों से उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया।

*११५—श्री मतोलासिंह—सरकार क्या डी०पी० ओ० बांदा के तबादले की सोच रही है? अगर हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी, नहीं।

जी० आर० पी० चौकी, वाराणसी के मालखाने से सामान गायब होना

*११६— श्री जगदीशप्रसाद तथा श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २३, २४ मार्च, १९६२ की रात्रि को जी०आर० पी० पुलिस स्टेशन वाराणसी सिटी के मालखाने से जो ६० live cartridges, १५० रु० नकद तथा तीन रिवाल्वर गायब हो गये थे, उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २३/२४ मार्च, १९६२ की रात्रि को जी०आर०पी० चौकी वाराणसी सिटी के मालखाने से ३ रिवाल्वर, ६० live cartridges और २१८ ० २५ न० पै० की चोरी होना पाया गया।

इस संबंध में धारा ४५७ भा०दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया और अभी जांच जारी है। एक हेड कांस्टेबिल और एक कांस्टेबिल को मुअत्तल भी किया जा चुका है।

*११७—श्री नाथूराम शिक्षक—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

*११८-११९—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२०—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—[१३ वें सोमवार के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२१—श्री सोहनलाल धुसिया—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२२-१२४—श्री रामप्यारे—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२५—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६-१२८— श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अस्थायी नर्सें

*१२९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में ऐसी कितनी नर्सें है जिनको स्थायी नहीं किया गया है और उन्हें १० व १५ वर्ष नौकरी करते हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसी २४ नर्सें हैं।

*१३०—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या कुछ ऐसी भी नर्सें हैं जिन्हें केवल २ या ३ वर्ष की नौकरी के पश्चात् ही स्थायी कर दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

एल० एच० शुगर मिल्स, पीलीभीत पर ऋण

*१३१—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत की एल० एच० शुगर मिल ने जो ३० जून, १९६२ को बन्द हो चुकी है अभी तक किसानों का लगभग २० लाख रुपया अदा नहीं किया है? यदि हां, तो सरकार मिल से रुपया दिलाने की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२४ सितम्बर, १९६२ को इस मिल पर १९६१-६२ सीजन का किसानों के गन्ने के मूल्य का केवल रु० १२. ९८ लाख बकाया रह गया है। गन्ना आयुक्त ने इस मिल के विरुद्ध बकाया रकम की वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया था।

चुर्क सीमेण्ट का उत्पादन तथा भाव

*१३२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क में जो सीमेंट निर्माण होता है उसकी प्रति बोरी लागत क्या है और किस मूल्य पर बोरी बेची जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देना जनहित में उचित नहीं समझा जाता। परन्तु यह बता देना उचित है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से सीमेंट फैक्ट्री को प्रति बोरा (सीमेन्ट मात्र) १-११-१९६१ से रु० ३.४७५ (रु० ६९.५० प्रति मीट्रिक टन) मिलता है। जहां तक दूसरे भाग का उत्तर है, प्रति सीमेंट बोरी की कीमत १-१०-१९६२ से रु० ६.५६ न०पै० (रु० १३१.२५ प्रति मीट्रिक टन) निकटतम रेलवे स्टेशन तक (एक्साइज ड्यूटी, बोरे की कीमत, रेल भाड़ा सहित) निश्चित की गई है। उक्त मूल्य में स्टेशन पर उतराई, स्टेशन से गोदाम तक भाड़ा, गोदाम का किराया, स्टाकिस्ट का प्रति बोरा मुनाफा तथा सेल्स टैक्स इत्यादि जोड़ दिया जाता है। यह प्रासंगिक व्यय हर जिले में अलग-अलग होता है और उसको जिलाधीश नियत करते हैं।

नवाबगंज तहसील में चालानी रिपोर्ट के बिना मुल्जिम की पेशी

*१३३—श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में १ जनवरी, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक प्रत्येक तहसील से कितने ऐसे मुलजिम गिरफ्तार करके धारा १०९ व ११० में पुलिस द्वारा फौजदारी न्यायालयों में भेजे गये जिनके साथ पुलिस की चालानी रिपोर्ट न्यायालयों में नहीं भेजी गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में ऐसा केवल एक मुलजिम, तहसील नवाबगंज से धारा १०९ में गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया था जिसके साथ चालानी रिपोर्ट नहीं भेजी गयी थी।

*१३४—श्री मुहम्मद हुसैन—क्या यह सत्य है कि मुलजिमों की चालानी रिपोर्ट गिरफ्तारी के समय न्यायालयों में मुलजिमों के साथ न भेजने के कारण मुलजिमों की जमानतें उसी दिन न हो सक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। उक्त मुलजिम की जमानत उसी दिन ले ली गई थी।

चीनी मिलें

*१३५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कौन-कौन चीनी मिल सरकार के हाथ में हैं और उनसे गत वर्ष क्या आमदनी हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की कोई चीनी मिल राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री दूधनाथ लाल, लेखपाल द्वारा आत्महत्या

*१३६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री चन्द्रबली सिंह—क्या सरकार को पता है कि श्री दूधनाथ लाल, लेखपाल २०, २१ अगस्त की रात को इलाहाबाद वाली गाड़ी से मड़ियाहूं स्टेशन जिला जौनपुर के आउटर सिगनल पर कटकर मर गये ? यदि हां, तो उसके मरने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २०/२१ अगस्त, १९६२ की रात को तो नहीं किन्तु दिनांक १९/२० अगस्त, १९६२ की रात को लगभग ८ बजे श्री दूधनाथ लाल, लेखपाल ने कथित स्थान पर उस गाड़ी के नीचे कट कर आत्म हत्या की थी। इस आत्म हत्या का कोई संतोषजनक कारण अब तक मालूम नहीं हो सका। इस संबंध में जांच जारी है।

ब्लाक प्रमुखों का चुनाव

*१३७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा) तथा श्री बेदराम (जिला एटा)—क्या सरकार बतायेगी कि ८ जुलाई को प्रदेश में ब्लाक प्रमुखों का निर्वाचन हुआ है और वह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैधानिक घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*१३८—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री गंगाप्रसाद तथा श्री बेदराम—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में ही ब्लाक प्रमुखों का दुबारा चुनाव होने जा रहा है ? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

रिहन्द बांध पर मछलियों का ठेका

*१३९—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह रिहन्द बांध पर मछलियों का शिकार करने के लिये ठेका दे रही है अथवा नीलाम कर रही है ? यदि हां, तो यह ठेका या नीलाम कितने समय के लिये और कब से कब तक होगा ? क्या सरकार कोई निश्चित धनराशि इस ठेके या नीलाम से प्राप्त करने की आशा रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार कोई ठेका या नीलाम नहीं कर रही है।

*१४०—श्री सहदेवसिंह—क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि रिहन्द बांध पर यह ठेका देने के संदर्भ में केंद्रीय सरकार की आज्ञा की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने यह आज्ञा प्राप्त कर ली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केंद्रीय सरकार की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

*१४१-१४३—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—[१३ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ९-७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कुष्ठ रोग

*१४४—श्री छेदालाल चौधरी—क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि समाज में कुष्ठ जैसे भयानक (infectious disease) रोग से पीड़ित भिक्षुकगण सारे प्रदेश में घूम-फिर कर भिक्षा वृत्ति करते हैं और रोग फैलाते हैं? यदि हां, तो उसकी अविलम्ब रोक-थाम के लिये क्या कुछ उपाय किये जा रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अन्य भिक्षुकगणों की भांति कुछ कुष्ठ रोगी भी भिक्षा-वृत्ति करते हैं परन्तु समाज से पृथक् रहने के करण रोग फैलने में इन भिक्षुओं का विशेष हाथ नहीं है। इस संबंध में चेष्टा यह है कि साधारण जनता में कुष्ठरोग उस सीमा तक न पहुंच पावे कि कुष्ठ रोगी भिक्षा मांगने को बाध्य हो जायें।

"निराली दुनिया" के सम्पादक के विरुद्ध कार्यवाही

*१४५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार का ध्यान "निराली दुनिया" साप्ताहिक मुजफ्फरपुर में प्रकाशित "निराली दुनिया" के सम्पादक "पुलिस की तानाशाही के शिकार" शीर्षक समाचार की ओर गया है? यदि हाँ, तो उस विषय में सरकार क्या कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। संबंधित समाचार में उल्लिखित घटना के संबंध में श्री चमन लाल चावला, संपादक "निराली दुनिया" का चालान हो चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस बारे में कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

*१४६-१४७—श्री भगवानसहाय—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन संरक्षण

*१४८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों को जो १८ प्रतिशत सरक्षण प्राप्त है क्या उसकी पाबन्दी अन्तरिम जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं पर नहीं है? यदि हाँ, तो क्या १८ प्रतिशत संरक्षण देने वाले जी० ओ० में ऐसी व्यवस्था है और यदि नहीं, तो फिर नोटीफिकेशन संख्या २३८-बी/९-ए—८६३-५१, दिनाँक १६ मार्च, १९५६ द्वारा स्थानीय निकायों से हरिजन संरक्षण समाप्त करने का क्या आधार है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हरिजनों को राजकीय सार्वजनिक सेवाओं में १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व व संरक्षण प्रदान किया गया है। इस राजाज्ञा की पाबन्दी स्थानीय निकायों पर नहीं है। स्थानीय निकायों के लिये अलग से राजाज्ञा प्रसारित की गई थी, जिसके अनुसार स्थानीय निकायों को यह सुझाव दिया गया था कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में १९५१ की जनगणना के आधार पर हरिजनों को रिक्त स्थानों में संरक्षण दें। शासकीय विज्ञप्ति संख्या २३ बी/९-८६३/६१ दिनाँक १६ मार्च, १९५६ में संरक्षण इसलिये समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसके अनुसार हरिजनों को १० प्रतिशत संरक्षण दिया गया था बिना इस बात का विचार किये हुये कि स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आने वाले परिगणित जातियों का पूर्ण जनसंख्या के आधार पर क्या अनुपात है। इस प्रकार उक्त विज्ञप्ति द्वारा हरिजनों के संरक्षण को स्थानीय निकायों में समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*१४९—श्री रघुबीरसहाय कैथवार—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त नोटीफिकेशन संख्या २३८-बी/९-ए—८६३-५१, दिनाँक १६ मार्च, १९५६ में लिखित विषय के स्पष्टीकरण हेतु प्रेसीडेन्ट, अन्तरिम जिला परिषद्, फतेहपुर द्वारा भेजा गया पत्र संख्या ए-३-पी, फतेहपुर-१३१०/२३-२२/६१-६२, दिनाँक १५ जनवरी, १९६२ प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अध्यक्ष, अंतरिम जिला परिषद्, फतेहपुर से सन्दर्भित जी० ओ० के बारे में दिनाँक १५ जनवरी, १९६२ का कोई पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

गोंडा जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिये हैन्ड पम्प

*१५०—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में बाढ़ ग्रसित एरिया के गाँवों में हैन्ड पम्प लगाने की योजना है ? यदि हाँ, तो किन-किन गाँवों में कितनी संख्या में यह सुविधा प्रदान की जावेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। उक्त जिले के बाढ़ ग्रसित एरिया में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हैंड पम्प लगाने की योजना है। यह अभी निश्चत नहीं है कि किन किन गाँवों में कितने कितने हैन्ड पम्प लगाये जायेंगे। इसका निर्णय खंड स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जायगा।

जिला परिषद्, बाराबंकी की प्रदर्शनी

*१५१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९६२ में दाशमिक बाँट प्रणाली को देहाती जनता में प्रचारार्थ अन्तरिम जिला परिषद् बाराबंकी के प्रांगण में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और क्या इसमें कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन किया गया ? यदि हाँ, तो अलग-अलग इस पर कितना धन व्यय हुआ ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—जुलाई, १९६२ में इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया गया। जून, १९६२ में ऐसा आयोजन किया गया था और उस संबंध में कवि सम्मेलन तथा मुशायरे का भी आयोजन किया गया था, जिन पर क्रमशः रु० ९५.७५ न० पै० तथा रु० १०५.७५ न० पै० व्यय हुए।

*१५२—श्री गिरजाप्रसाद—क्या सरकार कवि सम्मेलन तथा मुशायरा की उपयोगिता के संबंध में भी जानकारी कराने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—आम तौर से कवि सम्मेलन तथा मुशायरे के आयोजनों में जनता अधिक से अधिक संख्या में एकत्र होती है। अतः प्रचार से संबंधित विषय पर पढ़ी गई कविताएं तथा शायरी के माध्यम से प्रचार हो जाता है और जनता अधिकाधिक लाभान्वित भी होती है।

*१५३—श्री गणेशचन्द्र काछी—[हटा दिया गया।]

*१५४-१५६—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

रायबरेली में मुख्य मंत्री का दौरा

*१५७—श्री रतीपाल—क्या यह सही है कि जिला रायबरेली में मुख्य मन्त्री का दौरा २३ जुलाई, १९६२ को हुआ है ? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, दौरे का कार्यक्रम केवल राय बरेली नगर में था।

अतारांकित प्रश्न

काश्मीरी ज्वाइन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, कल्यानपुर का प्रार्थना-पत्र

१—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिनाँक ३० जुलाई, १९६२ को काश्मीरी ज्वाइन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी कल्यानपुर, तहसील सितारपुर, जिला ननीताल से मिला है ? यदि हाँ, तो सरकार ने उसमें क्या किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। इस पर विचार किया जा रहा है।

२—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि श्री रतन सिंह ने हल्के के थानेदार से मिलकर ताकत के जोर से दो हजार मन मसूर और ५० बोरी चना उस सोसाइटी का उठा लिया ? यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, यह सरकार के विचाराधीन है।

३—श्री रियासत हुसैन—क्या कोई मेमोरैन्डम थानेदार के हल्का की शिकायत के बारे में मुख्य मंत्री जी को मिला ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। इस पर विचार किया जा रहा है।

४-५—श्री बृजेश्वरसहाय —[हटा दिये गये।]

डिबाई ब्लाक का हेडक्वार्टर

६—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री के पास जून व अप्रैल, १९६२ में डिबाई ब्लाक के प्रधानों ने ब्लाक का डिबाई Head quarter रखा जाय माँग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। अभी यह विषय क्षेत्रीय विकास समिति के विचाराधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

७—श्री बृजेश्वरसहाय —[हटा दिया गया।]

मैनपुरी जिले में इंडस्ट्रियल स्टेट के लिये अध्याप्त भूमि

८—श्री बृजेश्वरसहाय (अनुपस्थित)—मैनपुरी जिले में इन्डस्ट्रीज एरिया के लिये जमीन लेने के कारण जो व्यक्ति भूमिहीन हो जावेंगे उनको भूमि देने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री फूलसिंह—मैनपुरी जिले में इंडस्ट्रियल स्टेट के लिये (Developed site) के लये भूमि अध्याप्त किये जाने के फलस्वरूप भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देने के निमित्त सरकार की कोई योजना नहीं है।

९—श्री बृजेश्वरसहाय—[हटा दिया गया।]

१०-१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

१३-१५—श्री रियासत हुसैन—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

रामपुर के बंगलों में चोरियां

१६—बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के सरकारी बंगलों में इस वर्ष कितनी चोरियां हुई हैं और कितनीचोरियां बरामद हो सकी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रामपुर में इस वर्ष तीन सरकारी बंगलों अथवा क्वार्टरों में चोरियां हुईं । इनमें से एक चोरी के मामले में माल बरामद हुआ है ।

१७—बेगम किश्वर आरा—क्या यह सत्य है कि डी० एम० रामपुर के बंगले की चोरी का पता लगाने के लिये जासूसी कुत्ते काम में लाये गये और उनमें से एक कुत्ता खोज करता हुआ सी० आर० पी० लाइन तक पहुंचा ? अगर हां, तो यह कुत्ता वहां क्या करने गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश रामपुर के बंगले की चोरी का पता लगाने के लिये जासूसी कुत्ते नहीं मंगाए गये थे किन्तु संराधन अधिकारी (Regional Conciliation officer) के बंगले की (उनका बंगला सरकारी नहीं है, किराए पर है) चोरी का पता लगाने के लिये कुत्ते मंगाए गये थे । उनमें से एक कुत्ता सी० आर० पी० लाइन तक गया लेकिन उसने किसी मकान या आदमी की ओर इशारा नहीं किया । अतः वह उस ओर क्यों गया, यह कहना कठिन है ।

रामपुर की इंजीनियरिंग कम्पनी में मजदूरी

१८—बेगम किश्वर आरा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर की इंजीनियरिंग कम्पनी लि० मजदूरों को १.३१ न० पैसे प्रति दिन देती है और गरहाजिरी के कारण १.५० न० पैसे काटती है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस कम्पनी में अकुशल श्रमिक को १.३१ रुपया प्रति-दिन मिलता है । प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर "जी नहीं" में है ।

१९—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरदोई जिले में फायर आर्म्स लाइसेन्स

२०—श्री जे० पी मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरदोई जिले में कुल फायर आर्म्स के कितने लाइसेन्सेज हैं और सन् १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ व १९६२ में अलग-अलग हर साल कितने लाइसेन्सेज दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हरदोई जिले में इस समय कुल ५,३८५ लाइसेन्सेज फायर आर्म्स के हैं और सन् १९५८, ५९, ६०, ६१ व ६२ में क्रमशः २७७, ४६२, ७८४, १,९१० व ९४ लाइसेन्सेज दिये गये ।

२१—श्री जे० पी० मिश्र—सन् १९५९–६० व १९६१ में कितने लाइसेन्स पुलिस और मैजिस्ट्रेसी के खिलाफ रिपोर्ट होने पर भी मंजूर किये गये और कितने लाइसेन्स पुलिस व मैजिस्ट्रेसी की सिफारिश से हर साल दिये गये तथा कितने लाइसेन्स बगैर किसी सरकारी अधिकारी की सिपारिश के सीधे दे दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सूचना एकत्रित करने में जितना श्रम, समय तथा व्यय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये बहुत अधिक होगा ।

२२—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में ग्राम सुरक्षा समितियों से जिन ग्रामों में फायर आर्म्स के लाइसेन्स नहीं हैं उनके नामों की तहकीकात कराई जा कर भी लगभग ६ मास से अधिक हो चुका लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं और उन ग्रामों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार के कुछ ग्रामों की सूचियां तैयार हो चुकी हैं किन्तु प्रत्येक गांव में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के मामले में आवश्यक छान बीन में अवश्य कुछ समय लगेगा तभी लाइसेंस दिये जा सकेंगे। फिर भी यथासंभव शीघ्र लाइसेंस दिये जायेंगे।

राजकीय पायलेट वर्कशाप, बकेवर

२३—**श्री सहदेवसिंह**—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के स्थित (राजकीय पायलेट वर्कशाप, बकेवर) में गत एक महीने से अधिक से कोई ट्रेड्स में कोई शिक्षक नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार उन स्थानों पर नये शिक्षक भेजने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है और यह प्रबन्ध कब तक हो जायेगा?

श्री फूलसिंह—जी हां। दो शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और एक शिक्षक की नियुक्ति के लिये ३ अक्टूबर, १९६२ को साक्षात्कार हो गया होगा।

२४—२६—**श्री देवदत्त मिश्र**—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पावरलूम योजना

२७—**श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न सर्किलों में कितने-कितने पावरलूम अलाट किये गये, लगाये गये तथा कितने कितने उत्पादन कार्य में लगे हुये हैं? अलाट किये गये पावर लूमों में अब तक कितने नहीं लगाये गये तथा इसका क्या कारण है?

श्री फूलसिंह—पावर लूम योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में विभिन्न सर्किलों में जो पावरलूम एलाट हुए हैं, उनके संबंध में वांछित विवरण नीचे दिया जाता है :—

क्रम संख्या	नाम सर्किल	संख्या पावरलूम जो एलाट किये गये	संख्या पावरलूम जो लग चुके हैं	संख्या पावरलूम जो उत्पादन कार्य में आ चुके हैं	संख्या पावरलूम जो अब तक न लग सके हैं	एलाट किये गये पावरलूमों को अब तक न लगाए जाने के कारण
१	२	३	४	५	६	७
१	शलीलाबाद सर्किल	२२५	१४७	७९	७८	पहली स्वीकृति २६८ पावरलूमों की सन् १९५९–६० में हुई थी, जिसमें से २२१ पावरलूम लग चुके हैं और ४७ लगना शेष है जैसा कि इस चार्ट से विदित होगा। जिन समितियों को यह पावरलूम एलाट किये गये वे अभी तक भवन निर्माण कार्य इमारती सामान मिलने की अनुविधा तथा समितियों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण पूरा को पूरा करने में लगी हैं।
२	टांडा सर्किल ..	१६५	१२७	६०	३६	
३	मऊ सर्किल ..	१००	—	—	१००	
४	संडीला सर्किल	१४३	—	—	१४३	
	योग ..	६३१	२७४	१३९	३५७	

नहीं कर सकीं। फिर भी ये समितियां अपने भवन निर्माण जैसे ही भवन पूरे हो जायंगे ये ४७ पावरलूम भी लग जायेंगे।

३६३ पावरलूमों की स्वीकृति १९६०–६१ में हुई थी। ये पावरलूम एलाट होकर समितियों को अप्रैल व मई, १९६२ में दिये गये हैं। इनमे अभी तक ५३ पावरलूम लग सके हैं, बाकी पावरलूमों को लगाने के लिये समितियां भवन बनवा रही है। चूंकि भवन समितियों को स्वयं अपने पास से धन लगाकर बनाने हैं और इमारती सामान मिलने में कठिनाइयां हैं इस कारण भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। यह कार्य चल रहा है। जैसे ही भवन बन जायेंगे, बाकी पावरलूम लगा दिये जायेंगे।

२८—**श्री जेड०ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव** तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पावरलूम स्कीम के अन्तर्गत अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है? क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री फूलसिंह—(क) पावरलूम योजना के अन्तर्गत अब तक रु० ३१,०२,७७७.५० न० पै० खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) जी हां।

(ग) यह योजना भारत सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है।

२९—**श्री जेड०ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव** तथा **श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पावरलूम स्कीम के अन्तर्गत स्थापित यार्न प्रीपरेटरी फैक्टरियों को चलाने के लिये कितने वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है?

श्री फूलसिंह—पावरलूम योजना के अन्तर्गत स्थापित यार्न प्रिपरेटरी फैक्टरियों को प्रति फैक्ट्री एक पाली प्रति दिन चलाने के आधार पर लगभग २,२३,००० रुपये की वार्षिक कैपिटल की आवश्यकता है।

ए० पी० पीज० का हाउस रेन्ट

३०—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, मेरठ और लखनऊ में ए० पी० पीज० और सब इन्सपेक्टर का केडर एक होते हुये भी ए०पी०पीज० को हाउस रेंट सब-इन्स्पेक्टरों से कम दिया जा रहा है? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ए० पी० पीज० और पुलिस सब-इंस्पेक्टर का केडर अलग अलग है। वाराणसी, मेरठ और लखनऊ में ए० पी० पीज० को १८ रु० ७५ नये पैसे प्रति माह तथा सब इंस्पेक्टरों को लखनऊ, वाराणसी में ३० रु० और मेरठ में २२ रु० ५० नये पैसे प्रति माह हाउस रेन्ट दिया जाता है।

३१—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शहरों में जहां पहले उन्हें हाउस रेन्ट बराबर मिलता था उसे भी घटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि वाराणसी और लखनऊ में ए० पी० पीज० को ३० रु० प्रति माह की दर से हाउस रेन्ट दिया गया, परन्तु यह गलती से दिया गया था, जिसका सुधार बाद में कर दिया गया। मेरठ में ए० पी० पीज० को हाउस रेन्ट १८ रु० ७५ नये पैसे प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है।

शाहजहांपुर जिले में बेकारी

३२—**श्री मुहम्मद रफी खां**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में २ अप्रैल, १९६० से लेकर ३ मार्च, १९६२ तक कितने आदमी बेरोजगार थे और उनमें से कितने आदमियों को रोजगार दिलाया जा सका?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

३३—**श्री मुहम्मद रफी खां**—क्या सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिये शाहजहांपुर में कोई योजना बनाई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सभी योजनायें किसी न किसी अंश में बेरोजगारी को दूर करती हैं ।

एतमादपुर क्षेत्र में औषधालय

३४—**श्री शिवचरण** (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा क्षेत्र एतमादपुर उत्तर में कितने सरकारी अस्पताल हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस क्षेत्र में अभी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है परन्तु अन्तरिम जिला परिषद् आगरा द्वारा संचालित १ एलोपैथिक डिस्पेन्सरी एतमादपुर में तथा २ आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्रमशः खंदौली और रूपधन में कार्य कर रहे हैं ।

जामों विकास क्षेत्र के लिये स्वास्थ्य केन्द्र

३५—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—(जिला सुल्तानपुर) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र विकास समिति जामों, जिला सुल्तानपुर, के प्रस्ताव नं० १४, दिनांक २९ जलाई, १९६२ पर विचार करके अस्पताल में किस निश्चित तिथि तक वार्ड बनने का कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आशा है कि अस्पताल में वार्ड बनने का कार्य नवम्बर, १९६२ में प्रारम्भ हो जायगा ।

३६—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र विकास समिति जामों, जिला सुल्तानपुर, के प्रस्ताव नं० १५, दिनांक २९ जुलाई, १९६२ पर विचार करके किस निश्चित तिथि तक क्षेत्र में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ अक्टूबर, १९६३ के बाद जब ब्लाक के बजट में आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जायेगी तब 'जामों ब्लाक' में प्रारम्भिक केन्द्र तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले जा सकेंगे ।

३७—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार को विदित है कि जिला सुल्तानपुर के क्षेत्र विकास खंड जामों के हरदों ग्राम में एक डिस्पेन्सरी की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो निकट में कोई डिस्पेन्सरी न होने तथा तालाबी क्षेत्र होने के कारण लोगों को दूर आने में बड़ी कठिनाई होती है, अतः क्या जनता की असुविधा तथा कष्ट को ध्यान में रख कर इसी वर्ष वहां डिस्पेन्सरी खोलवाने की व्यवस्था वह करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि हरदों ग्राम किसी विकास क्षेत्र का केन्द्र नहीं है, इसलिये एक एलोपैथिक अस्पताल नहीं खोला जा सकता है ।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

३८—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग के एक अधिकारी द्वारा प्रेस के निम्न श्रेणी के सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, बलात् शक्ति प्रयोग, अपशब्द तथा अभद्र व्यवहार किया गया जिसकी शिकायत राज्य सरकार के उद्योग विभाग को भी दी गयी ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शिकायत की जांच की गई और वह निराधार पाई गई है; इसलिये सरकार द्वारा उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

३९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की निधन तिथि दिनांक २ जुलाई, १९६२ को राज्य सरकार द्वारा घोषित शोक दिवस के अवसर पर राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग तथा हजरतगंज शाखा प्रेस (मुद्रणालय) बन्द नहीं किया गया और अधिकारियों ने कर्मचारियों को शोकसभा करने हेतु अवकाश भी नहीं प्रदान किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय आदेशानुसार २ जुलाई, १९६२ को केवल कार्यालय ही बन्द किये गये थे, इसलिये राजकीय प्रेस, ऐशबाग तथा ब्रान्च प्रेस के औद्योगिक अनुभागों को बन्द नहीं किया गया, किन्तु औद्योगिक कर्मचारियों को शोक सभा करने हेतु आवश्यक अवकाश दिया गया था।

४०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस के मजदूरों ने जहां मध्यान्तर में शोक सभा आयोजित किया तब कोई भी अधिकारी उस सभा में उपस्थित नहीं हुआ और न सभा आयोजित करने वालों को किसी अन्य प्रकार से सहयोग ही प्रदान किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि अधिकारियों ने ऐशबाग प्रेस में आयोजित शोक सभा में भाग ले लिया था, इसलिये उनके ब्रांच प्रेस में आयोजित शोक सभा में उपस्थित होने का प्रश्न नहीं उठता था। ब्रांच प्रेस में शोक सभा आयोजित करने हेतु कर्मचारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया था।

पावर लूम योजना

४१—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव, तथा श्री झारखंडे राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पावरलूम चलाने के लिये वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में सरकार के पास कोई एस्टीमेट (प्राक्कलन) मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—(क) जी हां।

(ख) पावरलूम चलाने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का प्राक्कलन (एस्टीमेंट) संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७२५ पर)

४२—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में पावर लूम सहकारी समितियों को उपरोक्त प्राक्कलन के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

४३—श्री जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) तथा संडीला (हरदोई) में यार्न प्रीपरेटरी फैक्टरियां कब तक स्थापित हो जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री फूलसिंह—कथित फैक्टरियां यथा समय स्थापित होंगी। संडीला में फैक्टरी के भवन का निर्माण-कार्य चल रहा है और अब तक ८ फीट की ऊंचाई तक भवन की दीवारें उठ चुकी हैं। फैक्टरी की मशीनें आ चुकी हैं। जैसे ही भवन बन जायगा, मशीनें लगाने का कार्य आरम्भ हो जायगा। मऊ में फैक्टरी के लिए सोसाइटी ने जमीन खरीद ली है और जमीन को बराबर करके ईंटों की चहारदीवारी बना ली गई है। फैक्टरी का नक्शा बन चुका है और सोसाइटी शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने जा रही है।

पौड़ी अग्निकांड

४४--श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पौड़ी (उत्तर प्रदेश) में २० मई, १९६२ को एक भीषण अग्निकांड हो गया जिसके परिणाम स्वरूप श्री जी० एन० मित्तल मेडिकल स्टोर तथा अन्य ८ दूकानों का सारा सामान भस्मसात हो गया ? यदि हां, तो कितनी आर्थिक हानि का अनुमान है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, दिनांक २०/२१ मई, १९६२ की रात को पौड़ी में आग लगने की ऐसी घटना हुई है। इसमें १,१६,५७० रुपये की संपत्ति की क्षति होने का अनुमान है।

४५--श्री रामचरण शाह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के एक नागरिक सकलानन्द ने आग लगाई है,इस आशय की नामजद रिपोर्ट किये जाने के बाद भी अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस से इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। घटना के बारे में जो रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई है उसमें श्री सकलानन्द नामजद नहीं किये गये हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

इस मामले में जांच जारी है।

४६-४७--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

४८-४९--श्री सुखदेवप्रसाद--[हटा दिये गये।]

वाराणसी हवाई अड्डे पर हैन्डीक्राफ्ट शो

५०--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी हवाई अड्डे (बाबतपुर) में हैन्डीक्राफ्ट का एक दो शो केस में सामान कई वर्षों से रक्खा गया है और उसकी देख-रेख के लिये दो कर्मचारी भी रक्खे गये हैं ? यदि हां, तो हैन्डीक्राफ्ट के सामानों की बिक्री न करने के कारण क्या हैं ?

श्री फूलसिंह--जी हां। सिविल ऐवियेशन अधिकारियों द्वारा हैन्डीक्राफ्ट की वस्तुओं की बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

५१--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि रोजाना सैकड़ों की तादाद में विदेशी मेहमान इस हवाई अड्डे से आते जाते हैं इसलिये इस स्थान में एक हैन्डीक्राफ्ट की अच्छी दुकान सरकार बिक्री हेतु खोलने पर विचार करेगी ?

श्री फूलसिंह--हैन्डीक्राफ्ट्स की वस्तुओं की बिक्री हेतु सिविल ऐवियेशन विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

५२--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि सारनाथ वाराणसी में ३ वर्ष पहले हैन्डीक्राफ्ट की एक ट्राली में सामान बेचा जाता था और काफी तादाद में बिक्री होती थी ? यदि हां, तो क्यों वहां से इस कार्य को बन्द कर दिया गया ? क्या सरकार पुनः सारनाथ में हैन्डी-क्राफ्ट की दुकान खोलने पर विचार करेगी ?

श्री फूलसिंह--जी हां। सारनाथ में ३ वर्ष पूर्व हैन्डीक्राफ्ट का सामान एक ट्राली में बेचा जाता था परन्तु बिक्री कम होने के कारण ट्राली बन्द कर दी गई। सारनाथ में पुनः दुकान खोलने का कोई विचार इस समय नहीं है।

५३-५४—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

देहरादून व फैजाबाद में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के क्वार्टर

५५—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाइडिल विभाग देहरादून व फैजाबाद में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों हेतु बने क्वार्टरों पर वहां के अधिकारीगण अनधिकार कब्जा किये हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारियों को क्या दण्ड देने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कार्य के हित में देहरादून व फैजाबाद में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के लिये निर्धारित सरकारी क्वार्टरों में से कुछ क्वार्टर वहां के अन्य अधिकारियों को कुछ समय के लिये रहने को दिये गये हैं; अतः उनको कोई दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

शादियाबाद क्षेत्र में उद्योग

५६—श्री राजनाथसिंह—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के सबसे पिछड़े क्षेत्र शादियाबाद में कौन-कौन से लघु उद्योग खोलने का विचार वे कर रहे हैं ? उनकी स्थापना वे कहां और कब करने जा रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—प्रथम भाग—कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में दंड विधि संग्रह के अन्तर्गत मुकद्दमों का इन्दराज

५७—श्री नरसिंहनारायण पान्डेय—क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि दिनांक २० अगस्त को कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में कितने केस दफा १५१, १०७, ११७ के आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज हुये हैं और उनमें से किन-किन व्यक्तियों को उसी दिन तथा दूसरे अदन जमानत पर या परसनल बान्ड पर छोड़ा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में दिनांक २० अगस्त, १९६२ को एक ही घटना से संबंधित दो मुकदमें, भारतीय दन्ड विधान नहीं बल्कि दन्ड विधि संग्रह की धारा १०७/११७/१५१ के अन्तर्गत दर्ज हुए थे जिनसे संबंधित सभी अभियुक्तों को दूसरे दिन जमानत व परसनल बान्ड पर छोड़ दिया गया था ।

चमोली जिले में उद्योग

५८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली के पृथक सीमान्त जिला बनने के बाद उद्योग विभाग ने उस जिले में कितने और कौन कौन उद्योग धन्धे चालू किये तथा इस बीच उद्योग में प्रशिक्षित कितने बेकारों व बेरोजगारों को कार्य पर लगाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली के पृथक सीमान्त जिला बनने के बाद उस जिले में जो उद्योग धन्धे चालू किये गये उनकी सूची संलग्न है । उद्योग में प्रशिक्षित बेकारों व बेरोजगारों को कार्य में लगाये जाने संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७२६ पर)

५९-६१—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर में बारावफात के सिलसिले में गिरफ्तारियां

६२–श्री केशरीप्रसाद पांडेय––क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गत बारावफात के अवसर पर जौनपुर नगर में शिया–सुन्नी तनाव एवं साधारण संघर्ष के कारण कितने लोगों पर मुकद्दमा कायम किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––बारावफात के एक दिन पूर्व वहाँ शिया तथा सुन्नियों के बीच में साधारण संघर्ष होने के सम्बन्ध में कुल ४८ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये ।

६३–श्री केशरीप्रसाद पांडेय––क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उक्त संघर्ष के कारण कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं ? उनकी जमानतें स्वीकार की गईं अथवा नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––४८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । ३९ व्यक्तियों की जमानत पुलिस द्वारा तथा ९ व्यक्तियों की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई ।

६४–६५–श्री ऊदल––[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

६६–श्री रतीपाल––[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

६७–६९––श्री मतोलासिंह––[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली बाबिन फैक्टरी की जमीन

७०–श्री ऊदल––क्या सरकार २३ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न नत्थी 'ग' के संख्या १ के उत्तर क्रम में बताने की कृपा करेगी कि बाबिन फैक्टरी बरेली के पास जो जमीन बची है उसका बैलेंस शीट में १ रुपया रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी हाँ ।

७१–श्री ऊदल––फैक्टरी व मजदूरों की इमारत की जमीन तथा बची हुई खाली जमीन कितने स्क्वायर यार्ड है ? क्या जमीन तथा फैक्टरी की इमारतों की कीमत का बैलेंस-शीट में कोई जिक्र है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––फैक्टरी की जमीन ३६·६५ एकड़ लगभग ।

बाकी जमीन जिसमें कि रहने की इमारतें बनी हैं व उनके पास की खाली जमीन ६०·१२ एकड़ लगभग ।

कुल जमीन की कीमत बैलेंस शीट में १ रुपये दिखाई गई है व इमारतों की कीमत २,९४,२११ रुपये दिखाई है ।

७२–श्री ऊदल––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैलेंस शीट में साढ़े तीन मील रेलवे साईडिंग व ४८.७७ एकड़ की कीमत १९,५३४ रुपये रक्खा गया है जबकि बाजार भाव से डेढ़ लाख के करीब आता है और सत्तर हजार से ऊपर के पावने में से २५ हजार बही खाते में डाल दिया गया है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––रेलवे साईडिंग का प्रारम्भिक मूल्य २६,८१७ रु० था । उस पर सन् १९५० तक डैप्रीसियेशन घटा कर कम्पनी की किताबों में १९,५३४ रु० रक्खा गया है । १९५० के बाद डैप्रीसियेशन नहीं लगाया गया है । साईडिंग का बाजार भाव नहीं लगाया है ।

प्रश्न का उत्तरार्ध स्पष्ट न होने के कारण उत्तर नहीं दिया गया ।

७३–श्री कृष्ण (जिला देवरिया)––[माननीय सदस्य के सदन के सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

हिंडन नदी पर पारसीघाट पुल की आवश्यकता

७४–श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार को मालूम है कि सरधना जिला मेरठ से टीकरी निरपुड़ा को मोटरें तथा अन्य साधनों से भारी तादाद में ट्रैफिक चलता है परन्तु हिन्डन नदी पर पारसी के घाट पर पक्का पुल न होने के कारण पैदल यात्रियों के सिवाय सभी ट्रैफिक बन्द हो जाता है जिसके कारण इलाके की जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पारसी घाट पर पुल तथा सड़क बनाने का विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ । सरधना से टीकरी व निरपुड़ा मोटरों तथा अन्य साधन से काफी ट्रैफिक चलता है । पारसी घाट पर सूखे मौसम में जिला परिषद् मेरठ द्वारा अस्थायी पुल ठेके द्वारा बनवाया जाता है । परन्तु वर्षा ऋतु में पुल बन्द हो जाता है । पक्का पुल तथा सड़क बनवाने का उत्तरदायित्व परिषद् का है ।

जिलाधीश गढ़वाल के विरुद्ध शिकायत

७५–श्री काशीनाथ मिश्र—क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिलाधीश गढ़वाल के पास मुंसिफी से आये हुये जमीन के कुर्की सम्बन्धी सैकड़ों फाइलें गत पाँच छः वर्षों से बगैर किसी कार्यवाही के पड़ी हुई हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ऐसे जिलाधीश के विरुद्ध कौन सा कदम उठाने को सोच रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

विधूना ब्लाक में व्यय

७६–श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधूना जिला इटावा ब्लाक में सन् १९६०–६१ में कितना रुपया अधिकारियों की तनख्वाह में खर्च हुआ और कितना रुपया जनता के हित में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विधूना ब्लाक, जिला इटावा, में सन् १९६०–६१ में अधिकारियों की तनख्वाह पर ३२,४२२ रु० ६२ नये पैसे तथा दूसरी मदों में २,०७,५४७ रु० ३३ नये पैसे व्यय हुआ ।

७७–श्री रामसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विधूना जिला इटावा ब्लाक में सन् १९६०–६१ में कितना रुपया टी०ए०, डी०ए० अधिकारियों ने लिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विधूना ब्लाक में सन् १९६०–६१ में १३,८०८ रु० ८५ नये पैसे महंगाई भत्ता व ७,०७६ रु० ४८ नये पैसे टी०ए० अधिकारियों को दिया गया ।

सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, खलीलाबाद, को सहायता

७८—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बतायेगी कि खलीलाबाद (बस्ती) स्थित सेंट्रल इंडस्ट्रियल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन को अब तक उसकी ओर से किस प्रकार की कितनी सहायता दी गई है ?

श्री फूलसिंह—वाँछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७२७ पर)

आगरा जिले में कारखानों को कोयला

७९—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कौन–कौन से कारखाने ऐसे हैं जिन्हें कोयले का कोटा मिलता है और कोयला का कोटा प्राप्त करने वाले कारखानों में से द्वितीय वर्ष १९६१–६२ व १९६२–६३ में बन्द रहे ?

श्री फूलसिंह—आगरा जिले में जिन जिन कारखानेदारों को कोयला मिलता है उनकी सूची संलग्न है। कोयला प्राप्त करने वाले कारखानों में से वित्तीय वर्ष १९६१–६२ व १९६२–६३ में जो कारखाने बन्द रहे उनकी सूची भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७२९–७३७ पर)

खीरी जिले में कूप-निर्माण अनुदान

८०—**श्री रामचरण शाह**—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सन् १९५९–६० १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में जिला खीरी के सभी विकास क्षेत्रों द्वारा अलग–अलग कितना रुपया सिंचाई के कुयें बनवाने के लिये किस–किस को दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना निम्न प्रकार है :—

विकास खंड का नाम					वितरित धनराशि
					रु० न०पै
१ मितौली	..	..	..	..	५३,६४५.००
२ ईसानगर	..	..	..	..	२९,२२१.५०
३ मुहम्मदी	..	..	..	..	२६,२२५.००
४ कुम्भी (गोला)	..	..	..	..	कुछ नहीं।
५ पसगवाँ	..	..	..	..	५,३११.००
६ लखीमपुर खीरी	..	..	..	..	२१,३००.००
७ निघासन	..	..	..	..	२,८००.००
८ धौरहरा	..	..	..	..	४५,७५०.००

व्यक्तियों की सूची १९ पृष्ठों में दी गई है, अतः माननीय सदस्य उसको विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं।

८१—**श्री रामचरण शाह**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस प्रकार के कितने कुयें बन कर तैयार हो गये हैं और कहाँ–कहाँ और कितने कुयें बन रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सूचना उक्त सूची में दी हुई है, जिसको माननीय सदस्य विकास मंत्री के कार्यालय में देखेंगे।

८२—**श्री रामचरण शाह**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं और कहाँ–कहाँ हैं जिन्होंने विकास क्षेत्रों से रुपया तो ले लिया परन्तु कुयें नहीं बनवाये ? क्या सरकार उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिन व्यक्तियों ने अब तक कुयें नहीं बनाये हैं उनके नाम और स्थान उक्त सूची में दिये गये हैं जिसको माननीय सदस्य विकास मंत्री के कार्यालय में देखेंगे।

जिन्होंने निर्धारित समय के अन्दर कुयें नहीं बनाये उनसे तकावी के धन की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

मेरठ जिले में विकास कार्यों के लिये अनुदान

८३—**श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अन्त तक मेरठ जिले को कुल कितना रुपया सरकार की ओर से दिया गया तथा प्रत्येक ब्लाक को कुल कितना-कितना रुपया किस-किस कार्य के लिये दिया गया और इन कार्यों में क्या उन्नति हुई ? इसे भी मदवार बताने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस सम्बन्ध में वाँछित सूचना विकास मंत्री के कार्यालय में देखी जा सकती है।

सहारनपुर जिले से औद्योगिक ऋणों के लिये प्रार्थना-पत्र

८४—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में Industrial Loans प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र १ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६२ तक सरकार के पास आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—कुल २५३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये; इनमें से ७९ प्रार्थना-पत्रों पर ऋण स्वीकृत किया गया। ५६ अस्वीकृत हुये और ११८ विचाराधीन हैं।

८५—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १ मार्च, १९६२ से ३१ जुलाई, १९६२ तक जिला सहारनपुर से कितने और किस-किस के प्रार्थना-पत्र Industrial Loans प्राप्त करने के लिये आये और उनमें से किस-किस व्यक्ति को क्या-क्या और कितना-कितना धन तथा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

श्री फूलसिंह—१-३-६२ से ३१-७-६२ तक इस जिले से ६९ प्रार्थना-पत्र आये; इनमें से ६ प्रार्थना-प्रत्रों पर ऋण स्वीकृत हुआ है; इन सब की विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७३२-७४० पर)

नारसन ब्लाक के डाक्टर मेहरा के विरुद्ध शिकायत

८६—**श्री जगदीशशरण रस्तोगी** (जिला मेरठ)—क्या यह सत्य है कि सहारनपुर जिले के नारसन ब्लाक के लगभग सभी ग्राम प्रधानों ने वहां के मेडिकल आफिसर डाक्टर डी०डी० मेहरा के विरुद्ध सरकार को शिकायतें भेजी हैं कि डाक्टर मेहरा ने वहां की हेल्थ विजीटर कुमारी पुष्पा कालरा के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारा-पीटा भी है ? यदि हां, तो सरकार डाक्टर डी० डी० मेहरा के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सहारनपुर जिले के नारसन ब्लाक के किसी भी ग्राम प्रधान की वहां के मेडिकल आफिसर डाक्टर डी०डी० मेहरा के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु वहां की हेल्थ विजिटर कुमारी पुष्पा कालरा के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में डाक्टर मेहरा के विरुद्ध शिकायत श्री नरेन्द्र देव शास्त्री, दौराला, जिला मेरठ की अगस्त, १९६२ में प्राप्त हुई थी और इस सम्बन्ध में अभी जांच जारी है।

सिरसिया ब्लाक प्रमुख का चुनाव

८७—**श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—क्या सरकार को मालूम है कि सिरसिया ब्लाक बहराइच में ब्लाक प्रमुख के नामिनेशन के दिन श्री उदय नारायण, प्रधान एकधरवा ने अपना नामिनेशन फीस ३० रुपया जमा किया था और बाद में उनका फार्म और रुपया यह कह कर लौटा दिया गया कि तुम्हारे गांव की लिस्ट नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सिरसिया ब्लाक, जिला बहराइच में ब्लाक प्रमुख के नामिनेशन के दिन श्री उदित नारायण नामक किसी भी व्यक्ति ने नामिनेशन फार्म और २० रुपये जमा त के रूप में जमा नहीं किये। अन्य किसी बात का प्रश्न नहीं उठता।

८८—**श्री मुन्नू सिंह**—क्या सरकार इस मामले की सख्ती से जांच करेगी कि वह लिस्ट कब गायब हुई और कैसे गायब हुई ? क्या उस लिस्ट के गायब करने में सेक्रेटरी तथा प्रधान सिरसिया का भी हाथ था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कोई लिस्ट गायब नहीं हुई, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

८९—श्री मुन्नूसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि ब्लाक प्रमुख के चुनाव में सिरसिया ब्लाक बहराइच में मतदान होते समय एक प्रत्यासी का नाम मत-पत्र में से फाड़ कर फेंक दिया गया और बाद में लंच आवर में बक्स तोड़ कर फिर वह नाम गोंद से चिपका दिया गया ? प्रत्यासी को जनतंत्र की परम्पराओं की रक्षा हेतु क्या जनप्रिय सरकार वहां जांच के पश्चात् बिना पिटीशन पुनः चुनाव कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बैलेट पेपर डुप्लीकेटर पर फुलस्केप साइज कागज पर छापा गया था और प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी को यह आदेश दिये गये थे कि उसमें से नीचे की ओर का अतिरिक्त सादा कागज काट कर निकाल दिया जाय, जिससे कि मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। मतदान शुरू होने के पूर्व सिरसिया ब्लाक के लिए नियुक्त सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारी ने उस अतिरिक्त सादे कागज को कटवाया। यह ज्ञात होने पर कि कुछ बैलट पेपर्स में से अंतिम उम्मीदवार का नाम भूल से कट गया है तुरन्त ही प्रथम पाली का मतदान शुरू होने के पूर्व कटे हुये हिस्सों को यथावत चिपकवा दिया गया और कोई अनियमितता नहीं होने पाई। अतः पुनः चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता।

यह कथन सही नहीं है कि लंच आवर में बक्स तोड़ कर बैलेट पेपर्स निकाल कर कटे नाम का भाग उनमें जोड़ा गया।

सिकरारा ब्लाक

९०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि सिकरारा ब्लाक में जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र के कौन-कौन से गांव पड़ते हैं और इन ग्रामों का प्रतिनिधित्व करने वाले एम० एल० ए० और एम० पी० को प्रमुख के चुनाव से सम्बन्धित मतदाता सूची में क्यों नहीं दर्ज किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है।

चमोली जिले में ए० डी० ओ०

९१—श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली (उत्तराखंड) जिले में कितने ए० डी० ओ० (पशुपालन) हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या वेतन माहवार मिलता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय चमोली जिले में चार ए० डी० ओ० (पशुपालन) काम कर रहे हैं, जिन्हें ८५ रु०, १२० रु०, १०५ रु०, १०० रु० माहवार आधारिक वेतन मिलता है।

बलरामपुर तहसील में ए० डी० ओ० पी० के विरुद्ध शिकायत

९२—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोनपुर, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा, के अन्तर्गत ए० डी० ओ० पी० एवं प्रधान श्री दीपनारायण के प्रति कोई शिकायती-पत्र मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। शिकायती पत्र की जांच सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की गई।

९३—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सत्य है कि श्रीमान् ए० पी० आर० ओ० ने गुप्त जाँच की जिसके अनुसार ए० डी० ओ० पी०, शिवपुरा ब्लाक को दूसरे जिले में नीचा पद पर करने के साथ ही स्थानान्तरण कर दिया गया था ? परन्तु क्या कारण है कि अब तक नहीं हुआ, इसके प्रति क्या लोगों में रोष उत्पन्न है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सहायक जिला अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् ए० डी० ओ० पी०, शिवपुरा को दूसरे जिले में नीचे पद पर स्थानान्तरण करने के आदेश नहीं

दिये थे, केवल उसके स्थानान्तरण के आदेश दूसरे विकास क्षेत्र के लिये दिये गये थे, जो निर्वाचन कार्य के कारण स्थगित कर दिये गये थे। इस विषय में जनता में रोष की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरे प्रश्न संख्या ९२ का जो उत्तर दिया गया है वह मेरे दृष्टिकोण से सत्य से रहित है। दुर्भाग्य से सप्लीमेंटरीज का अवसर नहीं मिला क्योंकि प्रश्न पीछे पड़ गये। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सूचना को सही मान कर.....

श्री अध्यक्ष—निवेदन के अर्थ में प्रश्नों का समय नहीं बढ़ सकता।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या मैं लिख कर दे दूं ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—एक व्यवस्था मैं चाहता हूं। जो माननीय सदस्य निलम्बित कर दिये गये हैं सदन से, अगर वे सवाल देते हैं तो उनके सवाल नहीं लिये जा सकते हैं, यदि हां, तो किस नियम से ?

श्री अध्यक्ष—जो सदन की सेवाओं से निलम्बित हैं, न वे सदन में आ सकते हैं, न सवाल पूछ सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्वेश्चन डिपार्टमेंट को लिख कर उन्होंने भेजे थे.

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन डिपार्टमेंट को लिख कर नहीं भेज सकते, मुझे लिख कर भेज सकते हैं।

विधान भवन के बाहर पुलिस द्वारा कथित अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्रप्रताप द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—कल एक घटना हुई है। हमारे इस आदरणीय सदन के एक सदस्य श्री शिवेन्द्र प्रताप की शिकायत आई है, उसे पढ़ कर मुझे दुख हुआ। मैं उसे पढ़ दूं—

"निवेदन है कि कल दिनांक ३-१०-६२ को मैंने जो विशेषाधिकार की सूचना आपको दी थी उसके संदर्भ में निम्नलिखित निवेदन है:

यह कि कल दिनांक ३-१०-६२ के अपरान्ह २ बज कर २ मिनट पर जब मैं लंच के पश्चात् सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये बाहर से वापस आ रहा था तो मुझे सदर दरवाजे के बाहर जो पोर्टिको है उसके (stair landings) चबूतरे पर एकाएक रुक जाना पड़ा क्योंकि उसी समय बाहर फाटक पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस मोटर में बठाने के लिये ले जा रही थी। मेरा वहां रुकना और मुड़ कर फाटक की तरफ देखना इतनी साधारण बात थी जो कि कोई दूसरा भी आदमी वही करता जो मैंने किया। उसी समय मेरे रुकते ही एक कांस्टेबिल ने बहुत तीखे शब्दों में मुझको वहां से हट जाने का आदेश दिया और मेरे यह बताने पर कि मैं इस आदरणीय विधान सभा का सदस्य हूं और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये जा रहा हूं किन्तु अचानक उपस्थित हो गये इस फाटक पर दृश्य को देखने के लिये खड़ा हो गया हूं और यहाँ पोर्टिको के पास खड़ा होना कोई जुर्म नहीं है इस पर वह अपने उस समय और उस जगह के उच्चतम अधिकारी को बुला लाया जो संभवतः एस० पी० रैंक के थे। उन्होंने आते ही मुझ से कहा "This is not a public place. You must understand it and so I am ordeing you to clear the place: p'ease और मैं अवाक् हो कर उनकी तरफ देखने पर उन्होंने फिर यह दोहराया 'How I am to explain you that this is not a public place ; please.' और मेरे मुड़ कर चलने के साथ ही साथ उनका हाथ मेरे कन्धे पर

मुझे हट जाने का इशारा करने के लिये लगा। इस प्रकार उपर्युक्त पुलिस अधिकारी द्वारा सदन के खास दरवाजे के सामने मेरे साथ पुलिस कर्मचारी ने जो अभद्र व्यवहार किया, उसके लिये मुझे दुःख है और मैं ऐसा समझता हूं कि उससे सदन की मर्यादाओं का भी अपमान हुआ है। अतः श्रीमन् से प्रार्थना है कि यदि इस सदन के सदस्यों की मान, भावनाओं और अधिकारों की रक्षा यदि इस सदन के परिसर में भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो बाहर उसका क्या होगा, श्रीमन् स्वयं भी विचार सकते हैं।"

इस सम्बन्ध में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, मुझे स्वयं बहुत खेद है और मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसके द्वारा यह हुआ है, स्वयं भर्त्सना करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन महाशय ने यह किया है वे अपना खेद मेरे पास भेज देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहूंगा। आपने कहा है कि आप स्वयं भर्त्सना करेंगे, तो वह कब होगी ?

श्री अध्यक्ष---बिल्कुल अभी। सदन में मैंने डिक्लेयर कर दिया है और वह लिख कर चला जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--- श्रीमन्, आप जरा मेरी बात इस सम्बन्ध में सुन लें। माननीय अध्यक्ष और सदन की भर्त्सना की एक विधि है और मैं समझता हूं कि जिस तरह विशेषाधिकार में किसी की भर्त्सना की जाती है, उस विधि को अपनाया जाना चाहिये। और मैं तो बहुत दुखी हूं यह बात सुन कर, मैंने कल नहीं सुना, स्वाभाविक है कि आपको भी दुःख हुआ है कि उस पुलिस अधिकारी ने अंग्रेजी में उनको समझाया यह सोच कर कि ये सम्भ्रान्त आदमी हैं, अंग्रेजी पढ़े हुये हैं, और इतना समझ कर भी उसने यह हरकत की कि उनके कन्धे पर हाथ डाला। मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात इस सदन के इतिहास में कभी हुई नहीं होगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप जो भी भर्त्सना करें वह इस प्रकार करें कि जो इस सदन की विधि है यानी सदन के सम्मुख होनी चाहिये।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के वाकयात रोजमर्रा होने लगे हैं और अब आप इस पर जांच करें और वह रिग्रेट शो करें, यह काफी नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं के बारे में हमारा सख्त रवैया न हुआ तो फिर रिग्रेट शो करने से कोई सबक सीखेगा नहीं। मैं बिल्कुल सहमत हूं गेंदासिंह जी से कि अगर वह रिग्रेट शो करें तो यहां और हाउस के सामने आ कर शो करें और अगर यह नहीं होता तो हमारे मुख्य मंत्री को इसके ऊपर एक सख्त ऐटीट्यूड लेना चाहिये और ऐसे अफसर को साफ तौर पर सजा मिलनी चाहिये। या तो वे यहां आकर माफी मांगें और अगर किसी कारण यह नहीं होता तो हम पूछेंगे कि उनको क्या सजा दी गयी और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि बिना इस विषय को मेरे समक्ष लाये हुये एक आरोप इस सदन के सदस्य ने किया और आपने कुछ निर्णय ले लिया। लेकिन मुझे तो इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। जब तक कि मैं जानकारी न प्राप्त कर लूं और यह. . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ कहने पर) माननीय काशीनाथ जी, आपकी आदत है कि आप बीच में बोलते हैं। आप बाद में कह सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो मैं स्वतः उस अधिकारी की भर्त्सना करता हूं। हां, एक बात अवश्य है कि एक आन्दोलन चल रहा है और कानून और नियमों का उल्लंघन बाहर हो रहा है और एक दल विशेष के लोग खासतौर से उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के नाते मेरा यह कर्त्तव्य है और जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वतः चाहा कि उनके आने जाने में उन्हें असुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था की

जाय, वही हो रहा है । जो लोग बाहर गलत तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, उससे उनको रोका जाय और कानूनी कार्यवाही उनके प्रति की जाय ऐसे कार्य करने के लिये आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी इस बात का प्रबन्ध करें और देखें कि कोई बाहर या उस स्थान पर गड़बड़ी तो नहीं हो रही है और ऐसे व्यक्ति अन्दर घुस कर तो नहीं आ रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन करके या कानून का उल्लंघन करके इस चीज को कर रहे हैं जो कि बराबर एक दल की तरफ से चलाई जा रही है । मैं आप से अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप इस विषय की जानकारी करने का मुझे अवसर दें और उस अधिकारी ने गलती की है या भूल की है या नहीं की है, तो मैं पहले जानकारी प्राप्त कर लूं फिर आप अपना निर्णय लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---श्रीमन्, मुझे मौका दें, मैं आई विटनैस था ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जाइये । माननीय सदस्य ने कल सदन में इस प्रश्न को उठाया था । जब माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन थे और उन्होंने इस बात का संकेत भी अपनी सूचना में किया है । सदन में यह बात उठाई गई थी । अब एक तरीका तो यह हो सकता था कि हम इसमें अन्वेषण करें किन्तु इसमें उस महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया है । तो हमें यह निश्चय करना होगा कि कौन वह व्यक्ति था । इन तमाम दिक्कतों को सोचते हुये, और इस बात को मानते हुये कि इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह अपना एक्सपीरियन्स आपके सामने रख रहे हैं, मैं यह चाहता था कि जब मैं भर्त्सना करूंगा तो सारे सदन की तरफ से होगा और मुझे विश्वास है कि डिपार्टमेंट यह कह सकेगा कि हमारे अफसर द्वारा जो बात हुई, उसका खेद है । मैं समझता था कि इस मामले को तूल न दिया जाय तो अच्छा होगा, अन्यथा पोजीशन यह आयेगी कि इसकी जांच हो और कमेटी के सामने वाद विवाद हो । लेकिन अगर यह माननीय सदन या नेता सदन को स्वीकार नहीं होता तो इस पर विचार करके सदन के सामने रखूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि आपके कहने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इसका समर्थन करेंगे । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि एक दल विशेष सत्याग्रह कर रहा है । मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि इस लैंड टैक्स बिल का विरोध जनसंघ कर रहा है और अन्त तक करेगा । इसमें मुझे किसी बात का संकोच नहीं है । लेकिन मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा का जहां तक प्रश्न है, उसकी हम रक्षा करेंगे और सदन में कोई माननीय सदस्य बात कहता है तो वह जिम्मेदारी के साथ कहता है परन्तु मुख्य मंत्री जी ऐसा समझते हैं कि गैरजिम्मेदारी की बात होती है । बाहर कुछ कहा जाता है और सदन में कुछ कहा जाता है । श्रीमन्, मैं इन बातों को कहना नहीं चाहता था । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो अपमान हुआ है और यह सत्य है कि माननीय सदस्यका अपमान हुआ है, उसका परिमार्जन होना चाहिये और जो भी उचित ढंग हो उस ढंग से होना चाहिये ।

(श्री गेंदासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---गेंदासिंह जी, अब कोई बात इस पर नहीं होगी ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--- जी नहीं ।

***श्री गेदा सिंह**---जरा मैं निवेदन करने के लिये एक मिनट का वक्त चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

आपने सही कहा और मैं समझता हूं कि कल हमारे भाई शिवेन्द्र जी ने जिस वक्त सवाल उठाया था, उस वक्त मैं भी मौजूद था और सरकार की तरफ से सुनने वाले भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने हमारे साथ हरकत की और हमारा अपमान किया। अगर आप कल की प्रोसीडिंग्स को देखें तो पता चल जायेगा। सरकार का कर्त्तव्य था कि इतनी देर में वह पूरी छानबीन कर लेती कि वाकई यह घटना घटी या नहीं। सरकार का यह भी धर्म है, बहुमत दल का यह धर्म है, कि वह इस सदन की मर्यादा में हमसे ज्यादा योगदान करे और अगर इस वक्त तक उनको इसकी जानकारी नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने एक निर्णय दिया और अब आपके उस निर्णय के बारे में सरकार को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है कि इसके पहले उनको कोई जानकारी नहीं कराई गई और निर्णय दे दिया गया। आपने जो निर्णय भर्त्सना का किया है वह तो उचित है, लेकिन मैंने यह कहा था कि हमारी भर्त्सना के सम्बन्ध में एक विधि है और सदन की जो विधि है उसको हमें पूरा करना चाहिये लेकिन भर्त्सना करने का काम हुआ है और उसके साथ जो और भी सख्त से सख्त सजा उनको दी जा सके वह दी जाय। उस निर्णय का आदर सदन को करना चाहिये और खास तौर से मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार को तो करना ही चाहिये और उस निर्णय का आदर उनको तो सबसे अधिक करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो कहा कि या तो आप उसे स्वीकार करें, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—मैंने उसकी वर्बल सूचना दे दी थी और आज ९ बजकर १५ मिनट पर स्वयं जाकर नोटिस मुख्य मंत्री जी के आफिस में दे आया था, इसकी प्रतिलिपि दे आया हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने खेद प्रकट किया है कि बिना उनकी जानकारी में लाये हुये एक निर्णय अध्यक्ष महोदय ने (आपने) ले लिया। तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या नेता सदन के लिये उचित है कि अध्यक्ष के निर्णय के बाद भी इस प्रकार का खेद प्रकट करें। क्या माननीय मुख्य मंत्री के इस प्रकार के रुख से अध्यक्ष महोदय के जो मर्यादित अधिकार या कर्त्तव्य हैं उनमें कोई व्यवधान नहीं उपस्थित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—इस पर चर्चा और विवाद किसी को शोभा नहीं देगा। सीधी बात यह है कि विरोधी दल और सरकार दोनों की तरफ से यह है कि इसमें इन्क्वायरी हो और इन्क्वायरी होकर जो विधि विधान है उसका पालन हो।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—हमने कोई इन्क्वायरी की मांग नहीं की। आपका निर्णय शिरोधार्य है। हमने यह कहा है कि जो उसकी विधि है उसके अनुसार यदि किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय मैनेजरसिंह ने प्वाइंट रखा है वह यह है कि आपके निर्णय के विरुद्ध जो मुख्य मंत्री जी ने अपना एक रिमार्क कसा है वह इस सदन के अपमान का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, बिलकुल नहीं। मैंने जो निर्णय दिया था उस पर आपत्ति इधर से भी और उधर से भी हुई। (व्यवधान) आदरणीय सदस्यों को जब मैं बोल रहा हूं तो उसे सुनना चाहिये। मैंने यह निर्णय दिया था कि भर्त्सना करता हूं; विरोधी पक्ष की ओर से मांग हुई कि उनको उपस्थित किया जाय। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर उपस्थित करना है तो सबूत दीजिये। इधर से भी विधि विधान की बात आयी। तो अब छोटी-छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—हमने नहीं कहा कि आपका निर्णय दूसरा हो।

श्री अध्यक्ष—माननीय केशरीप्रसाद, विधि वगैरह की बात करके हम छोटी-छोटी बातों में फंसते हैं। हम क्या कहते हैं यह देखना चाहिये, बनिस्बत इसके कि मुख्य मंत्री ने क्या कहा।

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—माननीय कल्पनार्थसिंह, बैठिए। अब आज की कार्यवाही के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है तो उसे कृपा कर लिख कर दें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर जो विचार प्रकट किया कि आपको इसका दुख है और आप इसकी भर्त्सना करेंगे, तो भर्त्सना का कौन सा स्वरूप आपने सोचा था यह जरा मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—भर्त्सना, सेंसर, जिन शब्दों में, जितनी मैं भाषा जानता हूं, उसमें लिखता। अब आप यह कहें कि इसी समय वह भाषा लिखूं, आप इन सब बातों को मेरे कक्ष में पूछने की कृपा करें। मैंने कोई शब्द नहीं लिखे हैं। अगर मैं इतना ही कहता कि मैं भर्त्सना करता हूं तो that would be enough। शब्दावली मैं बाद में सोचता। लेकिन वह प्रश्न नहीं उठता। मैं विचार करूंगा।

जोतकर विधेयक का समर्थन करने के लिये एक परिपत्र भेजने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब, माननीय नरसिंह नारायण जी ने एक प्रिविलेज का मोशन उठाया है, उनका यह कहना है—मैंने कल पढ़ कर सुना दिया था—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्ता, नेता कांग्रेस विधान मंडल दल, जो इस माननीय सदन के सदस्य भी हैं, के विरुद्ध उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय प्रदान करने की कृपा करेंगे।

विधान सभा तथा उसकी समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अथवा उसकी समिति व सदस्यों के हैं। अनुच्छेद १९४(३) भारतीय संविधान।

सदन के नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना इस प्रकार से माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने २५-९-६२ को विधान सभा के कांग्रेस विधान मंडल दल के सदस्यों के पास, जो इस आदरणीय सदन के भी सदस्य हैं, एक परिपत्र भेजा जिसमें उन्होंने स्पष्टतया लिखा कि जोत-कर विधेयक संशोधित रूप में विधान सभा में पेश होगा और प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है कि इस विधेयक का समर्थन करें। इस प्रकार का कार्य कर माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने सदन तथा उनके सदस्यों के बीच भ्रम पैदा किया और गलत ढंग से दबाव डालकर उनके विचार स्वतन्त्रता में बाधा उत्पन्न की। अतः सदन और सदस्यों के नियमों की अवहेलना की।"

इस पर मैं माननीय नरसिंहनारायण जी से और इधर एक आध माननीय सदस्यों से सुनूंगा लेकिन इस वक्त नहीं, इस वास्ते कि मेरे सामने पूर्व अध्यक्ष की कुछ बातें रखी गयी हैं। इसको देख कर सायंकाल पांच बजे लूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—एक दूसरा प्रश्न भी माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने, कुछ गलतियां मैंने कीं जब लखीसिंह और नाथूराम जी....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—चार आदमी हैं, नाम मैंने दो ही का लिया है।

श्री अध्यक्ष—जिनका नाम आपने लिया, उनको मैं कह रहा हूं। जो आपने कहा है वही मेरे सामने है।

श्री अध्यक्ष—अब, कार्य-स्थगन प्रस्ताव कई आये हुए हैं। एक तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय चन्द्रजीत यादव का है और माननीय रामकिशोर वर्मा का यात्री-कर के संबंध में जो रोडवेज या रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर कर हाल में लगाया गया है, उसके संबंध में है। कल भी ऐसी सूचना एक माननीय सदस्य की आयी थी। उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महोदय के पास अवलोकन और उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया था। किन्तु आज माननीय चन्द्रजीत यादव ने कुछ कागज मुझे दिखलाये कि जिससे यह विदित हुआ कि जो गड़बड़ी कही जाती है, उसकी मात्रा बहुत बढ़ी-चढ़ी है और उन्होंने यह भी मुझे बताया कि सभी जगह हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। तो इसको मैंने नियम ५२ में स्वीकार किया है और आदरणीय परिवहन मंत्री के पास भेज दिया है। (परिवहन मंत्री से) आप कब इसके ऊपर वक्तव्य दे सकेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, कल के अलावा जो भी तारीख आप मुकर्रर कर देंगे, उस तारीख को मैं दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, आप मेरी एक प्रार्थना सुन लें। जो मैंने उसमें कहा है १६ प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है जबकि ५ प्रतिशत यहां बढ़ाया गया था। लेकिन ऐक्चुअली वह १६ से ३० प्रतिशत तक वसूल हो रहा है। अब इसके ऊपर आपका सारा विभाग रोडवेज का यहां है और उसके उच्चतम अधिकारी यहां है तो यह जानकारी तो आज आप मंगा सकते हैं वरना यह एक गम्भीर विषय और चिन्ता का विषय बना हुआ है और टैक्सों का मसला है। इसलिये इसकी जानकारी करके कल के अन्दर इसकी सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष—मुझे विश्वास है कि वह आज ही इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और मुझे यह भी मालूम है कि अगर इस किस्म की गड़बड़ी हो रही है तो उसको फौरन बन्द करने का प्रयास करेंगे।

अब मेरे पास.....(श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये, मैं बोल रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—लेकिन वह कब लिया जायगा ? वह तो निकला जा रहा है। आपने वादा किया था। अगर अपने वादे को भी चेयर न सुने तो हम क्या करें ? कल मैंने रेज किया था तो माननीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि कार्यस्थगन प्रस्ताव दे दूं। अब २०० से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पूरनलाल जी पकड़े जा चुके हैं। आपने प्रिविलेज मोशन भी रिजेक्ट कर दिया। तो आखिर कहीं तो सुनवाई होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—अच्छा आप बैठ जायं। उसका जिक्र मुझे करना चाहिये था। वह रह गया। एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का है। वह इस विषय में है, जरा सुन लें।

"इस सदन का निश्चित मत है कि माननीय पूरनलाल जी एवं ११५ अन्य जन प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी १-१०-६२ को तथा ७२ प्रतिनिधियों को आज दिनांक ३-१०-६२ को अवैधानिक ढंग से उस समय की गई जबकि वह लोग सदन के सदस्यों से यह निवेदन करने के लिये बाहर खड़े हुये थे कि माननीय सदस्य इस विधेयक का सर्व सम्मति से विरोध करें। प्रतिनिधियों

को पुलिस द्वारा घसीटा गया तथा बेइज्जत किया गया है। आज घटनास्थल पर उपस्थित एक अधिकारी ने शान्त प्रतिनिधियों को अपशब्दों का भी प्रयोग किया तथा गालियां दीं। प्रजातंत्र में हर मतदाता को इस बात का अधिकार है कि वह अपने प्रतिनिधियों से इस प्रकार का निवेदन कर सकें। कल की गिरफ्तारी एक नागरिक को संविधान के अन्तर्गत मिले मौलिक अधिकारों का अपहरण है। लोक महत्व के इस निश्चित विषय पर विवाद करने के लिये सदन आज कार्य स्थगित करता है।"

मैंने माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी से कहा था कि इसको मैं आज तीन बजे देखकर इस पर उपयुक्त आर्डर दूंगा। अगर इसको मैंने स्वीकार किया तो यह कार्य-स्थगन कल आ सकता है। मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत बहुत सी सूचनायें आई हैं। अभी तक तो छात्रों के विषय में ही बहुत कुछ सुना जाता था किन्तु ये छात्राओं से संबंधित हैं। इनमें एक माननीया सुशीला रोहतगी का है। वह इस प्रकार है....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष—आपका तरीका हमेशा अड़चन डालने का है। मैं बोल रहा हूं। इनमें माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय सन्तसिंह यूसुफ, माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद और माननीय जगन्नाथ राव का है। मैं एक को पढ़े देता हूं— मैं नियम ५२ के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। पिछले सप्ताह में महापालिका के ५ इन्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण के कारण कानपुर में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ दिन पूर्व लड़कियां इस स्थानान्तरण के विरोध में जुलूस निकालकर रात के ८-८ बजे तक शहर में प्रदर्शन कर रही थीं। इससे जनता में अत्यन्त क्षोभ और चिन्ता हुई।

माननीय काशीनाथ जी का इस प्रकार है कि २७ सितम्बर से कानपुर में नगरमहापालिका के सभी बालिका विद्यालयों में एक प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण के प्रश्न को लेकर हड़ताल चल रही है, जिसके समर्थन में अब छात्राओं के साथ छात्रगण ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया है। पुलिस और छात्रों के बीच लाठी चार्ज और संघर्ष होने की भी सूचना मिली है। इस प्रश्न को लेकर लगभग १५ लाख के आबादी वाले शहर में तनाव और आतंक का वातावरण पैदा हो गया है। किसी भी समय अमन चैन में गम्भीर विस्फोट होकर बहुत बड़े पैमाने पर शहर और उत्तर प्रदेश भर का नागरिक जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है।

इसी प्रकार से माननीय सन्तसिंह जी यूसुफ का है। इन सब को मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। यह पुलिस विभाग की दृष्टि से आया है या शिक्षा विभाग की दृष्टि से आया है या नगर महापालिका की दृष्टि से आया है? अगर यह नगरमहापालिका की दृष्टि से आया है तो मुझे अवसर दिया जाय मैं अभी बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—यह सरकार के पास भेज दिया गया है तो सरकार जिस तरह से चाहे इसका जवाब दे दे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—आपने दो को पढ़ा है तो और को भी पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं आपकी सूचना को भी पढ़े देता हूं। "कानपुर नगर में कुछ बालिका विद्यालयों के प्रधानाध्यापिकाओं के स्थानान्तरण को लेकर गत २७ सितम्बर से चार छात्रायें भूख हड़ताल कर रही थीं। उनके सभी कालेजों में हड़ताल भी है। छात्राओं की मांगों की सहानुभूति में कल कानपुर नगर की सभी शिक्षा संस्थाओं में आम हड़ताल थी और

[श्री अध्यक्ष]

हजारों छात्रों ने शान्तिपूर्ण ढंग से नगर में प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने शान्तिपूर्ण छात्रा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिये बल का प्रयोग किया और कुछ लड़कियों को चोटें आईं।"

इन सभी को मैंने शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दिया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। बीच में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता है और जब मैं समाप्त कर लूं तब आप कहियेगा। इसमें जितनी नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं उनमें माननीय चन्द्रजीत यादव की सूचना को स्वीकार किया है। उसको मैंने बहुत महत्वपूर्ण समझा है और उसको मैंने सरकार के पास भेज दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल वह इस संबंध में वक्तव्य दे सकेंगे।

अब स्वशासन मंत्री जी ने मेरे सामने एक सवाल किया है कि किस विभाग को दिया है। तो वह मैंने सरकार को दिया है और मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकल आयेगा कि जिसमें पूरा विवरण हमारे सामने आ जाय। मैं समझता हूं, गृह मंत्री जी अगर उसको डील करें तो ज्यादा अच्छा हो।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह सवाल स्वशासन विभाग के ही मुताल्लिक है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—यह सरकार के विभागों का ढंग है।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा भी एक प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं आपके सामने यह व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं कि मैंने भी एक नियम ५२ के अन्तर्गत आपको सूचना दी थी कि ललितपुर का एक बहुत बड़ा बान्ध था, जिसमें सरकार ने करोड़ रुपया व्यय किया ....

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—पहले सुन लीजिये, फिर भले ही अस्वीकार कर दीजियेगा। वह इस से संबंधित है और आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—कानपुर की घटना से संबंधित है?

श्री लखपतराम शर्मा—जी हां, लेकिन अपनी बात कहूंगा नहीं तो बतलाऊंगा कैसे?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मुझे याद आ गया। आपने जो सूचना भेजी थी वह मैंने सिंचाई मंत्री जी के पास भेज दी है।

श्री लखपतराम शर्मा—सुन तो लीजिये। मेरा निवेदन यह था कि करोड़ रुपया उस बांध पर सरकार का खर्च हुआ है ....

श्री अध्यक्ष—आप उसको रिपीट न कीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—कम से कम कुछ कहने का मौका तो दीजिये। मेरा निवेदन यह था कि जिस बांध पर सरकार करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है उसमें इतनी जल्दी दरारें पड़ जायं, हजारों आदमी काम छोड़ कर घर भाग जायं, उसके संबंध में दी गयी सूचना को तो यहां पढ़ी न जाय और नियम ५२ की जो आज अन्य सूचना यहां अस्वीकार की गयी उसे आपने यहां पढ़ दिया, तो मेरा निवेदन यह है कि या तो नियम ५२ में जो सूचना आये उन सब को आप पढ़ दिया करिये या फिर कोई भी न पढ़ी जाय।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—मैं भी एक निवेदन कर दूं। मैंने भी नियम ५२ की एक सूचना दी है। उस के बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की।

श्री अध्यक्ष—यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं किस को सदन के समक्ष रखूं और किस को नहीं। अगर इस संबंध में आपको कुछ कहना हो तो मेरे कक्ष में आकर बात कर सकते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—मैंने भी एक सूचना दी थी, जिसमें श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह भूख हड़ताल कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—मेरा एक निश्चित मत है कि भूख हड़ताल के बारे में मैं कोई वक्तव्य नहीं दिलाऊंगा। यह मेरी रूलिंग है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कामरोको प्रस्ताव अथवा नियम ५२ के जरिये ही हम लोग अपनी बात यहां उठा सकते हैं। यह दो ही हक हमको हैं। लेकिन जिस कामरोको प्रस्ताव की सूचना हम लोग देते हैं उसे आप नियम ५२ में बदल देते हैं और इस प्रकार हमारा कामरोको का अधिकार छीन लेते हैं। पिछली कई बार इस तरह की बात हुई हैं, लेकिन उसका कभी भी साफ जवाब नहीं मिला कि हमारा यह अधिकार हम से क्यों छीना जाता है। इस प्रकार आप हमारी बात को एक घटिया किस्म से सदन में उपस्थित करने का मौका देते हैं, बढ़िया किस्म से नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं बतला दूं। आज नहीं, सन् १९४६ से आज तक की जो रूलिंग्स दी गयी हैं सब में अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह कार्य-स्थगन को नियम ५२ में बदल दें, नियम ५३ को नियम ५२ में बदल दें, नियम ५२ को अस्वीकार कर के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में ले जायं। यह तो मुझे अधिकार मिला है और उसे मैं अपने विवेक के अनुसार काम में लाता हूं। उसका पालन पूर्वगामी अध्यक्ष करते रहे हैं और मैं भी करता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कानपुर की घटना के बारे में मंत्री जी ने कहा कि उनको सूचना है और वे आज ही वक्तव्य दे सकते हैं। मंत्री जी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं।

श्री रतीपाल—एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अभी अपने क्षेत्र से आ रहा हूं और वहां की जनता....

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये।

(श्री रतीपाल के बराबर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—सुनो रतीपाल, व्यवस्था का प्रश्न नियम के संबंध में होता है।

श्री चन्द्रबली सिंह—"सुनो रतीपाल," पर मुझे एतराज है।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

†उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो निवेदन कर रहे थे, विशेष सरकारी पक्ष से कि इस विधेयक को जनमत के लिये क्यों भेजा जाना चाहिये, उस संबंध में सर्व प्रथम बात यह है कि सरकारी पक्ष को वह बहुमत प्राप्त नहीं है जो होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस दल ने जनता के सामने चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में इस बात को साफ जाहिर नहीं किया था कि वह लगान बढ़ाने की बात सोच रही है। तीसरा प्रश्न उसकी प्रतिष्ठा का है और अपना वचन भंग करने का है। उसके लिये जरूरी हो गया है कि वह जनता को बताये कि दरअसल में उसका वचन भंग हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो किस अर्थ में नहीं हो रहा है; यदि हो रहा है तो किन परिस्थितियों के अंदर हो रहा है। चौथी बात यह है कि इस बिल को जनता के समक्ष जाना आवश्यक है। मैं मिसालें दूं कि पिछले १५ वर्ष में जितनी स्कीमें सरकार की तरफ से चली हैं, मैंने एक-एक का हवाला दिया है, उसमें शायद ही कोई ऐसी कही जाय जिसको हम सफल कह सकें। उसका नतीजा यह हुआ है कि जनता के मन में एक बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हो गया है इस सरकार के प्रति। जनता यह सोचने को बाध्य हो गई है कि आया आगामी सरकार की स्कीमें सफल होने की दिशा में जायेंगी या नहीं। इसलिये मेरी राय में इस कर को जनता के समक्ष अवश्य जाना चाहिये और उसका विश्वास प्राप्त करने के लिये यह बड़ा जरूरी है। यह हमारे लिये निहायत जरूरी है कि आइन्दा हम जो करने जा रहे हैं कम से कम उस पर जनता को विश्वास करना चाहिये।

श्रीमन्, अब मैं सहकारिता की बात कहता हूं। सहकारिता की बात बड़े जोरों से चली लेकिन उसको देखा जाय यदि गहराई से तो वह कागजों पर ही रह गई है। पहले गांवों में सहकारी समितियां और साधन सहकारी समितियां बनीं, लेकिन उनका भी अब महत्व नहीं रह गया है। वे केवल अब इसलिये रह गई है केवल यह दिखाने के लिये कि इतनी बड़ी संख्या में सहकारी समितियां बन गई हैं। इसके सिवाय इसमें आप देखें कोई तथ्य नहीं है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें चलीं जैसे पेड़ लगाने की स्कीम आदि। परन्तु यह सारी चीजें केवल प्रचार मात्र हो कर रह गईं। कागजों पर उनके भले ही आंकड़े हों, लेकिन असलियत में उनका कोई स्थान नहीं रह गया है। इन सारी बातों का नतीजा आज यह हो गया है कि जनता को यह भ्रम पैदा हो गया है कि सरकार की सारी स्कीमें असफल हैं। आप जो जनता के ऊपर अब और कर लगाने की बात करते हैं और जो प्लानिंग की बात करते हैं, तो जनता अब यह सोचने को मजबूर हो गई है कि यह सब बातें कार्यान्वित भी की जा सकेंगी या नहीं। आज यह स्थिति आ गई है कि यह विश्वास दिलाना आपके लिये बहुत जरूरी हो गया है कि आपके विकास कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात के लिये कि जनता के दिलों का खोया हुआ विश्वास आप फिर से प्राप्त कर सकें, यह बहुत ही जरूरी है कि इस विधेयक को जनमत के लिये ले जाया जाय।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, सदन में बड़ा शोर हो रहा है और भाषण ठीक से नहीं सुना जा सकता है। इसलिये यह शोर बंद होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह माननीय सदस्यों से मैं रोज ही कहता हूं कि सदन में पीछे मुड़ कर आपस में बातचीत करने का तरीका बड़ा खराब हो गया है और इस तरह से सदन की कार्यवाही में विघ्न पड़ता है। इसलिये जो माननीय सदस्य सुनना चाहें, वे सुनें, अन्यथा बाहर लाबी में जाकर बातें करें।

श्री महादेव—श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि इस बिल को जनमत के लिये अवश्य भेजा जाय। अगर इस सेफ्टी वाल्व का खयाल नहीं किया जाता है तो जनतंत्र के तानाशाही में परिवर्तित होने का खतरा पैदा कर दिया जाता है। यह वह चीज है जिसको अंग्रेजों ने अपनाया

---

† ४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

* ३ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

है और जिसको और मुल्कों ने भुलाया है । पिछले सौ साल से सारी दुनियां में जनतंत्र को कामयाब बनाने की चेष्टा आज की जा रही है । लेकिन उन मुल्कों को छोड़कर जहां अंग्रेज जाति बसी हुई है, जैसे कनाडा, यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खुद इंगलैंड, उनको छोड़कर, बड़े पढ़े-लिखे एडवान्स्ड मुल्कों जैसे इटली, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों में भी जनतंत्र फैला हुआ है । उसका प्रधान कारण यह है कि उन्होंने उस सेफ्टी वाल्व को नहीं अपनाया । बादशाहत के खिलाफ भी लोहा लेते हुये बादशाह को फांसी देकर, देश निकाला देकर, अंग्रेजों ने जनतंत्र पद्धति को जन्म दिया है । उनका सेफ्टी वाल्व है क्या ? वह कोई दैवी अधिकार नहीं है । वह केवल जनमत है । उनके यहां जब भी पार्लियामेंट की या रूलिंग पार्टी को यह चैलेन्ज किया जाता है कि इस पर जनमत लेना आवश्यक है, वहां वह उसको फौरन मान लेते हैं । वही एक पद्धति है जो सारे विवाद को समाप्त कर देती है । जब एक बार सरकारी पक्ष को जनमत प्राप्त हो जाता है तब उसके विरोध में किसी को भी कुछ कहने का साहस नहीं होना चाहिये । अगर उसको दबाया गया तो उसका नतीजा फासिज्म हो सकता है, या कोई भी वह नतीजा हो सकता है जो जनतंत्र के लिये घातक हो । इसलिये यह जरूरी है कि इसे जनमत के लिये भेजा जाय ।

छठी चीज एक और है और वह है आर्थिक दृष्टिकोण । सरकार को जनता के सामने यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसानों की रही-सही क्रयशक्ति को क्षीण करके क्या हम उसके औद्योगीकरण को प्रगति दे सकेंगे । यह समझाना पड़ेगा उसको । मेरा ऐसा खयाल है कि ज्यों-ज्यों हम किसानों की शक्ति को क्षीण करेंगे उसका परिणाम अवश्यम्भावी है । हमारा मार्केट न रूस है, न अमेरिका है, न दूसरे मुल्क हैं, हमारा सबसे बड़ा मार्केट हमारी गांव की जनता है और उसकी शक्ति को अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे औद्योगीकरण का सब से बड़ा आधार ही नष्ट हो जाता है । कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम उस शक्ति को जो पहले ही क्षीण हो चुकी है उसको और क्षीण करने का प्रयास करें । हमको देहात की जनता को यह समझाना होगा कि हम तुमसे कर ले रहे हैं, उसका नतीजा होगा कि हम देश को औद्योगीकरण की तरफ ले जायेंगे । इस आर्थिक प्रश्न को उसे हृदयांगम कराना होगा । केवल कह देने से ही कुछ काम नहीं चलेगा ।

७ वां कारण एक और है जिस कारण से आपको इसे जनमत संग्रह के लिये भेजना चाहिए और वह यह है कि क्या ८ एकड़ की जोत ऐसी एकोनामिक होल्डिंग है कि जिस पर आप टैक्स ले सकते हैं । मैं आपके सामने दो मिसाल रखता हूं । एक तो यह कि मेरे स्कूल के एक लड़के ने इन्टर पास किया, उसके बाद बी० ए० (ग्रेजुएट) किया । उसके पिता एक अच्छी खेती करते हैं और उनके पास ४०-५० एकड़ भूमि भी है । १५-२० मजदूर भी काम करते हैं अच्छी मजदूरी पर और स्वयं भी वह खेत जोतते हैं । एक दिन वह रोने लगे । मैंने उसका कारण पूछा । उन्होंने कहा कि मेरा अकेला लड़का है और उसको मैंने ग्रेजुएट कराया और वह कल कह रहा था कि आप कहीं नौकरी दिला दो, किसी तरह काम चले । मेरी समझ में नहीं आता कि १५ नौकर मेरे यहां नौकरी करते हैं, खुद मैं खेती करता हूं, ५०–६० एकड़ जमीन, और यह जब नौकरी करने जायेगा तो इसका क्या होगा । मैंने उस बच्चे को बुलाकर इसका कारण पूछा । मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम नौकरी क्यों चाहते हो, तुम्हारे यहां तो खेती होती है, इतनी जमीन है । उस पर उसने कहा, एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि मैं अपने बाप का अकेला लड़का हूं । मेरी पढ़ाई के लिये इंटर तक तो ठीक रहा लेकिन जब मैं बी० ए० में आया तो पिता जी को कई बीघा जमीन गिरवीं रखनी पड़ी । अगर मेरे कई लड़के बच्चे हुये तो मेरा काम कैसे चलेगा । मैंने कहा कि जमीन तो तुम्हारे पास होगी ही उसको बेच देना । उसने कहा इसका भी क्या पता कि यह जमीन हमारे पास रहेगी भी । अब इसका मेरे पास क्या उत्तर था ?

[श्री महादेव—]

दूसरी मिसाल लीजिये। हमारे जिले में भसौंधा का एक सरकारी फार्म है जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन है। नया भी नहीं है, ५० साल पुराना होगा। उसके पास अपने ऐंजिन हैं, हाथी उनके पास हल चलाने के लिये है, बड़े बढ़िया बैल हैं, ट्रैक्टर हैं, अच्छा बीज भी उनके पास है, बी० एस० सी०, एम० एस० सी० पास तजुरबेकार सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां मौजूद हैं, इतनी सब सुविधाओं के होते हुये भी पिछले २५ साल से वहां मुनाफा नहीं हुआ है और यह मसौदा फार्म घाटे पर चल रहा है। इसमें भी सुपरिन्टेन्डेन्ट की तनख्वाह इसमें शामिल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके आंकड़े मंगा कर देख लें।

इसलिये मैं आपसे पूछता हूं कि किन आंकड़ों के बल पर सरकार ने यह तय किया है कि ८ एकड़ के ऊपर वाली जोत टैक्स लगाने के काबिल हैं और किस आधार पर आप ८ एकड़ तक छूट दे रहे हैं, क्या इस आधार पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि ८ एकड़ से ऊपर एकोनामिक होल्डिंग है जिसको टैक्स किया जा सकता है? लेकिन इसका कोई प्रमाण सरकार के पास नहीं है। उनके सामने कोई-कोई केस ऐसा होगा जिसको अधिक आमदनी हो गयी होगी और उस पर से मुंशी जी की भांति हिसाब लगा लिया कि इतने पर टैक्स लगाया जाय। मुंशी जी को एक नदी पार करनी थी। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। उन्होंने नदी की गहराई नाप-जोख कर यह नतीजा निकाला कि उसकी औसत गहराई ऐसी है कि लड़का डूब नहीं सकता। लेकिन लड़का आगे जाकर डूब गया। मुंशी जी सोचने लगे "लेखा जोखा चाहे, लड़का काहे"। इस प्रकार से मंत्री जी को एक आधा मिसाल ऐसी मिल गयी और उस पर से उन्होंने नतीजा निकाल लिया कि ८ एकड़ के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। ५०–६० रुपया एडीशनल टैक्स उनसे लिया जा सकता है। सरकार को यह साबित करना होगा कि ८ एकड़ के ऊपर का किसान इस लायक है जो विकास कार्य के लिये टैक्स दे सकता है। अब एक बात और है कि जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनके लिये तो रुपये की आवश्यकता होगी ही और यह सरकार की मांग लेजीटिमेट है। आपने देखा होगा कि गरमी के दिनों में पछुवा हवा चलती है, छोटे-छोटे ताल तलैया का पानी सूख जाता है, लेकिन लोगों के जीवित रहने के लिये कुओं और तालाबों में पानी फिर भी रह जाता है। बात यह है कि असल में मानसून तो हिंद महासागर से पानी लाती है और गांवों में बरसाती है। खेतों की मेंड़ तो वैसे ही छोटी-छोटी होती हैं, वहां पानी कहां रुक सकता है वह तो फिर समुद्र में ही सिमट कर पहुंच जाता है। इसलिये यह टैक्स रूपी मानसून आपको शहरों से उठानी चाहिये जहां धन के भंडार हैं और वह गांवों में बरसे। गांवों से तो वह दौलत फिर शहरों में दूसरे प्रकार से घूम फिर कर आ जायगी। जब पछुवा हवा भी जीवित रहने योग्य पानी छोड़ देती है तो फिर यह कहना आपका कितना लचर है कि सारे तालाबों और कुओं को सोख लेंगे और तब ही वहीं पानी बरसायेंगे? सारी जो गांव की शक्ति है उसे खींच लीजियेगा। उसके बाद विकास कीजियेगा? जब जानवर और दरख्त सब मुर्दा हो जायेंगे उसके बाद पानी बरस कर क्या होगा? जब जीवन शक्ति क्षीण हो जायगी तो आपका विकास किस काम आयेगा? मैं तीन दिन से हिसाब किताब लगा रहा हूं और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सारे उत्तर प्रदेश में जितने सारे मकान गांवों में छप्पर व खपरैल तथा कच्चे व पक्के हैं, उनकी हैसियत का जोड़ लें तो वह एक कानपुर के मकानों की हैसियत के बराबर है। अगर उसमें आधे लखनऊ को शामिल कर लें तो उसकी हैसियत डेढ़ गुनी बढ़ जायगी। फिर आप पूछ रहे हैं कि हम पैसे कहां से ले आवें। मानसून पूछे कि पानी कहां से बरसावें। इसका जवाब हमारे पास नहीं है बल्कि आप के पास है, हम तो प्यासे हैं। क्या आप ताल-तलैया को खतम कर के तब हमें दो बूंद पानी देंगे?

एक और कारण है जिससे इस बिल को जनमत के लिये भेजना जरूरी है और वह यह कि सरकार के आदेश का बराबर मखौल हो रहा है अधिकारियों द्वारा। अगर आप इस बात को साबित नहीं करते हैं कि आपके आदेशों का मखौल नहीं बन रहा है तो फिर आपके आदेश का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। मखौल की एक मिसाल मैं दे रहा हूं। आज से कई साल पूर्व सरकार का आदेश हुआ कि गांव के लेखपाल....

श्री सत्यनारायण पांडेय द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अभी आ रहा था तो फाटक पर लखनऊ के एस०एस०पी० महोदय मौजूद थे उन्होंने कहा कि इधर क्यों खड़े हो। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं। इस पर उन्होंने कहा "यू आर अंडर अरेस्ट" फिर बाद में उन्होंने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं ४ दिन से बीमार हूं, मैं ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। मैं इस समय इससे अधिक नहीं कह सकता। आखिर इस तरह से कैसे व्यवस्था चलेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—अगर व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो कम से कम हमारे आने की तो व्यवस्था करें। एक पुलिस की नौकरशाही मेरी बेइज्जती करना चाहे, करती जाय तो आपको यह शोभा नहीं देता। आखिर आप वहाँ इसकी कोई व्यवस्था तो करें . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं अभी एस० एस० पी० महोदय से पुछवा रहा हूं।

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री महादेव—तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है और अगर विकास को लेकर आप जनता के पास कर का नाम लेकर गये तो आपको यह साबित करना जरूरी है कि आपके समुचित आदेश की अवहेलना नहीं होती। आज से कई साल पूर्व लेखपालों को यह आदेश हुआ कि इन्दराज करने के बाद तरमीम खाते के कागज की एक प्रति सभापति के पास दे दें और उनसे दस्तखत करा लें और उनको भी दे दें जिनके खाते में तरमीम हुई हो। अपने जिले की बात तो मुझे मालूम है, अन्य जिले की बात मैं नहीं जानता, मैं सरकार से पूछता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है. . . . . .

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अभी जो एक माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण पाँडेय जी का अपमान हुआ है, उस पर मैं एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—मुझे उसकी सूचना मिल चुकी है।

श्री महादेव—अभी थोड़े दिन हुए, मैंने सिंचाई मन्त्री जी से प्रार्थना की थी कि नहर, ट्यूबवेल्स और ताल-तलैया वगैरह अगर जनता के लिये खोल दिये जायं तो मुश्किल क्या है।

श्री सत्यनारायण पांडेय द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत (क्रमागत)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि जो स्थिति इस समय है वह असहनीय है और मैं तो निजी रूप से इस को बरदाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुख्य मन्त्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। अभी एक विशेषाधिकार का प्रश्न यहाँ पेश हुआ। आप उस पर विचार करेंगे। अभी एक भाई ने अपनी आप बीती बात पेश की, उस को आपने सुना। माननीय कमलासिंह जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी और सम्बन्धित माननीय सदस्य अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं और वह अपने को कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वह अभी बच्चों जैसे यहाँ रोने लगे और वह उठकर

[श्री झारखण्डेराय]

सदन के सभी बाहर चले गये हैं। मैं चहूंगा कि आप माननीय मुख्य मन्त्री से ऐसी बात कुछ कहें कि वे फौरन कोई कार्यवाही करें। अगर इस तरह की बाते होंगी तो मैं नहीं कह सकता यहां फिजिकल क्लैश हो जायगा।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, यह मसला ऐसा है जिस पर तुरन्त विचार होना चाहिये। वह इलाहाबाद के सदस्य आये उन का कुर्त्ता फटा हुआ है, वह शायद पी० एस० पी० के हैं, उन से कहा गया कि 'यू आर अन्डर अरेस्ट' और उन को गालियां और भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की बात यहां उठे और आप टाल दें तो कैसे काम चलेगा? मैं समझता हूं कि इस पर अभी तुरन्त साढ़े बारह बजे से दो बजे तक पूरी जांच होनी चाहिये और दो बजे उस के ऊपर आप का निर्णय यहां आना चाहिये और तब कार्यवाही होनी चाहिये वर्ना यहां हमारा बैठना नामुमकिन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैंने अभी अपने कमेटी आफिसर को स्थिति जानने के लिये भेजा है और अभी मैं माननीय उपाध्यक्ष को बुला रहा था कि वह यहा आ जायं और मैं इस मामले को जांच करूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस तरह का अपमान और दुर्व्यवहार इन के पुलिस वाले माननीय सदस्यों के साथ कर रहे हैं वह उनके प्रोत्साहन पर कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य को अभी डायस पर बुलाकर उनकी आप बीती कहानी सुनी जायं। यदि ऐसा अपमान हो जायगा तो हमारे लिये यहां आना बैठना असम्भव हो जायगा। अतः निवेदन है कि आप सदन को इसी समय स्थगित करें और तुरन्त इसकी इन्क्वायरी करायें और जो भी कठोर से कठोर कदम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उठाया जा सकता है वह उठायें और उनको यहां बुलाकर सब बात सुनें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---मुझे निवेदन करना है कि आप हमारे हितों के रक्षक हैं और इस सरकार में तो अब वह काबलियत नहीं रह गई है कि वह हमारे हितों की रक्षा कर सके। अगर किसी से हमारी रक्षा हो सकती है तो आप ही विराजमान हैं। सदन का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है कि पुलिस के अदना अफसर ने इस तरह से माननीय पांड़ेय जी का अपमान किया है। आप देख लें वह रो रहे हैं। आप इसके लिये व्यवस्था करें और जब तक यह व्यवस्था न हो जाय आप कृपा करके सदन को स्थगित कर दें। जब तक आप स्वयं इसकी इन्क्वायरी न कर लें तब तक के लिये सदन स्थगित कर दें। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष---सदन को स्थगित करने का प्रश्न नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं और पूछूंगा... (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन, मैं आप से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे साथ चलकर अभी इसकी इन्क्वायरी करें और सदन को इसी समय स्थगित कर दें।

श्री सत्यनारायण पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं उसी समय आप से कहने वाला था...

श्री अध्यक्ष---आप बैठकर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी समय आप से निवेदन किया था, लेकिन आप ने सुना नहीं। अभी ऐसा हुआ कि मैं यहां आ रहा था सदन में दारुलशफा की तरफ से तो वहां पर कुछ जनसंघ के सत्याग्रही बैठे थे और वहां भीड़ के कारण मुझे भी रास्ता न मिलने से रुकना पड़ा। वहां पर जो एस० एस० पी० थे जिन का बाद में मुझे पता चला कि

वह एस० एस० पी० थे ? मुझे भी दो मिनट के लिये, चूंकि भीड़ थी, रास्ते में लोग लेटे हुए थे, रुकना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन हो तुम। मैं उत्तर ही देने जा रहा था कि मैं एक सदस्य हूं, इतने में उन्होंने जोर से धक्का दिया।

(शेम, शेम)

मुझे नाटक करना अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना फटा कुर्ता दिखाऊं, इसमें क्या रखा है। मेरा कुर्ता फट गया, उन्होंने कहा यू आर अन्डर अरेस्ट (You are under arrest)। मैंने कहा मैं सदस्य हूं, मैं जा रहा हूं बल्कि जो लोग रास्ते में खड़े थे जनसंघ के उनसे कह रहा था हमको क्यों नहीं जाने देते, और मैं उन सदस्यों में हूं जो जनसंघ के सत्याग्रहियों के सीने पर चढ़ कर सदन में आया हूं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन एस० एस० पी० ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब शायद प्रयाग के रहने वाले डी० वाई० एस० पी० श्री सिमलाई ने उनसे कहा तब जा कर उन्होंने कहा जाइये। मैं इससे अधिक नहीं कह सकता।

श्री जेड० ए० अहमद—हम सदन में नहीं बैठ सकते जब तक इसकी जाँच न हो जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि यह सदन स्थगित किया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मेरा नम्र निवेदन है आप सदन स्थगित कर दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—माननीय मुख्य मन्त्री जो क्षमा-याचना करने के लिये नहीं उठ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप ही अकेले बोलने वाले नहीं हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—एस० एस० पी० की कोई खबर आयी हो मुख्य मन्त्री के पास तो वह कहें।

श्री अध्यक्ष—सदन केवल आपके बोलने के लिये नहीं है और लोग भी हैं, सबको बोलने का अधिकार है। माननीय नेता सदन, कोई सूचना है इस सम्बन्ध में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो कोई सूचना नहीं है क्योंकि मैं तो बाहर नहीं गया।

एक सदस्य—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसी घटना दिन प्रति दिन होती है, आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो सदन में बैठकर करना क्या ?

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक सदस्य नोटिस दे चुके हैं, एक नोटिस मेरे पास आ चुका है और वह स्वतः कह चुके।

माननीय नेता सदन को कुछ कहना हो तो कहें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास जो पहली घटना जिसकी चर्चा की गयी थी, उसकी खबर आ गई है और अगर आप इजाजत दें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—उसका फैसला बाद को होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—और मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, और जैसा अभी माननीय सदस्य ने स्वतः बताया उनसे पूछा तो उन्होंने पहले यह नहीं बताया कि वह इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने यह पहले नहीं बताया.....

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण पांडेय—उन्होंने पूछा। मेरा उत्तर बिना सुने कहा "You are under arrest"। जब किसी भले आदमी से पूछें तो उत्तर के लिये वेट करना चाहिये। तो उन्होंने मेरा बिना उत्तर सुने कहा "Yon are under arrest"।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं स्थिति साफ करना चाहता हूं। नेता विरोधी दल ने बताया उनका दल सत्याग्रह कर रहा है और लोगों को यहां अन्दर आने के सिलसिले में रुकावट पैदा कर रहा है। यह उन्होंने कहा।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—यह उन्होंने नहीं कहा। यह बिल्कुल झूठ है, मैं नोटिस देता हूं। आप कुछ कहने के पहले प्रोसीडिंग प्रोड्यूस करें। हम लोग कहते हैं नहीं कहा गया।

श्री अध्यक्ष—सत्याग्रह तो कर रहे हैं और करेंगे, यह तो कहा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सत्याग्रह हो रहा है। ये लोग लेट जाते हैं जैसा कि माननीय पांडेय जी ने कहा उस दिन लेटे हुए व्यक्तियों पर चढ़कर वे आये थे। आज क्या हो रहा है मैंने देखा नहीं है और न जानकारी प्राप्त की है। यदि लोग लेटे हैं और वहां भीड़ लगाते हैं और कोई माननीय सदस्य यहां आना चाहते हैं और कोई पुलिस के अधिकारी उस माननीय सदस्य से पूछना चाहते हैं और उस अधिकारी को जानकारी नहीं कराई जाती है और ऐसा करने में कुछ बात वहां हो जाती है तो मैं इस सदन से आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था रखने का आदेश दिया था और पुलिस का इन्तजाम रखने का आदेश दिया था तो उसका क्या मतलब था ? यही मतलब था कि पुलिस के अधिकारीगण फाटक पर खड़े रह कर व्यवस्था करें जिससे इस सदन के माननीय सदस्य सुभीते से आ सकें और कोई रुकावट न डाल सके और कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समुदाय रुकावट डालता है और इस रुकावट डालने में कहीं गलतफहमी से कोई बात हो जाती है तो इस प्रकार से माननीय सदस्यों के द्वारा रोष प्रकट करना मैं समझता हूं एक अनुचित चीज है।

परिस्थिति को देखकर व समझ कर कोई आलोचना पुलिस अधिकारियों की करनी चाहिये। पुलिस के अधिकारी कितना अनप्लेजेंट कार्य करते हैं। उन तमाम व्यक्तियों का मुकाबला करना पड़ता है जो सत्याग्रह के नाम पर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—सत्याग्रह में कानून ही तोड़ा जाता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो सत्याग्रही कानून का उल्लंघन करेंगे और विधान के विरुद्ध कार्य करेंगे तो व्यवस्था का पालन करने के लिये आपका आदेश रहेगा और बाहर सदन के जो अधिकार सरकार को है ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था रखने के लिये सरकार उस कानून के तहत में उन तमाम अधिकारों का प्रयोग करेगी और उन तमाम व्यक्तियों के प्रति, जो कानून तोड़ते हैं, कार्यवाही करेगी जो कानून उनके प्रति करने की इजाजत देता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने यह बात कही थी कि जनसंघ सत्याग्रह कर रहा है और ला ऐंड आर्डर के खिलाफ कुछ कर रहा है या करेगा यह मैंने कभी नहीं कहा था। यह बाधा डाल रहे हैं यह माननीय मुख्य मंत्री ने कहा। किस प्रकार गलत बात वह कहते हैं ?

एक बात और कह दूं कि जो सत्याग्रह कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जाय लेकिन पुलिस का सदस्यों के साथ जो व्यवहार है वह असहनीय है। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात स्वीकार नहीं की, इस कारण दो बजे तक के लिए हम सदन का त्याग करते हैं।

(इसके उपरांत जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—प्रध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के रवैये से हम देखते हैं कि हमारे हकों की रक्षा नहीं हो रही है। हम यहाँ बैठना उचित नहीं समझते। हम चाहते थे कि आप उसकी जाँच करें और जाँच करके उस पर कार्यवाही करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो रवैया है† यह जनतांत्रिक रवैया नहीं है। इस तरह से जनतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता।

(इसके पश्चात् समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री चैतन्यराजसिंह—मुझे भी निवेदन करना है। माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि ऐसे आदेश हैं जिनसे सदस्यों के आवागमन में सुविधा हो। यह किस ला ऐंड आर्डर का अर्थ है कि जब कोई सदस्य किसी भी ला को भंग नहीं कर रहा है फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार हो।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा हो सकता है कि किसी के साथ गलती से ऐसा व्यवहार हो गया हो, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि किसी माननीय सदस्य का अपमान किया जाय।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—मुझे बहुत दुःख है। अभी कुछ देर पहले जिस घटना की चर्चा हुई थी, उसक बाद सरकार को कुछ सतर्कता बरतनी चाहिये थी। लेकिन सतर्कता बरतने के बजाय माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत गर्मी में कहा—वह गर्मी उनमें नहीं आना चाहिये थी, स्वतः वह गर्म हैं। सरकार में गर्मी आये तो फिर काम चलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने जो कुछ कहा वह सब उन बातों की ताईद में कहा, मैं बैठ कर सुन रहा था, जो कुछ भी पुलिस ने किया है। अब आप बतायें और खुद माननीय मुख्य मंत्री यह समझें कि माननीय सत्यनारायण पांडेय जी ने कौन-सा कसूर किया था जिसके कारण उनके कपड़े फाड़े गये या उनको धक्का दिया गया। उसके बाद भी मैं यह नहीं कहता कि बाद को निर्णय क्या होगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रुख माननीय मुख्य मंत्री जी का है, उससे किसी भी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा कायम रहना सम्भव नहीं है और मैं समझता हूं कि यह रुख इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और यह रुख प्रजातन्त्र की जड़ पर कुठाराघात करता है। इसके प्रति कितना गुस्सा और कितनी नाराजगी हम लोग दिखला सकें, हमारी बोली में मैं नहीं जानता हूं कि कितनी ताकत है, वह उस गुस्से को एक्सप्रेस कर पायेगी या नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आज जो विधेयक हमारे सामने है, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग इस सदन से बाहर जायं और दो मिनट में यह पास हो जाय। यह बड़ा भारी धर्म संकट हमारे लिए है, लेकिन अपने गुस्से का इजहार करने के लिये हम जरूर इस सदन को कुछ मिनटों के लिए छोड़ेंगे। दाऊदयाल जी चाहे जितना सिर हिला लें लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरा होश में आकर सोचें कि इस सदन की प्रतिष्ठा आखिर वे कहां रखने जा रहे हैं। इसलिये हम इस सदन को थोड़ी देर के लिये छोड़ रहे हैं।

(इसके पश्चात् प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, यह जो वाकयात हो रहे हैं वह बड़े ही अफ़सोस के हैं और इस सम्बन्ध में हमको हाउस आफ कामन्स की एक ऐतिहासिक घटना की याद आती है, जब कर्नल प्राइड ने अपनी फौज को लेकर हाउस आफ़ कामन्स के बाहर मेम्बरों को हाउस में जाने से रोका था। आज वही स्थिति हमारे सामने भी है। आज सरकार की पुलिस और पी० ए० सी० इस सदन के माननीय सदस्यों को सदन में आने से ही रोक नहीं रही है बल्कि बल प्रयोग कर रही है और उनके साथ बहुत ही शर्मनाक बरताव कर रही है। इसलिये मैं अपने तमाम साथियों के साथ और इस बरताव के खिलाफ सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इसके उपरान्त निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

---

†मा० अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—माननीय नवरंगसिंह जी, अब इसमें सब बातें तो बता दी गयी हैं। आप और क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नवरंगसिंह—तो हम भी उनकी सहानुभूति में उसी आधार पर आधे घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त स्वतन्त्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—माननीय महादेवजी, आप कितनी देर और लेंगे ? अब तो काफ़ी हो चुका। आप १ बजे तक समाप्त कर दें।

श्री महादेव—मैं कोशिश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और सोचने की है। सरकार की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि बहुत-सी बातें हुईं, नहरें बनी, ट्यूबवेल बने। हां, मैं इस बात को भूल गया, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध किया था कि नहर और ट्यूबवेल के रास्ते पब्लिक के लिये खोल दिये जायं। उन्होंने कहा कि मैंने आदेश जारी कर दिये हैं। लेकिन फिर मेरे पास शिकायत आयी कि लद्दू घोड़ा लादे हुये कोई बनिया गरीब जा रहा था वह गिरफ्तार हुआ, एक रिक्शेवाला गरीब गिरफ्तार हुआ और उसका चालान कर दिया गया। मेरे पास शिकायत आयी। मैंने कहा कि भाई, मैं फिर पूछूंगा। मैं क्या कहूं भी। मैं तो यह समझता हूं कि मंत्री महोदय ने मुझसे कहा था इसलिये आदेश गया होगा, लेकिन या तो वह आदेश पहुंचा नहीं या उसका पालन नहीं हुआ या अधिकारी ऐसा समझते हैं कि आदेश कुछ हुआ करे और हम कुछ किया करें। यह बड़ी दुःखजनक स्थिति हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे आदेश जो बहुत ही लाभकर हैं बहुत-सी ऐसी बातें जो सरकार की तरफ़ से बहुत अच्छी की गयीं इसमें कोई शक नहीं उनका भी पालन अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से ऐसा बेढंगा हो रहा है कि उनका भी कोई लाभ जनता को नहीं पहुंच रहा है। इसलिये यह भी आश्वासन देना जरूरी हो गया है जनता में जाकर कि यह जो कर-वृद्धि हो रही है जिसका इतना बड़ा भार वह उठायेगी उसमें भी उसी प्रकार का अपव्यय और वही हुक्मअदूली नहीं होगी जो बाकी और चीजों में होती आई है।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इसीलिये अब आपको जनता के सम्मुख जाना जरूरी है। अब इसके बाद सरकार के कर्णधार अक्सर कहते हैं कि सरकार ने क्या नहीं किया। स्कूल खुलवाये, नहरें बनवाईं, अस्पताल खुलावाये, सड़कें बनवाईं वगैरा-वगैरा। कोई इंकार नहीं कर सकता है कि यह चीजें हुई हैं और काफी हुई हैं। लेकिन एक प्रश्न है मान्यवर, कि सरकारी कुर्सियों पर बहुत लायक आदमी बैठे हैं। हमारे प्रदेश के चुने हुए व्यक्ति इन कुर्सियों पर आसीन और आज हैं तक की स्थिति देखिये कि यदि आपसे कम लायक आदमी इन कुर्सियों पर बैठे होते तो क्या यह चीजें न हुई होतीं। इसमें आपने क्या खास बात कर दी। सरकारी मशीन है और टैक्सेज हैं, सड़कें बन जायेंगी, स्कूल खुल जायेंगे, अस्पताल बन जायेंगे, सारी चीजें हो जायेंगी और सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। जैसे आपके सारे काम चल रहे हैं, कचेहरी चल रही है, चकबंदी चल रही है, उसी तरह से सब चीजें होती रहेंगी। इसमें कौन-सी सिफत है। अगर आप न रहते तो क्या यह चीजें नहीं होतीं। हमें यह नहीं देखना है कि आपके रहते कितने स्कूल बन गये, कितनी सड़कें बन गईं और कितने अस्पताल बन गये बल्कि देखना यह है कि आपकी प्रेरणा से जनता को कितनी प्रेरणा मिली, कितना विश्वास मिला। १९४७ में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ

किसी आदमी को खड़े होने का साहस नहीं होता था, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है। यह सब किस कारण से हुआ है ? जितना आपको विश्वास जनता का प्राप्त था उसको आपने खो दिया।

श्रीमन्, हमें यह देखना है कि आपने अपनी योजनाओं के प्रति कितना विश्वास जनता का प्राप्त किया। आप के कामों के प्रति जनता का कितना विश्वास है ? आपने जनता को कितनी प्रेरणा दी कि वह जुटकर सारे देश के उत्थान में हाथ बटाये। विकास का काम कभी भी रुपयों से होना सम्भव नहीं है बल्कि लाखों और करोड़ों आदमियों के हृदय में जब एक हूक उठती है, एक लहर पैदा होती है और एक आशा बलवती होती है तब देश का नव-निर्माण किया जा सकता है। जब आप जनता में यह प्रेरणा नहीं पैदा कर सके कि अनाज में, दूध में और सब चीजों में दस गुना पैदा करें तब तक आप कैसे यह दावा कर सकते हैं ? चन्द सड़कें बन गईं, नहरें बन गईं, स्कूल बन गये, इनसे यह नहीं हो सकता कि आप सफल हो गये और आपकी पोजीशन साफ हो गई। इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह काम तो सरकारी मशीन है, अपने आप हो जायंगे। जैसे आटे पीसने की मशीन से आटा पिसेगा ही आप अपने कामों में उतने सफल नहीं हुये जितने कि होने चाहिये थे। बहुत बड़ा जनमत कांग्रेस को प्राप्त था। अगर १५ वर्षों में वह खोया न गया होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान स्वर्ग बन गया होता। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन आपने जनता का विश्वास खो दिया। जैसे किसान नादानी कर जाता है कि मौसम निकलने के बाद वह बीज बखेरे वैसे ही जनता में जो लहर थी, जो प्रेरणा थी जिसके बल पर कांग्रेस सारे विरोध के बावजूद और तोपों के बावजूद उठी थी जब वह समाप्त हो गई तब आप जन-जागरण की बात सोच रहे हैं। आप अपने इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। इसलिये इन बातों पर कि इतनी नहरें बन गईं, इतने स्कूल खुल गये, इतने अस्पताल बन गये, आप यह नहीं सोच सकते कि आप अपने कार्य में सफल हो गये। श्रीमन्, जनता के समक्ष इस बिल को ले जाने का एक राजनीतिक कारण भी है। जनता ने आपको शासन-व्यवस्था चलाने के लिये भेजा है, उसको विश्रृंखलित करने के लिये नहीं। मेरा यह पूर्ण विश्वास है, जनता को भी विश्वास है कि कांग्रेस इसमें नाकामयाब होती है तो वह यह जानती है कि देश का भविष्य अन्धकारमय है। इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि जिसमें दूसरा दल शासन अपने हाथ में ले और कोई दल अभी तक ऐसा नहीं है जो इस कार्य को कर सकता हो। इस अत्यन्त दयनीय स्थिति का फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं उठाना चाहिये। सारी बातों के बावजूद भी जनता आज इसी तथ्य पर अन्तिम रूप में पहुंची है कि अगर बैल की जोड़ी को छोड़ कर जाओगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जावेगा। लेकिन क्या उसकी इस मजबूरी से इतना बड़ा फायदा उठाइयेगा कि वह हताश हो जाय। उसकी मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों के होते हुये वह आपके साथ चिपटी हुई है। लेकिन उसको इतना मजबूर न कीजिये कि उसको कहना पड़े कि देश जाय जहन्नुम में, समाज जाय जहन्नुम में अब इसके साथ हमें नहीं रहना है। यह एक बड़ी राजनीतिक भूल होगी और मैं बहुत दस्तबस्ता कांग्रेसजनों से अपील करता हूं कि यह इतनी बड़ी भयंकर भूल होगी जो आज तो नहीं मालूम हो रही है वैसे लेकिन जरूर मालूम करनी पड़ेगी।

एक बड़ी दिक्कत होती है कि जब कोई व्यवस्था चालू होती है और चालू रहती है तो उस व्यवस्था के चालू रहते उसके बाहर दिमाग रख कर सोचने की फुरसत नहीं मिलती और जब फुरसत नहीं मिलती तब बवंडर की व्यवस्था का सृजन होता और उस समय उसका पता नहीं चलता लेकिन जब बवंडर निकल जाता है तब मालूम होता है कि हम क्या हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके हाथ कमजोर हुये तो सत्ता ऐसे हाथों में जा सकती है जिसे आप भी नापसन्द करते हैं और जिसे यह देश भी नापसन्द करता है। फिर क्यों जानबूझ कर आप अपने सारे तीर और तरकश उसके, उस बवंडर के हवाले किये दे रहे हैं कि लो भाले, लो बरछी, लो तीर, लो तरकश और जैसे चाहो हम पर वार करो, यह कहां की बुद्धिमानी है ? मैं कोई आप की नुक्ताचीनी करने का शायक नहीं हूं। ३० साल तक मैंने भी कांग्रेस के झंडे के नीचे सेवा की है और सन् १९५२ में किन्हीं कारणों से उससे पृथक् होने को विवश हुआ। मैं इस (विरोधी) पक्ष

[श्री महादेव---]

से कहीं अधिक नजदीक आपके हूं। आपकी नीति का समर्थक हूं, अनीति का नहीं। तो मुझे वह दर्द है, वह दुख है कि जनता कहां जायगी अगर कांग्रेस ऐसी संस्था जिसके पीछे नेहरू का नाम, पटेल का नाम और गांधी का नाम और जिसके पीछे इतने बड़े त्याग और तपस्या की लहर। अगर आप देश को संभालने में नाकामयाब होते हैं तो मैं आप से पूछता हूं कि आप कौन-सी परिपाटी को छोड़ कर और जनतंत्र के लिये कौन-सी परिपाटी को जन्म दे कर जायेंगे? आप क्यों नहीं इस उत्तरदायित्व को समझते? यह एक बड़ी राजनीतिक भूल है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, चाहे वह जो कुछ भी समझें लेकिन मैं उनका एक बहुत ही शुभचिन्तक और हृदय से चाहने वाला मित्र अपने को मानता हूं और मुंह पर कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके कुछ गुणों पर मैं बेतरह लट्टू हूं। एक जन-नायक के कुछ गुण उनके अन्दर अभूतपूर्व हैं, अजीब हैं लेकिन अफसोस है कि उनकी शक्ति कुछ दलदल में पड़ कर फंस गयी है, जिससे वे निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उनसे प्रार्थना करनी है कि आप उस दलदल से अपनी शक्ति का त्राण करें। थोड़ा-सा उससे उठें और देश को देखें। इसमें आपके मान-सम्मान का प्रश्न नहीं उठता। आपने गांधी जयन्ती के अवसर पर कहा था कि गांधी जी की खूबी थी कि हजारों विरोधों के बावजूद साहस के साथ अपना कदम बगैर डगमगाये बढ़ाते थे। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गांधी जी में यह साहस था कि छोटी-सी गलती को भी वे हिमालयन ब्लन्डर कह कर स्वीकार करते थे। इसको आप क्यों नहीं मानते? आदमी बड़ा होता है अपनी गलतियों को स्वीकार करने से, दूसरों की गलतियों को दिखाने से नहीं। मैं अपने मुख्य मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं और वे गांधी जी की वह लाइन पकड़ेंगे और जरा-सी त्रुटि देखेंगे तो बगैर किसी प्रतिष्ठा और सम्मान पर ध्यान दिये हुये जनहित के नाते, जनता के नाते स्वीकार करेंगे कि हां, यह मेरी भूल है। गांधी जी का वह रास्ता हम क्यों भूल जाते हैं? मेरे पास शब्द नहीं हैं, मैं किस तरह से कहूं, यहां माननीय सदन के अन्दर उसको साफ तौर से कह भी नहीं सकता। माननीय मुख्य मंत्री से मैंने कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन वह इतने व्यस्त रहते हैं---और व्यस्त रहना स्वाभाविक है कि मुझे यह मौका नहीं लगा कि मैं मिल कर कह सकूं कि क्या राजनीतिक भूलें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। लेकिन फिर भी आप समझते हैं। इतना समझाने की जरूरत नहीं। तो यह भी एक उद्देश्य है जिसके लिए जनता के समक्ष जाना है, उसे बताना है कि आप भयंकर भूल नहीं कर रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि आप भूल कर रहे हैं। संयोग से यह विधेयक आपके सामने आ गया है। एक जन आन्दोलन खड़ा हो गया है। जनता उतावली हो गयी है। इसलिए आप को मौका है उसके पास जाने और कहने का कि हम तुम्हारी आशाओं पर पानी नहीं फेर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप दो-चार मिनट में खत्म कर देंगे?

श्री महादेव---अभी तो मैं समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं। दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री महादेव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकारी पक्ष के समक्ष दस-ग्यारह ऐसे प्वाइंट्स रखे कि क्योंकि उसे इस विधेयक को लेकर के जनमत के सामने जाना है। मैं अब सदन का बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं उन प्वाइंट्स को फिर एक बार संक्षेप में दोहरा करके माननीय मुख्य मंत्री जी से एक अपील करके अपनी बातों को खत्म करता हूं। मेरे प्वाइंट्स ये हैं। मैं चाहता हूं कि सरकारी पक्ष उन पर गौर करे। पहला प्वाइंट यह है कि जनमत ने केवल ३५ प्रतिशत मत से आप को भेजा है और ऐसे एक अहम मसले पर आपका अधिकार नहिहै कियह बिल लायें। दूसरा यह है कि गत चुनाव के समय आपने अपने मेनिफेस्टो के

अन्दर इस प्रश्न को नहीं रखा था। इसलिए इस पर जब तक जनमत आपके साथ न हो तब तक आप को इस बिल को नहीं लेना चाहिए, तीसरा यह है कि सरकार के ऊपर वचन-भंग का आरोप है और उसे जनता के सामने यह साफ करना है कि आया यह आरोप सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों है और अगर सही है तो किन परिस्थितियों के अन्दर वह अपना वचन भंग करने जा रहे हैं। चौथा यह है कि पिछले पन्द्रह साल के अन्दर सरकार ने अनेकों स्कीमें चलायीं और कोई कामयाब न हुईं। तो उसे जनता को यह आश्वासन देना है कि इस करभार को बढ़ा कर के वह अपनी विकास योजनाओं को कैसे सफल बनाने जा रही है, यह विश्वास उसे दिलाना चाहिए। पांचवां यह है कि ऐसे प्रश्नों पर अगर जनमत की अवहेलना की जाती है क्योंकि यही जनमत ही जनतंत्र का सेफ्टी वाल्व है तो फिर उससे तानाशाही का मार्ग प्रशस्त होता है। छठां यह है कि हमारा एक आर्थिक दृष्टिकोण भी है कि किसानों की क्रय-शक्ति को और भंग करके हम किस तरह देश को औद्योगीकरण के रास्ते पर ले जायेंगे, यह भी जनता को समझाना है। सातवां यह है कि सरकार को यह भी जनता को बताना है कि आठ एकड़ से ऊपर की जोत किस तरह इस लायक हो गई कि उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। आठवां यह है कि क्या गरीब किसानों से न लेकर के यह रुपया धन के भंडार से नहीं लिया जा सकता है जहां से इसको आना चाहिए। नवां यह है कि सरकारी आदेशों का जिसकी कि अभी हमने मिसाल दी है, उनका उल्लंघन सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, तो कैसे जनता यह विश्वास करे कि आप की विकास योजनाओं में जो काम होता है, उनको सरकारी अधिकारी सुचारु रूप से अब चलायेंगे। दसवां यह है कि सरकार को स्वयं यह कह कर के अपनी बातों को नहीं टालना है कि हमने नहरें, ट्यूबवेल, स्कूल और सड़कें बनवायीं। यह तो गवर्नमेंटल मशीन है जो उसको करती जा रही है। आप को यह जवाब देना है कि इतना बड़ा जनमत और बहुमत जो कांग्रेस के साथ था, उसका कितना बड़ा दुरुपयोग या सदुपयोग आपने किया। कितनी प्रेरणा आपने जनता को दी? कितना विश्वास उसका प्राप्त किया या विश्वास को खोया? आप को इसका जवाब देना है। और ग्यारहवां यह है कि जनता ने शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए आप को भेजा है न कि उसमें विशृंखलता पैदा करने के लिए। यह भी आप को विश्वास देना है कि आपके इन कामों से शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलने जा रही है न कि उसमें विशृंखलता पैदा होगी। इन सवालों का जवाब आप को जनता के सामने उपस्थित करना है। जनतंत्र का यही तकाजा है।

अन्त में मैं अपने माननीय कांग्रेसी विधायकों से एक अपील करता हूं और दूसरी माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष तौर से। अपने विधायकों से उस तरफ जो बैठे हैं उनसे मेरा यह कहना है कि समय की गति बड़ी प्रबल होती है और कोई व्यवस्था जो उस गति को पहचानती नहीं है तो उसका चलना कितना असम्भव हो जाता है।

इतिहास इसका साक्षी है। अर्जुन से भगवान् ने कहा था उस समय कि:

अमी हि त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यैः।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि
केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः ॥

यह तो परिस्थिति होती है। एक बार इन्द्र जी ऐरावत हाथी पर जा रहे थे तो उस समय उनको राजा बली गधे के रूप में मिले। इन्द्र जी ने जब उनको इस प्रकार से देखा तो उनको हंसी आई और बोले कि बली राजा एक समय था जब नाना प्रकार के सुख से सम्पन्न थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी और इन्द्रासन को छीनने के लिये लड़ते थे तो आज क्या बात है कि इस प्रकार से इस रूप में दिखाई पड़ रहे हो। बली को हंसी आई और उन्होंने कहा कि इन्द्र, यह बात तुम बड़ी नासमझी की कर रहे हो। काल का प्रभाव बड़ा ही प्रभावशाली हुआ करता है। न जाने मैं कितनी बार बली राजा बना और न जाने कितनी बार गधा बना और इसी प्रकार से तुम भी न जाने कितनी बार इन्द्र बने और न जाने कितनी बार गधे बने और आगे भी न जाने

[श्री महादेव—]

कितनी बार इस प्रकार से बनना पड़े। इसलिये जनमत की अवहेलना एक बड़ी विकट समस्या है। इसलिये आपको इस बात पर ध्यान देना है। किसी चीज में पड़कर आपको अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोनी है। माननीय मुख्य मन्त्री से मेरी एक बहुत दिली अपील है और वह यह है कि उनके ऊपर बड़ा भार है। जैसा मैंने अभी कहा मैं अपने को उनका परम मित्र मानता हूं। वह चाहे जो कुछ मुझे समझें। इसलिये मेरा हक है कि जो बात मैं उनको समझता हूं कि उचित नहीं है चाहे उनकी समझ में वह गलत न हो लेकिन मैं उनसे जरूर कहूं कि यह गलत है। उनके लिये मुझे यह भी कहना है कि यदि आप जनमत इस समय जानना उचित नहीं समझते हैं तो कम से कम एक बात कर दीजिये। यह दूसरा विकल्प है कि आप व्हिप उठा लीजिये इस बिल के ऊपर से और जो चाहे जिस तरह से अपना मत व्यक्त करे और उनको खुली छूट हो। तो मेरा विचार है कि यह बिल पास नहीं हो सकता। अगर इसको भी आप पार्टी अनुशासन के अन्दर अनुचित समझते हैं तो एक तीसरा भी विकल्प है कि आप मीटिंग में मन्त्रियों और सदस्यों को छूट दे दें और वे पार्टी मीटिंग करें और उस पार्टी मीटिंग के अन्दर खुलकर उस विषय में बहस करने दें और इस विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और सीक्रेट बैलेट ले लें। मेरा खयाल है कि वहां भी बहुमत आपके पक्ष में नहीं जायगा। मैं इससे अधिक और क्या आपसे अपील करूं। अन्त में मैं भर्तृहरि योगी के श्लोक के द्वारा आपसे अपील करके अपनी बात समाप्त करता हूं :

पिबन्ति नद्या स्वयमेव नोदकम्
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः।
धाराधरो वर्षति नात्महेतवे
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥
भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः
अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्।

बादल पानी लेकर नीचे झुकते हैं। फल आने पर वृक्ष नीचे हो जाते हैं। सत्पुरुष समृद्धि पाकर झुकते हैं। भले लोगों का यह स्वभाव ही होता है कि बड़े होने पर वह झुक जायं। आपके पास समृद्धि है। आपको जनमत ने इस सदन का नेता बनाया है। आप प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं। ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है कि जिसके अन्दर आपके साथी भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं और जनता भी परेशान है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पार्टी के अन्दर प्रतिष्ठा का खयाल छोड़कर उनके मत को जानने की कृपा करें, अपने मन से प्रतिष्ठा का प्रश्न निकालते हुए उनको देख लें कि वे क्या चाहते हैं। मुझे पूरा इतमीनान है कि आपकी भावनायें जिस तरह की हैं उसमें इन तमाम विघ्न बाधाओं के होते हुए भी और तमाम ऐसे वातावरण के होते हुए भी आप गंभीरतापूर्वक मेरी अपील पर जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण पांडेय के साथ पुलिस अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ११३ के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपके इस माननीय सदन के सामने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियम ११३ के मुताबिक रखना चाहता हूं और मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो रुख इस सदन के उठने के पहले अपनाया माननीय सत्यनारायण पांडेय जी के साथ पुलिस के व्यवहार पर, अपमान करने पर और सदन में आने से रोकने पर, वह बहुत ही अफसोसनाक और इस देश के लिये मैं समझता हूं कलंक के रूप में। जिन लफ्जों में और जिस तरह से माननीय सत्यनारायण जी ने उस समय अपनी बातों

को रखा था और उसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस प्रकार दिया, मैं समझता हूं, वह बहुत ही कलंकपूर्ण है और उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है। मेरी राय में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बगैर किसी जांच के उस वक्त पुलिस की सारी हरकतों की ताईद की, जो उन्हें कतई नहीं करनी चाहिये थी। श्रीमन्, माननीय स्पीकर ने उस मामले पर उन के सामने वह बात.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह जी, एक बात मैं अर्ज कर दूं। बात यह है कि माननीय अध्यक्ष उसकी जांच कर रहे हैं।

पांडेय जी से भी उन्होंने बात की है इसे मैं जानता हूं। मेरे सामने उनकी बातचीत हुई है। तो इस जांच को हो जाने दीजिये। उसके बाद यह प्रश्न उठाया जाय तो अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह—मैंने आपकी बात बहुत गौर से सुनी। मैं यह बात नहीं कह रहा था। माननीय स्पीकर को तो इस प्रकार का प्रश्न उठने पर उसे प्रिविलेज कमेटी में भेजना चाहिये था। उन के पास कौन-सी मशीनरी है जांच करने की? और इस समय तो मैं वह बात नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि हम को इस बात की जानकारी नहीं है और जानकारी न होने के बाद भी उन्होंने पुलिस ने जो बात की, उसकी ताईद की। हाउस के सामने यह बात हुई है। मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा लज्जा-जनक और कोई बात नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे?

श्री गेंदासिंह—जी हां, मैं मौजूद था और उस समय मैंने आपत्ति की थी। उसके बाद भी माननीय मुख्य मन्त्री जी की समझ में यह बात नहीं आयी कि उनको उसके लिये क्षमा-याचना करनी चाहिये और यह भी कहना चाहिये कि इस बात के लिये उनको अफसोस है...

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(इस समय सदन में बड़े जोर से बैठ जाइये, बैठ जाइये की आवाजें आने लगीं और बहुत जोर से शोर होने लगा।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठना चाहिये। माननीय गेंदासिंह जी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसके दर्मियान में इस प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप इसको रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा बैठ जाइये। आप लोग शान्त रहें। इस प्रकार शोर नहीं होना चाहिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपमान हुआ है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरा अपमान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—जो मैं कह रहा हूं, उसे आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने मेरा अपमान किया है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह जी से) इस सम्बन्ध में यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो आप सुन लें।

श्री गेंदासिंह—मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। उसके पहले मैं नहीं बैठूंगा।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपमान हुआ है.....

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, जितनी व्यवस्था उन्होंने दी.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—कृपया आप सब लोग शांत रहें। माननीय गेंदासिंह जी आप विराजिये और माननीय बैजनाथ सिंह जी को अपनी बात कह लेने दीजिये। कृपया और सब लोग विराजिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपमान हुआ है। आप मेरी बात कृपया ध्यान से सुनें। मुझ को गालियां दी गई हैं, यह मेरा ही नहीं इस सम्मानित सदन का भी अपमान है। इसके अलावा.....

श्री गेंदासिंह—पहले आप मेरी बात सुन लें। मेरा अपना प्रस्ताव नियम ११३ के अन्तर्गत सदन का कार्य स्थगन के सिलसिले में है और इसी लिये मैंने इसको रखा है। सदन का कार्य उस वक्त तक रोक दिया जाय जबतक कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उस दुर्घटना पर उठकर इस सदन से क्षमा-याचना न करें। मुझे और कुछ नहीं कहना है। पहले यह हो जाय तब कोई और दूसरा कार्य चलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सिलसिले में कुछ कहूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—पहले श्री बैजनाथ सिंह जी अपनी बात कह लें तब आप कुछ कहें तो अधिक उत्तम होगा। आप कृपया विराज जाइये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब मैं खाना खाने जा रहा था तब रास्ते में गेट पर जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने और जो लोग सत्याग्रह करने वाले थे, मेरे साथ श्री मूलचन्द्र शास्त्री भी थे। हम दोनों जब जा रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि मोटा हो गया, मोटा हो गया और मुझे गालियां भी दीं। यह इस सदन का अपमान है। कृपया इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस समय आपके सन्मुख जो प्रस्ताव रखा गया है पहले उस पर विचार होगा या यह सब झगड़े तय होंगे। पहले मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न पर आप विचार करें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—मेरा यह निवेदन है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—कृपया सब लोग शांत रहें और आप सब लोग विराजिये। और अब श्री जेड० ए० अहमद साहब बोलेंगे।

श्री जेड० ए० अहमद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जो आज सवाल आया है वह बुनियादी तौर पर इस सदन की मौत और जिन्दगी का सवाल है। हम लोग आखिर यहां चुनकर ही आये हैं कोई भूले-भटके हम लोग यहां पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ हमारी भी शान है। अगर आज पुलिस वाले डंडे चलाते हैं हम पर और हमारे साथियों पर तो सिर्फ यह हमारा ही अपमान नहीं है बल्कि आपका भी अपमान है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सवाल को लेकर डेमोक्रेसी की क्या डिफिनीशन दी जायगी। मैं कभी गलत बात नहीं कहता हूं और न कभी बेकार ही में खड़ा होता हूं। लेकिन जब बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी का सवाल आ जाता है तो हमारा भी खून खौल उठता है।

इसलिये हम इसके लिये लड़ेंगे, लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आज जो अभी माननीय गेंदासिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, उस पर यहां हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी एक्सप्लेनेशन करें कि उनका रवैया बिल्कुल गलत था। यदि इसी तरह की बातें यहां पर चलती रहेंगी तो यह हाउस नहीं चल सकेगा। मैं इसलिये इसका समर्थन करता हूं और निहायत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं इस प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी से और आप से कि अगर आप डेमोक्रेसी को 'डिफेन्ड' करना चाहते हैं तो इस पुलिस के गुन्डों से हमें बचाया जाय। (शेम-शेम की आवाजें) इसमें आपकी भी शान है, इस सदन की भी शान है और अगर ऐसा नहीं करते तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिये जिम्मेदारी हमारी है और हम लड़ेंगे।

(नेता-विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—मेरी बात सुन लीजिये....

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह से उलटे सीधे बात कहने से....

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा जोर-जोर से "उलटे-सीधे" शब्द वापस लीजिये की आवाजें।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह 'उलटे-सीधे' शब्दों को आप वापस लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग कृपया बैठिये, मेरी बात पूरी सुनिये तो। मेरी बात के गलत मानी न लीजिये। यह कोई तरीका नहीं है। बैठ जाइये।

अनेक सदस्य—इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप बिल्कुल गलत समझे हैं। एक-एक साहब बोलिये....

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे बड़ा दुख है कि आप पीठासीन होकर इस प्रकार की बातें हम लोगों को कहें। यह बड़े दुख की बात है, मैं इसको बहुत डिप्लोर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी बात को सुन लीजिये।

(व्यवधान)

मैंने यह कहा कि हाउस में दोनों तरफ से इस तरह की बातें होना, एक दूसरे पर एक्सपर्शन होना ठीक नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा था कि उलटी-सीधी बात कहने से कोई फायदा नहीं होगा। एक दूसरे पर एक्सपर्शन करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह जो तरह-तरह की बातें आप करते हैं इसका मतलब सीधा है और इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं यह कहना चाहता था कि दोनों तरफ से शान्ति के साथ बहस हो। आपस में एक दूसरे पर क्रीटा-

[श्री उपाध्यक्ष –]

कशी करने से या उलटे-सीधे कहने से, एसपर्शन करने से, कोई फायदा नहीं निकलेगा। इस पर आप २५ आदमी एक साथ खड़े होकर शोर उत्पन्न करना चाहते हैं, यह भी तो डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा मतलब किसी एक आदमी के लिये एसपर्शन करने से नहीं था। मेरा मतलब केवल यह था कि आप लोग जो आपस में एसपर्शन करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे डेमोक्रेसी बढ़ नहीं सकती। मैं डाक्टर अहमद साहेब से प्रार्थना करूंगा कि इससे क्या डेमोक्रेसी बढ़ेगी? इसलिये शान्ति से सब बातें हों, यही मैं कहना चाहता हूं। उस पर आपने बवन्डर मचा दिया, यह ठीक नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपना स्पष्टीकरण किया, परन्तु हम सब शायद यह भूल जाते हैं कि हम लोगों के पास कोई आटोमेटिक वायरलेस नहीं है कि हम आपका मतलब समझ लें। हम आपका मतलब केवल आपके शब्दों से ही समझ सकते हैं। हम लोग सुनने और समझने का बहुत प्रयास करते हैं, भीषण कोशिश करते हैं। आपने डेमोक्रेसी की बात कही। मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या पुलिस बूथ्स यहां काम करेंगे क्योंकि यहां से एक माननीय सदस्य को जब वह यहां बैठे हुए थे, वे उठा ले गये। जिस प्रकार अंधाधुन्ध पुलिस कार्य करती चली जाती है क्या इसी से यहां की डेमोक्रेसी चलेगी? हम पुलिस के नारकीय अत्याचारों के सामने झुकने के लिये तैयार नहीं हैं। यहां आपके पीछे कारीडोर में सी० आई० डी० के लोग इतनी संख्या में पड़े रहते हैं कि जैसे किसी गन्दगी में मधु-मक्खियां पड़ी रहती हैं। इस कारीडोर में अध्यक्ष महोदय बैठते हैं, उनके सचिव बैठते हैं, सेक्रेटरी श्री पुरी बैठते हैं और मेरा कमरा है। क्या ये सब ऐसे क्रान्तिकारी हैं कि बाम्ब से गुप्ताजी को उड़ा देने वाले हैं? क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार पुलिस की ब्योनेट्स के बल पर राज्य करना चाहते हैं? कभी भी यह चीज़ नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष---आप क्या कहना चाहते हैं? कोई प्रोसीज्योर चले, उसकी बात हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं बता तो रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनते नहीं हैं और आप कहें कि आपने हमारी बात समझ ली। अगर आपही शब्द बतला दें तो मैं वे ही कह दूं। मैं यह कह रहा हूं कि माननीय गेंदासिंह जी का प्रस्ताव बहुत ही उचित है। आज जैसा माननीय मुख्य मन्त्री का रवैया है वह बहुत ही अशोभनीय और दुःखद है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को अनक्वालीफाइड और अनरैस्ट्रेन्ड अपालाजी सदन से मांगनी चाहिये। इस तरह का उनका रवैया जनतन्त्र को खा जायगा। चलने नहीं देगा। गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव बहुत ही सामयिक है और इस पर विवाद होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का भी व्यू आ जावे।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---प्रस्ताव तो पेश हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, पेश नहीं हुआ है। प्रस्ताव लिया जाय या नहीं, इस पर आप कह लीजिये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव सदन में रख दिया है और उस पर यह विवाद हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं प्रोसीडिंग्स देखे लेता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---प्रस्ताव पेश हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छी बात है। आप कहिये। नियम ११३ में बिना नोटिस के यह मोशन फार एजर्नमेंट आफ दि मीटिंग हो सकता है।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है, यह मेरा वैधानिक प्रश्न है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है कि आ सकता है।

श्री वीरसेन—ज़रा आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह से) उनको भी सुनने दीजिये कि क्या व्यवस्था का प्रश्न रख रहे हैं।

श्री वीरसेन—उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रस्ताव बिना नोटिस के और आफ़िशल बिजिनेस के दिन नहीं आ सकता है। नान-आफ़िशल बिजिनेस के दिन ही आ सकता है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—आपने फैसला दे दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रस्ताव आ सकता है और उस पर बहस की इजाजत भी आपने दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री वीरसेन से) आप किस रूल के मुताबिक कह रहे हैं ?

श्री वीरसेन—कोई भी प्रस्ताव जो प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आवेगा वह बैलट में आता है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री वीरसेन से) नियम ११३ (२) और (६) पढ़ें आप।

श्री वीरसेन—मैं अभी बताता हूं।

(इस समय २ बजकर ३३ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष—जरा शान्ति रहें। अब सुन लिया जाय।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा था। अभी आपसे पहले यहां एक प्रस्ताव पेश किया गया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उस बयान के सिलसिले में जो उन्होंने उस हादसे के बारे में सुबह दिया था माफी मांगें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार का कोई भी रेज़ोल्यूशन यहां नहीं आ सकता है। नियमों में प्रोसीज्योर है कि प्राइवेट मेम्बर का प्रस्ताव नान-आफ़िशल बिजिनेस के दिन ही आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदासिंह जी, क्या प्रस्ताव है आपका ? ज़रा प्रस्ताव में सुन लूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं उस समय बोल रहा था प्रस्ताव गेंदासिंह जी ने स्पष्ट रूप से रखा था। आज जो फाटक पर दुर्घटना हुई है, एक माननीय सदस्य की तौहीन हुई है, उस सम्बन्ध में जो विचार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने व्यक्त किये, उनके बारे में उस प्रस्ताव के द्वारा यह मांग की गयी है कि वे उन शब्दों को वापस लें और पूरे सदन से. . .

श्री अध्यक्ष—मैं वही तो जानना चाहता हूं कि वे कौन से शब्द हैं जिनको माननीय गेंदासिंह जी वापस कराना चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह—मैं आपसे स्पष्ट कर दूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि नियम ११३ (६) के अनुसार सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय। मैंने (२) और (६) दोनों का हवाला दिया है। जो आज दुर्घटना हुई वह ऐसी है जो शायद इस सदन के संसदीय इतिहास में इस प्रकार की सबसे पहली दुर्घटना है। एक पुलिस अफसर की, सुबह जो दुर्घटना हुई, उसकी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद भी यह सरकार कितनी सतर्कता बरतेगी उसका प्रमाण इससे मिलता है जो दुर्घटना आज पुलिस अफ़सर की सत्यनारायण पांडेय जी के साथ हुई। उनका अपमान किया गया, उनके कपड़े फाड़े गये, उनको बेवकूफ आदि न जाने क्या-क्या कहा गया, हर तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा सकता था, किया गया। उनको सदन में आने से रोका। वह बात

[श्री गेंदासिंह---]

आपके सामने भी आयी और सब बातें सत्यनारायण पांडेय जी ने रखीं। उस समय मैं मौजूद नहीं था। फिर मैंने माननीय सत्यनारायण पांडेय जी को बुला कर सुना। उनको सुनने के बाद जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका उत्तर दिया वह लज्जाजनक है, वह संसदीय इतिहास को कलंक लगाने वाला है, उसको कायम रखने वाला नहीं है। इसलिये माननीय मुख्य मन्त्री जी या तो क्षमा-याचना करें, अगर वे क्षमा-याचना नहीं करते हैं तो नियम ११३ (२) के अनुसार इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री नरसिंहनारायणपांडेय---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---क्या वह उसी के सम्बन्ध में है जो माननीय गेंदा सिंह जी ने अभी कहा है?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---जी हां, उसी के संबंध में है। माननीय गेंदासिंह जी ने जब यह कामरोको प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तब उसको पेश करने की आज्ञा माननीय उपाध्यक्ष ने, जो उस समय पीठासीन थे, दे दी थी और उन्होंने यह व्यवस्था दे दी थी कि यह प्रस्ताव पेश हो सकता है। इसके बाद उस बात पर बार-बार बहस करना नियमानुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी, जरा सुन लें। मैंने जैसा निवेदन किया कि मैं जाकर इस सम्बन्ध में दरियाफ्त करूंगा, मैंने दरियाफ्त किया। अब माननीय सत्यनारायण जी पांडेय ने जो मेरे सामने बात कही थी, वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाये देता हूं ताकि आपको मालूम हो जाय स्पष्ट रूप से कि घटना क्या हुई थी और उसके फैक्ट्स क्या हैं। श्री सत्यनारायण पांडेय को भी मैंने अपने कक्ष में बुलाकर बातें कीं और सम्बन्धित अधिकारियों से भी पूछताछ करने का प्रयत्न किया। श्री पांडेय का कथन है कि जब वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहे थे तो मुख्य द्वार पर सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियां हो रही थीं और जब पुलिस मोटर में उन्हें ले जाने का प्रयास कर रही थी तो जनसंघ के सत्याग्रही मोटर के सामने लेट गये और यह प्रयास किया कि मोटर न चल सके। उस समय उस स्थान पर भीड़ भी इकट्ठा हो गयी थी और यातायात (ट्रेफिक) बन्द हो गया था। एक पुलिस अधिकारी ने मुझसे उस समय पूछा कि "आप कौन हैं" तो मैंने कहा कि "मैं हाउस में जा रहा हूं।" पुलिस अधिकारी ने जब पूछा कि आखिर आप हैं कौन, इससे पहले कि मैं उसका कुछ जवाब देता, उन्होंने कहा कि "आप अंडर अरेस्ट हैं।" यह कह कर एस० एस० पी० चले गये और दो कांस्टेबिल मेरे सामने आकर खड़े हो गये। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि यह कौन महाशय हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं। इतने में डिप्टी एस० पी०, जो इलाहाबाद के थे, उन्होंने मुझे पहचाना और जाकर एस० एस० पी० से यह इत्तला की और तब सिपाही हट गये और मैं तब अन्दर आ सका। उन्होंने यह शिकायत नहीं की कि किसी पुलिस कांस्टेबिल ने उनको छुआ।

अनेक सदस्य---वाह वाह।

श्री अध्यक्ष---वाह वाह करने की बात नहीं है, मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने बहुत नम्रता से इस बात को आपके सामने पढ़ा है।

(व्यवधान)

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---उनको धक्का भी दिया गया।

श्री अध्यक्ष---माननीय सत्यनारायण जी यहां मौजूद हैं, अगर कोई गलत बात मालूम हो तो उसे स्पष्ट कर दें। और तो कोई यहां था नहीं। मैंने वर्बेटिम बातचीत तो नहीं लिखी है लेकिन बहुत देर तक मेरी उनसे बातचीत हुई और उसका जो इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा उस को मैंने लिखा है। माननीय सत्यनारायण जी, इसमें जो गलत बात हो उसे आप ठीक कर दें।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—जो आपने लिखा है उसमें कई बातें रह गयी हैं जो मैंने बतलाया था । श्रीमन्, जो बात आपने लिखी है उसमें कोई असत्य बात नहीं है, वह अक्षरशः सत्य है लेकिन अभी कुछ बातें रह गयी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि बहुमत दल की तरफ से कितनी बातें होती हैं और मैं ऐसे लोगों में हूं जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां अपमान हो जाय तो उसे कहना नहीं चाहिये । शास्त्र में भी है कि कुछ जगहें हैं जहां कि अपमान हो जाय तो नहीं कहना चाहिये । आपने जो लिखा है वह सत्य है लेकिन इसके अतिरिक्त भी है मुझे सदन में आने से उन्होंने रोका, यह बात आपने नहीं लिखी है । आज हाउस के सामने मैं इस चीज को कह चुका हूं और उस समय भी मैंने कहा कि उन्होंने पहले मुझसे प्रश्न नहीं किया कि आप कौन हैं । जब मैं वहां खड़ा था तो कुछ और भी लोग वहां खड़े थे । उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों खड़े हो । मैंने कहा कि मैं यहां खड़ा नहीं हूं, मैं सदन में जा रहा हूं । फिर पूछा कि तुम कौन हो ? उनको शायद सन्देह हुआ कि शायद मैं हाउस में जा रहा हूं तो सदस्य होऊं । मैं अभी उत्तर नहीं दे पाया कि उन्होंने कहा—"यू आर अंडर अरेस्ट ।" दो सिपाहियों को मेरे सुपुर्द कर वे दूसरी तरफ चले गये.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—हो सकता है, हम और आप एकमत हो सकते हैं । बयान सुन लेने दीजिये ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—उसके बाद मैं वहां बड़ी देर खड़ा रहा । वहां भीड़ थी । बाद में दो पुलिस के सिपाही मेरी बगल में आ गये । यह मैं नहीं कहता कि उन्होंने मुझे जान कर धक्का दिया लेकिन मुझे धक्का लगा और उस धक्कमधुक्की में मेरा कुर्ता फट गया । जब मैं घर से चला था तो वह कुर्ता नहीं फटा था । मुझे पता नहीं कि पुलिस ने मेरे कुर्ते को फाड़ दिया या मेरी बदकिस्मती से वह फट गया । यह सारी घटना है । मुझे हाउस में आने से रोका गया । मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन एक आदमी से मैंने पूछा कि ये जो महाशय जी हैं उनका नाम क्या है ।

श्री अध्यक्ष—डिप्टी कमिश्नर वहां मौजूद थे ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—मुझे मालूम नहीं कि वहां डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे लेकिन जब मैंने एक पुलिस अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट थे.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सत्यनारायण जी, आपने यह कहा है कि पुलिस कांस्टेबिल ने मुझे नहीं छुआ ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण पांडेय—जब दोनों सिपाही मुझे घेर कर खड़े हो गये तो उस समय बीच में धक्कमधुक्की होने लगी । मैं ४ दिन से १०४ डिग्री टेम्परेचर में पड़ा था और आज आ रहा था, मैं सदन में बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि उन के कहने में मैं अपमान समझता हूं । वहां पर जब ३ मिनट बीत गये और पुलिस वाले मुझे घेरे खड़े थे और भीड़ बढ़ गई थी और धक्के अधिक लगने लगे तो मुझे चक्कर मालूम हुआ तो मैं बैठ गया और उस वक्त संयोग से सिमलाइ साहब आ गये और उन के कहने से मुझे मुक्ति मिली ।

श्री अध्यक्ष—वस्तुस्थिति तो आपके सामने आ गई । अब मैं माननीय गेंदासिंह जी से एक निवेदन और कर दूं । माननीय सत्यनारायण जी ने जो बातें इस वक्त कहीं वही बातें मुझसे भी कही थीं और उसको मैंने इन शब्दों में लिख लिया है.....

(श्री काशीनाथ के खड़े होने पर)

[श्री अध्यक्ष---]

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठ जायं, आप इस तरह से बार-बार खड़े हो जाते हैं, मैं आप को आखिरी बार वार्निंग देता हूं ।

तो मैं कह रहा था कि अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि श्री सत्यनारायण जी ने निश्चित रूप से कहा है कि इस सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिये (व्यवधान)

मैं किसी को रोकता नहीं हूं .....

श्री सत्यनारायण पांडेय---यह बात तो आप मुझ पर गलत आरोपित करते हैं, मैंने तो यह कहा था कि मैं तो उन लोगों में से हूं जो भगवान पर विश्वास करते हैं और जानता हूं कि कंस और रावण का जब पाप का घड़ा भर गया था तभी उनका सर्वनाश हुआ । मेरे साथ अन्याय हुआ, उस पर मेरे साथियों ने कहा इस पर सदन में हमें लड़ना चाहिये, मैं साथ हूं । न्याय तो भगवान ही करेंगे लेकिन संसदीय लड़ाई अगर हमारे साथी लड़ते हैं तो हम उनके साथ हैं ।

श्री अध्यक्ष---वही मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय सत्यनारायण जी का सम्बन्ध है उनके शब्द यह थे, माननीय गेंदासिंह और माननीय जेड० ए० अहमद सुन लें । उनके शब्द थे कि हमने जब इस सरकार से लड़ाई मोल ली है तो हो सकता है कि इस तरह की घटनायें होती रहें, लेकिन जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है यह पोजीशन है जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस घटना के सम्बन्ध में जो कुछ मैं आधा घंटा में कर सका वह मैंने किया, अभी मैं और इसका अन्वेषण करूंगा और अगर सरकार की उसमें गलती पायी जायगी तो उसके अनुरूप कार्य किया जायगा । इस समय तो आप का केवल प्रस्ताव यही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब तक क्षमा न मांगें वैसे, वह क्षमा मांगना चाहें तो हर शख्स से मांग सकते हैं, लेकिन न्याय का तकाजा यही है कि अन्वेषण हो जाने दें, तब आप इस प्रश्न को उठावें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---एक निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न उपस्थित है उसी पर आप बोलें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---सुबह की घटना के सम्बन्ध में माननीय सत्यनारायण जी ने जो बयान सदन में दिया है वह सदन की कार्यवाही में दर्ज है उस को अगर आप पढ़ेंगे और जो बयान अब दिया है उसके लिये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि आपके सामने यही बात कही हो लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने सरकार के लोगों के दबाव में आकर.....

एक सदस्य---यह आक्षेप है ।

श्री अध्यक्ष---अब आप काशीनाथ जी, बैठ जायं ।

आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो असंसदीय है, आप उसे वापस ले लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---मैं वापस लेता हूं । मेरे कहने का मतलब यह था सुबह जो उन्होंने बयान दिया है और इस वक्त जो बयान दे रहे हैं, इन दोनों में अन्तर है, आप इस पर गौर करें ।

श्री अध्यक्ष---हो गया । तो मैं उसके लिये तैयार हूं यह बयान जो किया है, और जो बयान पहले दे चुके हैं उसको देख लूं । लेकिन अन्ततोगत्वा इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें इनक्वायरी करने दी जिये और जो उचित होगा मैं आपके सामने रख दूंगा, आप उसके ऊपर खूब बोल लीजियेगा । लेकिन इनक्वायरी को करने दीजिये । अभी जो बोल रहे हैं वह इनक्वायरी का परिणाम नहीं है, इनक्वायरी करने दीजिये ।

श्री गेंदासिंह—मैं तो यह कह रहा था माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शुरू में तरीका अपनाया मैं उसको समझता हूं गलत था और इतना गलत था जिसका कोई हिसाब नहीं है। माननीय सत्यनारायण जी ने जो कुछ अभी कहा उन्होंने यह भी कहा उन्होंने उनको अरेस्ट करने के लिये कहा, कंधे पर हाथ डाला।

अनेक सदस्य—नहीं कहा।

श्री सत्यनारायण पांडेय—मैंने स्पष्ट कहा एस० एस० पी० ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर दो पुलिस वालों के सुपुर्द किया है, यह मैं स्पष्ट कह चुका हूं हाउस में, आप कार्यवाही में देख लें।

श्री गेंदासिंह—सब बातें सही। माननीय सत्यनारायण जी को मारा नहीं, अपमानित नहीं किया, लेकिन कंधे पर हाथ रख कर कांस्टेबिलों के हवाले किया और फिर उनको यह कहने की जरूरत पड़ी आप अन्डर अरेस्ट हैं। माननीय सत्यनारायण जी ने उनको माफ कर दिया, लेकिन यह सदन माफ नहीं कर सकता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं इस समय प्रश्न इतना है प्रिविलेज कमेटी को इस मामले की जांच करनी चाहिये और आपने जो कुछ भी जांच की, अभी माननीय सदस्य से पूछा, दूसरे लोगों से नहीं पूछा। माननीय मुख्य मंत्री ने या मंत्री जी ने कोई जांच नहीं की और बगैर जांच किये हुये उन्होंने जो कहा, उनके भाषण को देखें, उससे मालूम होता है उनकी तरफ से इंस्टीगेशन है किसी भी आदमी को अप्रतिष्ठित करने में चूको नहीं और जो बात उन्होंने कही है वह बहुत अनुचित है और मैंने जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है, माननीय मुख्य मंत्री, जो सदन के नेता हैं, उन्होंने जो बगैर जांच किये हुये रुख लिया वह अपमानजनक है, लज्जाजनक है और संसदीय इतिहास में उसका उदाहरण नहीं मिल सकता इस लिये कार्यस्थगन किया जाय सदन का।

श्री वीरसेन—श्रीमन्, जो प्वाइंट आफ आर्डर मैंने कहा था....

श्री अध्यक्ष—वह क्या है ज़रा बता दें।

श्री वीरसेन—माननीय गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव किया है, उसके खिलाफ कि वह प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता.....

अनेक सदस्य—पेश हो गया है।

श्री अध्यक्ष—अगर इस तरह से शोर मचेगा तो कहिये तो मैं चला जाऊं और अगर नहीं तो मुझे सुनने दीजिये। अगर आप इस परिणाम पर पहुंचे कि मेरी रूलिंग पर्वर्स हो रही है तो जो चाहें कीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय इस पर अपनी रूलिंग दे चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। जब तक उपाध्यक्ष इस आसन पर बैठते हैं उनकी रूलिंग वही असर रखती है जो मेरी है। अब मैं आया हूं, मैंने उस प्रश्न को पूछा, जानने की कोशिश करी।

(श्री वीरसेन जी से) एक बात समझ लीजिये इन्होंने जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है वह अध्याय १३ में नियम ११३ के अन्तर्गत है।

अध्याय १३ के ऊपर अगर कोई बात कही जायगी तो वह इसमें लागू नहीं होगी।

श्री वीरसेन—जो प्रस्ताव है उस सम्बन्ध में जितने भी नियम हैं उनको कोट करूंगा। अब वे एप्लाई होते हैं या नहीं यह आपका कार्य है देखना।

श्री अध्यक्ष—वही मैं जानना चाहता हूं।

श्री वीरसेन—गेंदासिंह जी के प्रस्ताव में दो बातें हैं। एक तो कार्य-स्थगन की बात है और दूसरे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अनक्वालिफाइड एपोलाजी मांगना।

श्री गेंदासिंह—दो प्रस्ताव नहीं हैं। एक ही प्रस्ताव है।

श्री वीरसेन—मेरा टेक्निकल आब्जेक्शन इस प्रस्ताव पर जो है उस सम्बन्ध में कृपा कर आप रूल १०८ देखें :

"प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें—कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा—

(१) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा" लेकिन इसमें दो प्रश्न एक साथ उठाये गये हैं।

दूसरे, प्रस्ताव जो है वह इन आर्डर नहीं है। नियम ११३ की आड़ लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है वह आड़ नहीं ली जा सकती है। नियम ११३ का उपखंड (२) आप देखें जिसमें उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के १६ वें एडीशन के पृष्ठ ४०८ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"The use of the motion for the adjournment of the House to supersede another question must be distinguished from its use as a substantive motion."

अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के मोशन हो सकते हैं। एक तो जो सदन के सामने चल रहा हो और यह क्वेश्चन हो कि उसे स्थगित किया जाय और एक बिलकुल डिबेट के स्थगित करने का, उसके बारे में आगे लिखा है :

"Before or between the orders of the day, when it can only be moved by a member of the Government."

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रस्ताव को कि डिबेट को स्थगित किया जाय इसे मेम्बर आफ गवर्नमेंट मूव कर सकता है, आर्डिनरी मेम्बर नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—क्या नियम ११३ में कोई कायदा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा प्रस्ताव हो सकता है ?

श्री वीरसेन—उसी को अर्ज कर रहा हूं, कृपाकर आप सुन लें तो स्पष्ट हो जायगा कि क्या पोजीशन है। जब सदन के कार्यस्थगन का प्रस्ताव हो तो उसके लिये इन्हीं नियमों में एक बिलकुल अलग व्यवस्था है। उसके लिये आप नियम ५७ देखें :

"सूचना देने की रीति—जिस दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व उसकी द्विप्रतिक सूचना सचिव को दी जावेगी" वह क्वेश्चन गवर्नमेंट के अलावा कोई मूव नहीं कर सकता है। प्राइवेट मेम्बर मूव नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब है कि एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट मूव करेगी ?

श्री वीरसेन—मेरी बात आप सुन लें। कोई बिजनेस को स्थगित करने का प्रस्ताव हो तो गवर्नमेंट मूव करेगी और जो कार्य सदन के सामने है उसे अगर प्राइवेट मेम्बर स्थगित कराना चाहता है तो उस हालत में नियम ५७ है, वह लागू होगा। और उसके लिये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नियम है कि जिस दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन उपवेशन आरम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप अगर रूल जानते हैं तो ठीक है, मैं चला जाऊं। कम से कम मुझे सुन तो लेने दीजिये।

श्री वीरसेन—तो जाहिर है कि इस नियम के अधीन कोई भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव अगर कोई मेम्बर लाना चाहता है तो सदन आरम्भ होने से पूर्व वह सचिव को दो प्रतियां देगा और फिर आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद वह इस सदन के सामने पेश हो सकता है। तो मेरी पहली बात यह है कि यह मोशन माननीय गेंदासिंह जी पेश नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिये बिलकुल अगल प्रोसीजर नियम ५७ में दिया हुआ है। ११३ में जो नियम उपबेशन स्थगित करने के लिये है, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि वह गवर्नमेंट का मेम्बर ही पेश कर सकता है और कोई नहीं।

(व्यवधान)

(श्री ऊदल के कुछ कहने पर) आपको यह भी पता नहीं है कि मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस किसे कहते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन् माननीय ऊदल जी को माननीय वीरसेन जी ने कहा है कि आपको पता नहीं है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस क्या है। आप जरा उनसे कहिये कि वे अपने ये शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष—वे आपस में बातें करते हैं, चाहे कुछ कहें। हमसे बात करिये।

श्री वीरसेन—११३ नियम काम को रोकने के लिये नहीं है बल्कि सदन के कार्य में सहायता देने के लिये है। बहुत से ऐसे मौके आते हैं जबकि ऐसे प्रश्न सदन के सामने लाना जरूरी हो जाता है जिनकी नोटिस नहीं दी जा सकती, जैसे कोई समवेदना या बधाई का प्रस्ताव। अगर कोई सदस्य मर जाय या कोई भूतपूर्व सदस्य मर जाय तो उसकी नोटिस नहीं हो सकती। इसी तरह से अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव है। इन सारे के सारे प्रस्तावों के क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि नियम बनाने का परपज यही है कि इसमें वही प्रस्ताव लाये जा सकते हैं। अगर सदन के सामने कोई काम नहीं है उसके लिये स्पष्ट प्राविजन है कि सरकार मूव कर सकती है कि कार्य स्थगित किया जाय। तो माननीय गेंदा सिंह ने जो कार्य को स्थगित करने और माननीय मुख्य मन्त्री से माफी मंगवाने का प्रस्ताव रखा है यह दोनों बातें नियम के विरुद्ध हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—(विरोधी दलों से) अगर मैं उनका आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता हूं तो आपसे पूछूंगा। अगर उनका आर्गुमेंट ऐक्सेप्ट नहीं करता हूं तो आप क्यों परेशान होते हैं? अब और तो ११३ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है? नियम ५७ का मंशा यह है कि कोई सदस्य कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन के सामने ला सकता है और यह कह सकता है कि यह विषय इतना महत्व का है कि सदन की सारी कार्यवाही स्थगित कर के इस पर विचार किया जाय। माननीय गेंदासिंह ने कोई प्रार्थना नहीं की है कि जो विषय वह रख रहे हैं उस पर विचार किया जाय, वह इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण है कि उस पर पहले विचार हो जाय और सदन का सारा कार्य स्थगित हो जाय। इसलिये नियम ५७ लागू नहीं होता और उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब नियम ११३ मेज की किताब में जरूर पढ़ा और उसमें यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऐसा मोशन लायेगी। मैंने चूंकि स्टडी नहीं किया है इसलिये मैं डिस्टिंगुइश नहीं कर सकता लेकिन ११३ में यह प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है कि केवल सरकारी सदस्य ही कार्य-स्थगन का प्रस्ताव ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। हमारे सदन के समक्ष नियम

[श्री अध्यक्ष]

११३ के अन्तर्गत ऐसे प्रस्ताव आते रहे हैं जो असरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये और उनको हाउस में रखा तो मैं समझता हूं कि ११३ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव आ सकता है, इस में कोई शंका नहीं है। अब सिर्फ एक बात देखने के लिये रह गई है। मैं आपके सामने एनेलाइज करके रखना चाहता हूं ताकि स्पष्ट हो जाय। नियम ११३ में यह आ सकता है। वह इस प्रकार है कि—

"The following motions may be made if the Speaker permits, without notice"

हिन्दी में इस प्रकार है कि "निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे।" यह बिलकुल स्पष्ट है। इसका (२) है उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव और (६) है "किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव"। हमारे माननीय गेंदासिंह जी (२) पर रिलाई नहीं कर रहे हैं सिर्फ (६) पर रिलाई कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, दोनों पर रिलाई कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—दोनों का कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि बैठक स्थगित की जाय। अब मेरे अधिकार में बात है कि यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दे। तो अब अध्यक्ष कब अनुज्ञा दे सकता है और कब नहीं दे सकता है यह इम्पारटेंट फैक्टर रह गया है। अगर मैं आपको अनुज्ञा दे भी दूं और इस विषय पर एन्टर न भी करूं तो साफ बात है कि सदन के सामने प्रस्ताव रख दूं और वोटिंग हो जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—वोटिंग कैसे हो जाय?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। इस समय वातावरण जरा गरम है, इसलिये मैं अनुज्ञा के सम्बन्ध में न जाकर के प्रस्ताव सदन के सामने रखे देता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्,....

श्री अध्यक्ष—देखिये, एक बात मैं आपको बतला दूं कि ऐसे मोशन पर वाद-विवाद नहीं होता तथा मैं उनको ही सुनूंगा जिनको मैं समझता हूं कि वे प्रकाश डाल सकेंगे।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय कोई मोशन आये और अहम मोशन हो तो हमें अपनी बात समझाने का मौका देना चाहिये बल्कि दूसरे लोग भी समझा सकते हैं इसलिये उनको भी मौका देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं आप से अर्ज कर दूं गेंदासिंह जी। एक एडजर्नमेंट मोशन नियम ५७ का होता है, एक नियम ११३ में आता है और एक ११४ तथा ११५ में आता है। अगर इस पर वाद विवाद होता है तो नियम ५७ व ११३ में कोई अंतर नहीं रह जायगा। इसलिये इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता है। आपने अपनी बातें सामने रख दीं कि इस तरह से उनका अपमान हुआ और डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने रख दिया कि इस तरह से हमारा अपमान होता है, इस तरह से हम पुलिस के पिंजड़े में बंद हैं। इससे अधिक और क्या मैं पूछूं? अब वह प्रश्न नहीं है। मुझे इसके ऊपर मत ले लेने दिया जाय।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था कि जिस समय यह प्रश्न सदन में उठा था। मैं, श्रीमन्, हाउस के पजेशन में उस समय था।

श्री अध्यक्ष— बोलना जरूरी थोड़े ही है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—बोलना इसलिये जरूरी है कि यह स्थगन का जो प्रस्ताव है वह इसलिये कि मुख्य मंत्री जी ने जो घटना हुई थी, उसकी आलोचना उन्होंने जिन शब्दों में की है उनका वापस लेना और क्षमा याचना करना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—राघवेन्द्र प्रताप जी, बहुत मोटी बात है कि अगर आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो मुख्य मंत्री का खड़े होकर आपसे क्षमा मांगना एक आवश्यक बात हो जायगी।

(शोर)

मुझे कह तो लेने दीजिये। मैं आपके सामने एक विचार रख रहा हूं। प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो उनके लिये आपसे क्षमा मांगना आवश्यक हो जाता है। जब यह प्रस्ताव आयेगा कि कोई बिजनेस आफ दी हाउस स्थगित हो तो १ या २ या २० व्यक्तियों के कहने से तो नहीं हो सकता। निर्णय यहां पर होता है इस तरह से कि अगर बहुसंख्या में सदस्य यहां पर इस बात पर राजी हैं कि सदन की कार्यवाही चले तो अल्पमत उन पर अपना प्रस्ताव आरोपित नहीं कर सकता। इस संबंध में राघवेन्द्र प्रताप जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि प्रस्ताव पास होना असम्भव है क्योंकि हम लोग जो कुछ अपनी पुकार कह रहे हैं यह जानते हुये ही कह रहे हैं कि जो बहुमत दल यहां है वह नेता सदन के पीछे है और नेता सदन की आवाज में आवाज मिलाता है। उसी बात को देखते हुये यह प्रस्ताव गेंदासिंह जी ने सदन के सामने रखा है। मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि कल की जो दुर्घटना है या आज की दुर्घटना है, इसके पीछे कुछ बैक ग्राउन्ड है इधर थोड़े दिनों से हम जो मुख्य मंत्री जी का रवैया देख रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो चला है कि वह बराबर पुलिस की ज्यादतियों का समर्थन करते हैं। इसी सदन के अन्दर, मैं उस घटना या वाकये के बारे में इस समय कुछ नहीं कहता लेकिन जो पुलिस द्वारा बात होती है वह अनुचित है और इसीलिये यह प्रस्ताव है कि वह अपने शब्दों को वापस करें और क्षमा याचना करें। आपको याद होगा कि इसी सदन में एक सवाल उठा था कि क्या पुलिसवालों को गोली चलाने का अधिकार है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जरूर अधिकार है। उसी के साथ-साथ बस्ती में गोली चलाने के संबंध में जो वाकया हुआ उसके बारे में यह था कि पुलिस आफिसर को कैसे हटायेंगे।

श्री अध्यक्ष—माननीय राघवेन्द्र जी, कल की गलती की सजा आज तो आप नहीं देंगे ?

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, यह जो गलती है वह यही है कि यहां पर मुख्य मंत्री जी पुलिस राज्य स्थापित किये हुये हैं और उसी तरह पर उन्होंने यहां पर पुलिस वालों की मदद की और एक मरतबा भी यह नहीं कहा कि जिस तरह से यहां पर हुआ है वह ठीक नहीं है हम उसकी जांच करेंगे, और हम जानते हैं जैसा सरकारी की जांच का नतीजा हुआ करता है, लेकिन अगर एक मरतबा भी कह दिया होता कि वहां जांच होगी। इसलिये मैं अपने सामने बैठे हुये भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इसके, इस प्रस्ताव के पीछे हाथ उठावें। कोई जरूरी नहीं है कि ये कुर्सियां हमेशा आपके पीछे रहेंगी लेकिन जो आप आज पुलिस राज्य कायम कर रहे हैं वह हमारे प्रजातंत्र को कितने नीचे गड्ढे में ले जायगा। इन सब बातों के कारण मैं अनुरोध करूंगा कि जो रवैया आज हमारे मुख्य मंत्री और पुलिस मंत्री जी का हो रहा है वह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल ने यह बात कह दी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—नहीं, श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि यह घड़ा पाप का भर रहा है। वक्त आयेगा जब ये अफसोस करेंगे। मुझे शायर के दो शब्द याद आ गये हैं उन्हीं को कह कर खत्म करता हूं।

"करीब है यारों रोजे महशर, छिपेगा कुश्तों का खून कब तक।
जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का।"

मगर इन आस्तीनों का खून जनता के सामने आयेगा।

श्री अध्यक्ष—इसपर विवाद नहीं होगा। नेता विरोधी दल बोल चुके हैं। माननीय गेंदासिंह बोल चुके हैं। माननीय राघवेंद्रप्रतापसिंह बोल चुके हैं, माननीय डाक्टर साहब बोल चुके हैं। मैं समझता हूं कि यह काफी है।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय के खड़े होने पर।) माननीय नरसिंहनारायण आप पाँच मिनट बोल लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है और बहुत ही तकलीफ है जो माननीय सदस्य सत्यनारायण पांडेय जी के साथ घटना हुई है, उस पर माननीय गेंदासिंह ने एक प्रस्ताव रखा है और नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि आप अब हमारी रक्षा करें। आप इस सदन में हमारे रक्षक हैं और आप की रक्षा में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हकों की रक्षा होगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो रवैया चल रहा है यह जाना सुना रवैया है। यह पहली घटना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल यह सब कह चुके हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—केवल एक शब्द में अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप हमारी रक्षा करें। हाथ जोड़ कर विनम्र शब्दों में आपसे साग्रह प्रार्थना है कि अगर आप हमारी रक्षा नहीं करते हैं तो इस आदरणीय सदन में अब हमारी कोई भी मान-मर्यादा नहीं रह जायगी। इसलिये माननीय गेंदासिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था दे दी है और उन्होंने माननीय स्वतन्त्र पार्टी के नेता का भाषण शुरू करवा दिया था। अब आप वोट प्रस्ताव पर किस नियम में लेना चाहते हैं यह आप जानें। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह के प्रस्ताव पर तो बात होनी चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि अगर बहुमत चाहता है.....

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा है कि बहु-संख्यक व्यक्ति अगर चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—वह जो दफा ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश किया गया है कि इसपर वोट लेने की जरूरत नहीं है। आप को बिलकुल हक है। अगर आप यह समझते हैं कि वह प्रस्ताव आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आप ही सक्षम हैं व्यवस्था देने के लिये। इसमें कहा गया है—

"The following motions may be made if the Speaker permits, without notice"

यह बिलकुल साफ है। इसमें जो-जो बातें दी गयी हैं, किसी के मरने का प्रस्ताव हो, या किसी को बधाई देना का प्रस्ताव हो या साथ ही साथ अगर आप यह समझते हैं कि सदन के अन्दर ऐसी वातावरण फैल गया है कि सुचारु रूप से, वैधानिक रूप से, सदन नहीं चल सकता तो आप पूरे सक्षम हैं, आप व्यवस्था दें कि यह प्रस्ताव आ सकता है। इसपर वोट लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आदरणीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये इस प्रस्ताव को आना चाहिये और आपकी आज्ञा से आना चाहिये अगर इस सदन को वैधानिक तरीके से मर्यादा के अन्दर चलाना है। तो आपसे साग्रह प्रार्थना करता हूं...

श्री अध्यक्ष—मैं आपको संविधान का अनुच्छेद पढ़ कर सुना दूं—

"इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किसी बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति या उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। अब मैं आपके सामने..... (माननीय मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर) माननीय नेता सदन बोलना चाहते हैं। सुन लें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप मुझे भी दो मिनट का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये भगवान सहाय जी। मैंने माननीय नेता सदन को बुला लिया है। (श्री दीपनारायण सिंह के खड़े होने पर) माननीय दीपनारायण जी, माननीय नेता सदन बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिये।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि आज हमारे उन साथियों ने जिनसे कि मैं बहुत सन्तुलित विचारों की आशा रखता था और बावजूद भिन्न मतों के उनका आदर करता हूं और उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, आज उन्होंने बिना मुलजिम को सुने हुये मुलजिम को सजा देदी और सजा देने का प्रयास किया। मैं नहीं जानता कि यह कौन सा कानून है, कौन सा न्याय है, कौन सी नीति है कि जिसमें एक व्यक्ति ने कुछ आरोप लगाया और बिना उस आरोप की जानकारी प्राप्त किये हुये और दूसरे पक्ष की बात को सुने हुये हम एक नतीजे पर पहुंच जायं और ऐसे नतीजे पर पहुंच जायं जिसमें कदाचित उन लोगों के प्रति हम न्याय न कर सकें जिनके ऊपर हमने जिम्मेदारी इस प्रदेश में ला ऐंड आर्डर के रखने की रख छोड़ी है। मैं बहुत अदब से जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा माननीय उन नेताओं से जिन्होंने बहुत आपत्तियां की कि पुलिस के उस अधिकारी ने इस प्रकार का व्यवहार किया, क्या उन्हें माननीय नेताओं के दल के सदस्यों ने आकर तीन-चार रोज हुये यह शिकायत नहीं की कि उनके साथ वे लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे जो दरवाजे पर खड़े हुये हैं और उन्हें सदन में आने से रोक रहे हैं और सदन में आने से रोकते हुये उन्हें अपने उत्तरदायित्व को निभाने से वंचित कर रहे हैं। माननीय यूसुफ जी ने, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने, माननीय इधर के दो एक व्यक्तियों ने, माननीय रामप्यारे जी ने कदाचित यह शिकायत की कि वह फाटक पर रोके गये और उन व्यक्तियों के द्वारा रोके गये जोकि सत्याग्रह के नाम पर आज सदन के सदस्यों को उनके कार्यों से वंचित करना चाहते हैं। आप ने उनको सुना और आदेश दिया कि ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि सदस्यगण अपने उत्तरदायित्व को निभाने से वंचित न किये जायं। आपके पास जो आज साधन उपलब्ध है बाहर के इन्तजाम के लिये वह यह सही है कि पुलिस का साधन उपलब्ध है और बाहर यूं भी पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वह ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था को रखे। जब यह प्रश्न कई दफा हमारे सामने आया और आपने भी आदेश दिया तो हमने उस व्यवस्था को रखने के लिये जिसकी मांग हमसे की गई थी अधिकारियों को आदेश दिया कि वह ऐसी व्यवस्था रखें कि जिससे माननीय सदस्यगण जोकि सदन के सदस्य हैं और सदन में आना चाहते हैं वह सुगमता से सदन में आ सकें और उन्हें यह भी आदेश दिया कि वह इस प्रकार से व्यवहार करें कि जिससे गलती से या भूल से वह कोई ऐसी बात न कर दें जससे कि किसी माननीय सदस्य को उनकी किसी हरकत से दुख हो। यह हमारे आदेश थे और हमारे बड़े-बड़े अधिकारी जिलाधीश और एस० एस० पी० इन जगहों पर बराबर तैनात रहे और वह जब वहां तैनात रहते हैं और आपने जो एक व्यवस्था दी उसके अनुसार उस व्यवस्था को रखने की चेष्टा करते हैं तो बिना उनका दृष्टिकोण जाने हुये हमारे साथीगण ने यदि यह मेरी धृष्टता न समझी जाय, तो एक आवेश में आकर जो तरह-तरह के आरोप लगा दिये और उन साथियों ने भी, यदि यह मेरी धृष्टता न मानी जाय, कदाचित शब्दों के इस्तेमाल करने में अपना सन्तुलन खो दिया जो कि कभी अपना सन्तुलन खोते नहीं और जो कि एक विवेक से, भिन्न मत को रखते हुये अपने विचार विभिन्न प्रश्नों के ऊपर प्रकट करते हैं।

क्या यदि हम पुलिस के सभी कर्मचारियों को गुंडा ही समझ कर आज सम्बोधित करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल वे हमारे साथी जो इन कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं और इस प्रदेश का शासन चलाना चाहते हैं उन्हीं शब्दों से उनको सम्बोधित करेंगे? जिनसे काम लेना है और जिनके हाथ में अनप्लेजेन्ट टास्क सिपुर्द की गई है, अनप्लेजेन्ट काम करने की जिम्मेदारी दी गई है क्या उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार होगा? मैं नहीं कहता कि पुलिस के कर्मचारी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गलती नहीं करते हैं और भूल नहीं करते हैं। न मेरा ऐसा मत रहा है और न मैं इस मत को मानकर चलता हूं। यदि कोई पुलिस अधिकारी गलती करता है हमारी आज्ञा मानने में उल्लंघन करता है, और यदि हम देखते हैं कि उसने उल्लंघन किया है तो उसको सजा देते हैं। उसके साथ हम वह व्यवहार करते हैं जो उसको सही रास्ते पर ला सके लेकिन बिना किसी चीज को सुने हुये यदि अपनी राय बना ले और यह समझकर कार्य करें कि हमारा अनादर किया गया तो कुछ समझ में नहीं आता। आखिर इतने माननीय सदस्य भी तो उसी रास्ते से आते हैं। इनके साथ तो पुलिस ने वह व्यवहार नहीं किया। इन माननीय सदस्यों का तो पुलिस ने अनादर नहीं किया। हमारे एक भाई के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? जितनी बातें मुझे मालूम हुई हैं जितना वर्णन मैंने सुना है उससे क्या यह विदित होता है कि वहां फाटक पर जो गड़बड़ी हुई है बाहर जो अधिकारी थे उनको न सुना जाय? माननीय सदस्य ने स्वतः कहा है कि वह उस भीड़ में आगये थे। तो जब एक दल आज कानून का उल्लंघन करता है और कानून के उल्लंघन के लिये लोगों को उत्तेजित करता है जब एक ऐसी व्यवस्था खराब है जिसके लिये पुलिस को इन्तजाम करने के लिये कहा गया है तो क्या पुलिस के अधिकारी ऐसे मामलों में गलती नहीं कर सकते हैं? क्या वे जानबूझ कर कोई गलती करते हैं? यदि यह सदन यह चाहता है कि बाहर फाटक पर पुलिस का इन्तजाम न रहे, बाहर फाटक पर जो सत्याग्रह करने के लिये आते हैं उनको सत्याग्रह करने दिया जाय जो कानून शिकनी करते हैं संविधान के विरुद्ध काम करते हैं उनको यदि सदन इजाजत देना चाहता है तो आपके द्वारा माननीय सदस्य बतलायें। यदि किसी पुलिस को फाटक पर लगाना नहीं है चाहे जो भी अन्दर आये चाहे किसी के साथ दुर्व्यवहार करे तो वैसी बात बतायें। माननीय यूसुफ साहब ने यह शिकायत की थी कि उनको पकड़कर गाली दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब ऐसे व्यक्ति बाहर मौजूद हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं तो फिर क्या किया जाय? जो संविधान की धाराओं को पालन कराने के लिये यहां सदन में उपस्थित हैं वे ही जब इस बात की घोषणा करते हैं और डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि हम कानून शिकनी करेंगे और इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो जब कानून शिकनी की डंके की चोट पर बात करते हैं तो मेरी सरकार जिसका उत्तरदायित्व है जब तक वह सरकार के रूप में काम करती है उसका कर्त्तव्य है कि वह कानून की रक्षा करे, वह ला ऐन्ड आर्डर की व्यवस्था करे। क्या वह इस बात को मानकर चल सकती है कि यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुये हैं जो यहां पर तो संविधान की रक्षा की बात करते हैं और बाहर कानून भंग की बात करते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती रहे। उनकी दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। यहां पर तो संविधान की रक्षा करने की बात कही जाती है और बाहर कानून शिकनी की बात की जाती है तो यह दोनों बात साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। इसलिये आज मुझ से डा० जेड० ए० अहमद कहते हैं कि मैं माफी मांग लूं! गेदासिंह जी कहते हैं कि मैं माफी मांग लूं। तो मैं किस बात की माफी मांग लूं? इस बात को आप समझ लें कि वहां पर पुलिस क्यों रखी गई है? वहां पर इसीलिये पुलिस को रखा गया है कि लोगों को बाहर से आने की सुविधा दे और उस सुविधा देने के सिलसिले में यदि कोई गड़बड़ी होती है और कोई माननीय सदस्य उसमें पड़ जाता है। यदि कोई अव्यवस्था हो जाती है तो आप आकर मुझे दोष लगाते हैं आरोप लगाते हैं कि मुख्य मंत्री ने ऐसा आदेश दिया है कि वे सदस्यों को अपमानित करें। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यदि यह विचार उन्होंने मेरे प्रति बना लिया है तो वह प्रस्ताव ला सकते हैं कि इस व्यक्ति को सरकार के चलाने का हक नहीं है। यह सरकार से हटना चाहिये यह उन परम्पराओं को निभाने के योग्य नहीं है जिन परंपराओं को अपनाने की यह घोषणा करते हैं। और यदि उन के दिल की यह धारणा नहीं तो मैं नम्रतापूर्वक उन से कहूंगा कि आवेश में आ कर उनको यह बात नहीं करनी चाहिये। पुलिस का उत्तरदायित्व इस प्रदेश में ला ऐंड आर्डर रखना है। यह ठीक है कि पुलिस में खराब आदमी भी हो सकते हैं और रहते भी हैं, इसको मैं छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार है और मैं

इसका मुख्य मंत्री हूं मेरा यह उत्तरदायित्व रहेगा कि जो कानून शिकनी करेगा, विधि के विरुद्ध कार्य होगा ,उसके लिये कानून जिन विधियों की इजाजत देगा, हम उनको अपना कर उसके विरुद्ध कार्य करेंगे और इस प्रकार अपना उत्तरदायित्व निभायेंगे। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं.....

(व्यवधान) क्योंकि जब तक यह सफाई नहीं होती (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—बैठ जाइये ,बैठ जाइये।

श्री मेवालाल (जिला इलाहाबाद)—मुझे एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। मैं आप से यह कह रहा हूं कि आप बैठ जाइये।

श्री मेवालाल—लेकिन मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो मैं इस असवर पर बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि गेंदासिंह जी को मेरी गरमी की बड़ी शिकायत है, मेरे भाई दुबे जी को भी उस गरमीकी शिकायत है। वैसे मैं ६१ वर्ष का हो गया हूं फिर भी अगर गरमी है तो है। अगर उनको गरमी ५८ में ही ठंडी हो गयी हो तो मैं अपनी गरमी को निकाल नहीं सकता। मैं अपनी गरमी को रख कर ही चलूंगा। वह गरमी मेरे साथ है और वह मुझे सत्य, त्याग और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर चलने का साहस देगी और उसके द्वारा मैं अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयत्न करूंगा और उसमें वह मुझे बहुत सहायक होगी और उस दल को सहायक होगी जो प्रदेश और जनता की सेवा करने के लिये यहां बैठा है।

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन् फिर वही बातें और वही गलतियां माननीय मुख्य मंत्री जी ने दोहरायीं ,जिन को मैं आशा करता था कि वह नहीं दोहरायेंगे। मेरे पर और दूसरे माननीय सदस्यों पर जो इल्जाम वह लगा रहे हैं बगैर जांच किये हुए और बिना किसी दूसरे से पूछे हुए, यह कहां तक उचित है? मैं समझता हूं कि यही काम उन्होंने उस वक्त भी किया था और इस वक्त भी किया है। माननीय सत्यनारायण जी की बात सुनने के बाद भी उन्होंने उस पर अफसोस नहीं किया, सिर्फ अपना यह कर्त्तव्य समझा है कि मुल्क में पुलिस की मदद से ला एंड आर्डर —मैं उसे डिस्आर्डर कहता हूं—कायम रखना उनका काम है। उनके दिमाग में, मन में रत्ती भर इसबात की परवाह नहीं है कि अगर किसी माननीय सदस्य पर आक्रमण होता हो, अपमान किया जाता हो, तो उसके लिये भी उनका उत्तरदायित्व है और उसे उन्हें देखना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस से बढ़ कर और दूसरी कोई दुर्भाग्य की बात हमारे लिये नहीं हो सकती और मैं समझता हूं कि इसपर जहां मुख्य मंत्री जी हम से कहते हैं कि हम अपना संतुलन खो रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वहां वह भी कुछ सोचें।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अब तक वह जांच न करें, उनको उस समय तक कम से कम अफसोस जाहिर करना चाहिये और यदि वे इस के लिये क्षमा याचना नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है और मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई तरीका नहीं है सदन में संसदीय परम्परायें कायम रखने का। उस के लिये यह कोई उचित प्रयास नहीं है।

श्री जेड० ए० अहमद—मैं श्रीमन् केवल दो, तीन लफ्ज कहना चाहता हूं। मैंने मुख्य मंत्री जी की बातों को बहुत गौर से सुना और मैं उम्मीद करता था कि.....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। किस बात पर आप व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री चन्द्रबलीसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण के बीच में ही व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हक हमें है, सुन लीजिये

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मुख्य मंत्री जी को सदन का नेता कहा जाता है। लेकिन जब किसी दूसरे माननीय सदस्य पर आक्रमण हो तो उसके लिये उनको दुख नहीं होता इसलिये मेरी मांग है कि उनको अपने को केवल कांग्रेस दल का नेता कहलाना चाहिये, सदन का नेता नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये। चन्द्रबली जी, आप बैठिये।

डाक्टर जेड० ए० अहमद—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सब्र के साथ और इस खयाल से कि हमारे गुस्से के इजहार का असर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पर कितना पड़ा मैंने टटोल टटोल कर उनके शब्दों को देखा। भले ही हमने गुस्से का इजहार गलत तरीके से किया, लेकिन उसकी बुनियाद सही है और वह यह है कि अगर हमारा अपमान होता है और एक पुलिस का आदमी हमारा अपमान करता है तो यह कतई सही नहीं कहा जा सकता है। हम भी जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से यह उम्मीद करते हैं कि उनको इस पर दुख प्रगट करना चाहिये था और थोड़ा सा इजहार इस बात का होना चाहिये था कि हमारा एक भाई अपमानित हुआ है। यह हो सकता है कि भले ही उसकी गरदन न खींची गई हो उसके बाल न खींचे गए हों परन्तु उनका इतना अपमान हुआ है कि वह रो रहे हैं। क्या आपके दिल पर जरा सी भी चोट नहीं हुई। मैं कहता हूं कि वह जरा-सा यह कह देते कि हमारे भाई का जो अपमान हुआ है उससे हमको दुख हुआ और हम उसकी जांच करायेंगे। बस, हम इतने ही से खुश हो जाते। वह यह कह देते कि हमारे भाई का दुख हमारा दुख है और अगर सही चीज हुई तो हम पकड़ेंगे और संबंधित आफिसर को सजा देंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप ऐसा करें ही। लेकिन आप अगर सिर्फ कह भर देते तो हम को तसल्ली हो जाती। यह इन्सानियत का तकाजा है और एक इन्सान के नाते हमारा रवैया भी ऐसा ही होना चाहिये। मैंने दूसरे मुख्य मंत्रियों को भी देखा है। यह आप न सोचें कि मैं आपको जलील करना चाहता हूं लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश है आपसे कि आप इन्सान के दुख से सिर्फ दुख महसूस करें। मैंने और भी मंत्रियों को देखा है मैंने विधान चन्द्र राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है। जहां कहीं भी मेम्बरों के अधिकारों का या बुनियादी अधिकारों का सवाल आया है तो हमेशा यही जवाब रहा कि हां साहब, अगर आपको दुख हुआ है तो हम भी उससे दुखी हैं और अगर आपका अपमान हुआ है तो वह हमारा भी अपमान है। तो यह एक हुई उसूल की बात। पंडित जवाहरलाल जी ने एक दफा नहीं सौ दफा कहा है जब कभी भी ऐसा वाकया हुआ है तो यही कहा कि हम जांच करायेंगे और अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा दी जायगी। तो इन सब बातों से हमको संतोष होता है। इससे हमको इतमिनान होता है। यदि आपको मेरी बात बुरी मालूम हो तो मैं उसको वापस ले लेना ठीक समझूंगा। मैं यही कहूंगा कि पुलिस का रवैया कभी-कभी गुंडों की तरह नहीं बल्कि गैंगस्टर्स की तरह हो जाता है। मैं यह जानता हूं कि आज आप इस रवैये को नहीं महसूस करते हैं मगर हम महसूस करते हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता आप हमारी जगह पर आ गए और हम आपकी जगह पर पहुंच गए तो उसी वक्त आप यह महसूस करेंगे। मैं उस दिन का इन्तजार करूंगा। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सिफारिश करता हूं कि वे हमारी बात मानें। चूंकि हम को संतोष नहीं है और हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं इसलिये अगर आप सिर्फ इतना कह दें कि मुझे भी उस घटना से दुख हुआ है और जरूर जांच करूंगा तो बस मैं इतने से ही खुश हो जाता। अब मैं सिर्फ असंतोष की ही भावना लेकर निकलूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो सजेन्शस देने हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कह दूं।

श्री मेवालाल—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये। माननीय दुबे जी को बोलने दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुनता रहा। मैं समझता था कि जैसी एक जनतंन्त्र की पद्धति है और सौजन्यता की पद्धति है कि अगर किसी को दुख हुआ तो उसके लिये दुख प्रकट कर दें। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया यह जानते हुए कि माननीय सदस्य का अपमान हुआ है कि वह शोभनीय नहीं कही जा सकती है। मैं आशा करता था कि वे दुख प्रकट करेंगे परन्तु उसके ठीक विपरीत उन्होंने कहा कि मैं गर्मी को बनाये रखूंगा। परन्तु मैं कहता हूं कि आपने अपनी गर्मी खो दी। आप इस तरह से ला एण्ड आर्डर को कभी मेनटेन नहीं कर सकते हैं। ला एन्ड आर्डर को मेनटेन करने का मतलब यह नहीं है कि किसी का अपमान करें और जनता की आवाज का गला घोटें। हम आशा करते थे कि इस पर खेद प्रकट किया जायेगा। यह एक सदस्य का अपमान नहीं है इस सदन के ४३० सदस्यों का अपमान है। (व्यवधान) आज श्रीमन् आवश्यकता थी कि हमारी भावनाओं का आदर करते हुये माननीय मुख्य मंत्री खेद प्रकट करते न कि जिस प्रकार का रवैया उन्होंने रखा वह रखते। इसके लिये मुझे हार्दिक दुख और खेद है।

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—माननीय कल्पनाथ जी कृपया बैठिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये। माननीय कल्पनाथ जी, अगर आप नहीं बैठते हैं तो आप कृपया सदन छोड़ दीजिये। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप सदन छोड़िये।

श्री कल्पनार्थसिंह—मेरी बात सुन लीजिये मैं बैठने के लिये तैयार हूं। मैं तो बोलने के लिये आपकी इजाजत लेने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री गेंदासिंह—आप, अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने के लिये मौका दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं होगा (व्यवधान)—

प्रश्न यह है कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, कल्पनार्थसिंह जी को आपने मौका नहीं दिया इस तरह से मैं समझता हूं कि इस सदन का काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि इस वोटिंग को रद्द कर दें और फिर सब को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—क्या आप डिवीजन चाहते हैं? (कई सदस्यों के खड़े रहने पर)—वह रद्द तो नहीं हो सकता मैंने अब उसको घोषित कर दिया है और वह अस्वीकृत हो चुका है।

डाक्टर जेड० ए० अहमद—अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह कार्यवाही हो रही है वह ठीक नहीं है। हमने अपने गुस्से और दुख का इजहार किया। माननीय गेंदासिंह जी के प्रश्न को आपको तस्लीम करना चाहिये था। आप वोट ले लेंगे तो जाहिर है कि वह गिर जायेगा। आप हमारी रक्षा करते हैं.....।

श्री अध्यक्ष—मैंने निवेदन किया था कि मैं इसकी जांच करूंगा। मैंने बताया कि मैंने माननीय सत्यनारायण जी का बयान लिया है और इन लोगों का पूरा बयान नहीं ले सका हूं। मैं अन्वेषण करूंगा और उसको आपके सामने रखूंगा।

डाक्टर जेड० ए० अहमद—एक दफा जांच नहीं ४ दफा जांच हुई है मगर उसका नतीजा कुछ निकला नहीं। वह मामला टल जाता है। आज यह चीज तय हो जानी चाहिये जो माननीय गेंदासिंह जी का प्रस्ताव था और जिसको हमने अपील के तौर पर मुख्य मंत्री जी के सामने रखा उस पर कम से कम इतना फरमा दें कि मुझे दुःख है, मुझे अफसोस है अगर मेरे भाई का अपमान हुआ है। मुझे इससे ही संतोष हो जायगा। लेकिन अगर उनको इतना भी दुःख नहीं है तो हम यहां खड़े रहेंगे और नहीं हटेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री से अपील की लेकिन वे रिग्रेट भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। वे अपनी मेजोरेटी के बल पर इस सदन का अपमान करना चाहते हैं। इसलिये जब तक वे ऐसा नहीं करते हम लोग यहां खड़े रहेंगे। आपकी जो इच्छा हो वह करें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों की रक्षा करें हमारी मर्यादा की रक्षा करें। अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—डाक्टर अहमद साहब ने जो हम लोगों की तरफ से आंतरिक भावनायें प्रकट कीं वह ठीक है। इसमें हमारा अपमान हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि किसकी गलती है, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार है उसके लिये जरा दुःख तो प्रकट कर दें। अगर वे ऐसा भी नहीं करते तो हम लोग मजबूर हैं, नहीं बैठ सकते।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना था वे कह चुके और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब इस सदन में एक विशेष उद्देश्य से आये हैं। आप लोगों के इस प्रकार से खड़े होने और व्यवधान डालने से सदन का कार्य नहीं चल सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं विभिन्न दलों के नेताओं को इंगित करूं। (शोर)

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या वालंटियरों को इंगित करेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं अपने अधिकारों के बरतने में ढिलाई नहीं करूंगा, लेकिन इसका मुझे बड़ा अफसोस होगा। आप मुझे चैलेन्ज करना कहते हैं। (श्री नरसिंहनारायण के खड़े होने पर) माननीय नरसिंह नारायण जी आप बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—नहीं बैठ सकता।

श्री अध्यक्ष—तो आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं सदन नहीं छोड़ सकता।

श्री अध्यक्ष—आप सदन नहीं छोड़ते हैं। मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि माननीय नरसिंह नारायण जी मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं उनको इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय नरसिंहनारायण को एक माह के लिये इस सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय नरसिंहनारायण को इस सदन की सेवा से एक माह के लिये निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में— १६५,
विपक्ष में— ०)

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंहनारायण सदन का त्याग करें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, आप यहां जनतंत्र की रक्षा के लिये बैठे हुए हैं और जब जनतंत्र ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सदन से कैसे बाहर जा सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—मार्शल, माननीय नरसिंह नारायण को आप सदन के बाहर ले जायं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से असहमति प्रकट करता हूं। मुल्क के सामने यह एक बड़ा ही अवैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है। आप से मेरा निवेदन है कि आप जनतंत्र की रक्षा करें। उधर के बैठने वाले सदस्यों से मेरा निवेदन है कि मेजारिटी के बल पर इस तरह से जनतंत्र का गला न घोंटें। मैं सदन को नहीं छोड़ने जा रहा हूं।

(माननीय सदस्य पुनः अपने स्थान पर रुक गये।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो रवैया अख्तियार किया है, उसके खिलाफ मैं यहां बैठने को तैयार नहीं हूं। आप की जो इच्छा हो आप करें।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह जी, कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं आप से इंगित होकर यहां से घसीट कर निकाला जाना ज्यादा प्रतिष्ठा की बात समझूंगा बजाय इसके कि मैं बैठ जाऊं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी व माननीय जेड० ए० अहमद साहब से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, हम लोग बहुत सोचसमझ कर और जान बूझ कर दुख के साथ इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रश्न तो हमारे सामने यह है कि हमारे सदन के ही एक भाई को क्लेश पहुंचा और आज सदन के नेता उसके दुख के साथ अपना दुख नहीं प्रकट करते, तो बहुत अच्छा है कि हम लोग यहां से बेआबरू होकर निकाले जायं तो कोई एतराज नहीं है।

डाक्टर जेड० ए० अहमद—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके इस हुक्म को मैं मान नहीं सकता। मैं बड़े दुख के साथ साफ एलान करना चाहता हूं कि यह सवाल ऐसा है, और माननीय मुख्य मंत्री का रवैया ऐसा है कि मैं बायसे फख्र समझूंगा और मेरे लिये इज्जत की बात होगी अगर मुझे पुलिस यहां से उठा कर बाहर ले जाय। मैंने तमाम चीजों को समझ करके ह्यूमन फैक्टर पर रिडयूस कर दिया कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग केवल इतना कह देते कि मुझे अफसोस है कि पांडेय जी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अगर इसके लिये भी वे अपना दुख जाहिर नहीं करते तो मालूम नहीं उनका दिल पत्थर का है—अगर दिल नहीं है तो अब क्या कहा जाय? इसलिये मैं चाहूंगा कि पुलिस मुझे यहां से उठा कर ले जाय और इस सवाल पर पुलिस से उठा कर फेंके जाने में अपनी इज्जत और मान समझूंगा।

श्री भगवान सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे आप की आज्ञा की अवहेलना करने को मजबूर होना पड़ा है, मैं बैठने को तैयार नहीं हूं। माननीय नरसिंह नारायण को इंगित करके निकालने में खुशी मना रहे हैं, आज हमारे साथी मेजें बजा रहे हैं। इससे साबित है कि वह हमारा खून देखना चाहते हैं तो फिर यहीं पर देखें बाहर क्यों देखना चाहते हैं। अगर उनका कलेजा पत्थर का हो गया है और उनको खुशी होती है तो वह हमारा खून आज यहीं देखें, हमें यहीं पर खुशी से पुलिस से घसिटवा कर वह देखें। हम डरते नहीं हैं। आप हमें अपनी पुलिस के डंडों से निकाल कर देखिये और खुश होइये अगर इसी में आपकी खुशी है।

(श्री चन्द्रबलीसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष— आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैं अब माननीय सदस्यों का रुख देख रहा हूं मैं समझता हूं कि इससे हम इस सदन की परम्पराओं को बनाने में अधिक मदद नहीं देंगे, इसलिये मैं आज निवेदन करूंगा कि इस आवेश के समय में यह ज्यादा मुनासिब होगा कि सदन आज अपनी कार्यवाही स्थगित कर दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप लोग मुझे तो उनकी बात सुनने दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे माननीय नेतागण से मिलने का अवसर मिले और फिर मैं उनके समक्ष अपना दृष्टिकोण रखूं और सदन के बाहर मुझे यह साबित कर दें कि मुझे ऐसा करना चाहिये तो मैं ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यदि कहीं किसी की गलती हो और मैं यह समझूं कि किसी व्यक्ति का वाकई अपमान हुआ है तो उस व्यक्ति की मानमर्यादा को रखने के लिये उस व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुये उस कार्य के लिये दुख न प्रकट करूं जिससे कि वह अपमान के कारण बने हैं। अतः मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इन परिस्थितियों में आप हमें आपस में बैठने का अवसर प्रदान करें और आज इस समय सदन को स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रस्ताव उसी सूरत में स्वीकार हो सकता है कि माननीय नरसिंह नारायण जी के निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय नरसिंह नारायण जी का जो एक मास का निलम्बन किया गया है वह रद्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंहनारायण जी का निलम्बन समाप्त हुआ।

मैं आज बहुत ही परेशान था कि जिन आदरणीय सदस्यों का मैं इस सदन में आदर करता हूं उनके विरुद्ध मुझे निलम्बन की कार्यवाही करनी पड़ रही है और मैं माननीय नेता सदन का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस स्थिति से बचा लिया।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या जो सदस्य नेता नहीं हैं वे सदस्य अनादरणीय हैं? यह हम सदस्यों के लिए अपमानकारी शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। अब यह सदन आज के लिये स्थगित होता है।

(इसके बाद सदन ४ बजे अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
४ अक्तूबर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१४ पर]

देवरिया
७–९–६२

आपके सम्मानित पत्र द्वारा मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान निम्नलिखित लेडी डाक्टर जनाना विभाग, सम्मिलित अस्पताल देवरिया के पाशविक व्यवहारों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। आशा है कि आप अपने दैनिक पत्र में हमारे पत्र को प्रकाशित करेंगे और मेरी दुखित आत्मा को शान्ति प्रदान करेंगे और मेरी आह को जनता तथा सरकार तक पहुंचा कर अपने कर्त्तव्य परायण होंगे।

३ सितम्बर की बारह बजे दिन में मेरी स्त्री को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे ले जाकर स्थानीय अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती करा दिया। मेरे सौभाग्य से ३ बजे दिन में एक पुत्र पैदा हुआ। रात भर बच्चे की हालत ठीक रही। दूसरे दिन सबेरे बच्चे की हालत कुछ खराब होने लगी। ९ बजे सबेरे अस्पताल गया। स्टाफ नर्स त्रिपाठी से बच्चे की खैरियत पूछी उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे का वजन कम है बच भी सकता है मर भी सकता है। एक बाप की हैसियत से मुझे जो बेचैनी हो सकती थी उसका सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है। डाक्टर को बुलाने के लिये नर्स से राय पूछी उन्होंने जवाब दिया कि लेडी डाक्टर को सारा हाल बता दिया गया है। मैंने फिर पूछा क्या वह देख गई हैं जवाब मिला नहीं। मैंने फिर पूछा क्या कोई दवा वगैरह लिखा है जवाब मिला नहीं। इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं वहीं अस्पताल में बाहर पस्त होकर बैठ गया करीब ३ घंटे बाद मेरी छोटी बहन जो मरीज की देखभाल में थी आंखों में आंसू भरे बाहर आई और कहा भैया जच्चा और बच्चा दोनों को डाक्टर विमला कुमारी जैन के पास उठा ले चलिये। यहां पर ये डाक्टर दोनों को मार डालेंगे। परेशान होकर यहां वहां दौड़े पूरे जनाना वार्ड में लेडी डाक्टर श्रीमती एस० के० मेहरा को तलाशा, कहीं नहीं मिलीं। तब डाक्टर वर्मा के पास गया। डाक्टर वर्मा तुरन्त दौड़े दौड़े आये भगवान उनकी उम्र बहुत बड़ी कर दे। उनके बच्चों की उम्र बड़ी कर दे हमारी दुआयें लाख लाख उनके लिये। उन्होंने बच्चे को देखा। आला लगाया लेकिन समय काफी गुजर गया था उनके मुंह से केवल इतना ही निकल सका "डेड" मेरा बच्चा मर भी गया परन्तु डाक्टरनी नहीं आईं। फिर मैं उसके पास यह पूछने गया कि क्या जच्चा को घर ले जाऊं या अभी यहीं रहने दूं। कमरे में घुसते ही चिल्ला उठी। हमसे सारी बातें एक ही बार पूछ लें। मैंने कहा सारी बातें एक साथ कैसे पूछ सकता हूं, सम्भव नहीं है। इस पर जोर से बिगड़ गईं कहने लगीं "You should learn manners, you should learn howt o meet a doctor." मैं जवाब में केवल इतना ही कह सका कि "Madam, I know manner" यह कहते हुये I know your lad has expired and you have lost your senses" मुझे झिड़क कर बाहर चली गईं मुझे वे शब्द अब भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे कोई मेरे सामने चिल्ला रहा हो "तुम्हारा बच्चा मर गया है और तुम पागल हो गये हो"। सोचता रहा कि हो सकता है कि परेशानी में डाक्टरनी के साथ गलत व्यवहार हो गया हो। मुझे मा की मांग लेनी चाहिये। परन्तु थोड़ी ही देर के बाद जो कुछ आंखों के सामने गुजरा उसे देखकर यकीन हो गया कि मैं गलत नहीं था। यह डाक्टरनी ही गलत थीं नाइलान में ढकी स्थूलकाय डाक्टरनी न केवल शक्लसूरत और व्यवहार से भद्दी है बल्कि दिमाग से पेशे से नैतिकता की दृष्टि से तथा औरत के लिहाज से भी एक बहुत ही निम्नस्तर की चुड़ैल जैसी स्त्री है।

१२ बजे दिन में कैलसिया, निवासिनी ग्राम पडौली, थाना खुखुन्दू की एक स्त्री अस्पताल में भर्ती हुई बच्चा आधा उसके पेट से बाहर निकल आया था और आधा अन्दर था उसका मर्द गोपाल बाहर कलकत्ता में काम करता है और कोई दूसरा आदमी घर पर नहीं था। गांव के दूसरे १० आदमी हीरा वगैरा उसकी बेबसी पर रहम खाकर अपने खर्चे से अस्पताल ले जाकर

भर्ती कराये। बेचारी कैलसिया कराहती रही जिन्दगी की आखिरी दांव लगी थी। दाइयों ने किसी प्रकार बच्चा खींचतान कर बाहर निकाला भर्ती होने के २-२।। घंटे बाद कैलसिया की हालत खराब होने लगी स्टाफ नर्स कुमारी ऊषा ने अस्पताल की दाई दुलारी को डाक्टरनी के पास भेजा। दुलारी कह कर निराश होकर लौट गई "बड़बड़ाती रही" मेम साहब के दिल में जरा भी दया नहीं है। अस्पताल के लोगों पर डाक्टर के इसी व्यवहार से आतंक छा गया। हर कान कैलसिया मरी या बची की खबर सुनना चाहता था। हर जबान यही पूछ रही थी कि कैलसिया को क्या हुआ। नर्स ऊषा ने फिर दुलारी को डाक्टर के पास एक कापी के साथ भेजा। मैंने आये हुए ग्रामीणों में से श्री वंश बहादुर को दुलारी के साथ हो लेने को कहा। दोनों ने डाक्टर को बुलाया, दरवाजे पर आई परन्तु अस्पताल नहीं आई। और कापी पर कोई दवा लिख दिया। दुलारी और वंश बहादुर के लौटते लौटते कैलसिया और उसका बच्चा दोनों अपनी जिन्दगी की लीला समाप्त करके इस लोक से चले गये। दरवाजे पर खड़े २०सों आदमी कैलसिया के लिये आह भरते रहे। सब लोगों के जबान से एक स्वर से यही निकलता रहा, चुड़ैल है, कुतिया है। इसको अपना बच्चा नहीं है। मर्द नहीं है यह क्या जाने लोगों का दर्द। इसने तीन-घंटे में ३ हत्या किया।

साभिवादन,
ह० बैजनाथ सिंह, वकील,
७-९-६२
सदस्य जिला कार्यकारिणी,
कम्युनिस्ट पार्टी, देवरिया,
मंत्री नगर कम्युनिस्ट पार्टी, देवरिया।

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर]

उन नगरपालिकाओं की सूची जिनको बिजली नहीं दी जाती

जिला	नगरपालिका का नाम
१—आगरा ..	फतेहपुर सीकरी
२—एटा ..	गंज दुन्दवारा
३—जालौन ..	कोंच
४—बस्ती	चित्रकूट धाम
५—हमीरपुर ..	रथ
६—मिर्जापुर ..	चुनार
७—झांसी	मऊरानीपुर

उन टाउन एरियाओं की सूची जिन्हें बिजली नहीं दी जाती

जिला	टाउन एरियाओं का नाम
सहारनपुर ..	बेहट
	अम्बेहटा
	टिटरान
	सरसावा
	चिलकाना
	ननता
	झंडी मरारा
मुजफ्फरनगर ..	जलालाबाद
	सिसौली
	शाहपुर
	झिनजना
मेरठ ..	खरखादा
	बकसर खेरा
	निवारी
	अबदुल्लापुर
	अमीनगर सराय
	कलौन्दा
	बाबूगढ़
	लावर
बुलन्दशहर ..	मान बहादुरनगर
	छतारी
	राबूपुरा
	काकोरी
	बिलासपुर
	जेवर
	पहासू
अलीगढ़ ..	छारा
	बेसवां
	बिजयगढ़
	कोराईगंज
	पिलखाना
	परदिलनगर
	जैलाई
	जट्टारी
	मरासां
	मैन्ड
	खैर
मथुरा ..	राधा कुंड
	सांख
	फराह
	साहपऊ
	छाता
आगरा ..	अचनेरा
	पिनहट
	बाह
	फतेहाबाद
	समशाबाद
	जगनेर
मैनपुरी ..	करहल
	गोगांव
	बेवर
	फरहा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	टाउन एरिया का नाम
एटा ..	अमानपुर
	साकित
	मिघौली
	सहावर
	बिलराम
	रामपुर
	पटियाली
	मोहनपुर
बरेली ..	शीशगढ़
	सिरौली
बिजनौर ..	अफजलगढ़
	साहनपुर
बदायूं ..	मुंडिया
	ऊशेट
	गुन्नौर
	गाबन
मुरादाबाद ..	ठाकुरद्वारा
	नगबन सादात
रामपुर ..	केमरी
पीलीभीत ..	हुसनपुर नेवरिया
	बिलसंडी
अलमोड़ा ..	पिथौरागढ़
	लोहाघाट
टेहरी-गढ़वाल ..	कीरती नगर
फर्रुखाबाद ..	तिरवागंज
	तोलाग्राम
इटावा ..	भरथना
	फफूंद
	लखाना
	इकदिल
कानपुर ..	बिल्हौर
	बिठूर
	शिनशक
फतेहपुर ..	खागा
	किशनपुर
	कारा जहानाबाद

जिला	टाउन एरियाओं का नाम
इलाहाबाद ..	सिरसा
	भरवारी
	झूंसी
	सराय आकिल
	मारतगंज
	मऊआयमा
झांसी ..	मरवासागर
	रानीपुर
	गुरसराय
	माट
	चिरगांव
	तालबेहट
	महरौनी
	इरिच
जालौन ..	माधोगढ़
	कदौरा
हमीरपुर ..	सुमेरपुर
	सरौला
वाराणसी ..	गंगापुर
मिर्जापुर ..	धारावल
गाजीपुर ..	फतेहपुर दिलदारनगर
	जमानिया
	सैदपुर
बलिया ..	बड़ागांव
	सिकन्दरपुर
	रेवती
गोरखपुर ..	नौतनवां
देवरिया ..	रामकोला
	कैप्टेनगंज
लखनऊ ..	मलिहाबाद
	काकोरी
	अमेठी
	गोंसाईंगंज
उन्नाव ..	पुरवा
	मुरवान
	भगवन्तनगर

अपरिवर्तित प्रति

जिला		टाउन एरिया का नाम
रायबरेली	..	डलमऊ
सीतापुर	..	महमूदाबाद
हरदोई	..	पाली
खेरी	..	पलिया
		धौरेहरा
		सिधाई मवरा
फैजाबाद	..	जलालपुर
गोंडा	..	कटरा
प्रतापगढ़	..	प्रतापगढ़
		कटरा मेदनीगंज
		मानिकपुर
बाराबंकी	..	बाराबंकी
		देवा
		फतेहपुर
		सतरिख
		जैदपुर
		रामनगर
बांदा	..	अतर्रा
		नरैनी
		राजापुर
		बबेरू

अवर पंचायत प्रशिक्षण संस्था

परिशिष्ट 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर]

UNDER POSTAL CERTIFICATE

To

THE DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

SIR,

Allow me to say the bare facts which brought about the death of my wife at the hands of inexperienced, irresponsible and almost callous Medical Officer of Bara Banki, Women's Hospital thereby disrupting my family and orphaning little children on August 4, 1962 at 7 p.m.

My wife Kamal was running matured pregnancy. She felt some difficulty in the movement of her feet sometimes back. She was sent for medical examination to the Ladies hospital through my relation and Dr. Bansal of Men's Hospital who kindly gave a helping hand. The Lady Doctor Mrs. Yadav forced my wife to be admitted as an Indoor patient giving out that it was for her good and resultantly she was admitted on August 1, 1962 in the Women's Hospital. Some injections were given on 2nd and 3rd instant and my wife felt better.

But on 4th the Junior Lady Doctor Batra of the said hospital administered or rather tried to administer an intravenus injection Neo-ferrum in one hand and she failed in her attempt to insert the Hypodermic needle. She then tried the other hand and very wrongly pumped in the medicine with the result that my wife immediately felt Nausea and vomitted and felt shivering while she was quoted O. K. upto 12.00 a.m. These are the facts given out by other patients in the room who witnessed all this which has proved my undoing.

Thereafter, for her own reasons but definitely in a criminal manner Dr. Mrs. Yadava, incharge of the hospital advised an injection of Morphia at-once which was given in my absence and without consent in order to conceal Dr. Batra's folly. My wife became senseless at 1 p.m. never to regain.

Callously enough the two said doctors knowing fully well my local address and whereabouts would not care to inform me about the serious condition of the patient, it being their duty bound both as public servants as well as human beings. But sheer humanity urged a guardian of another patient to rush upto me and inform me at about 1.30 p.m. that my wife was senseless and was panting for life. This gentlemen is the Compounder of Dr. S. C. Banerji, local medical practitioner.

I immediately rushed upto the bed-side of my wife with entire family only to see that she was struggling for life in an unconscious state. The two lady doctors the killer of my wife were present besides the patient in a disconcerted and helpless manner still criminally giving out that it was a reaction of injection. Yes, Sir, it was reaction of a wrong injection which culminated in the patients death.

I immediately sent for Dr. Bansal who at once arrived and seeing the wrong handling kept quiet and could not give any suggestion knowing full well as an experienced doctor that damage has already been done which could not be redeemed. At 2.30 p.m. the Civil Surgeon also visited the dying patient and after having some talk with the lady doctors in medical terms

left the ward. Then we asked lady doctors and even Dr. Bansal to advise me to take out the patient for further consultation at Lucknow but all of them refused to do so as their folly may not be disclosed. They always take care of those patients who use to give money in bribe. Moreover they are habitual in keeping the injection phials of the patients and never care to return them and accordingly they did not return the remaining two phials to me so far.

At 4.30 p.m. I asked Dr. Mrs. Yadava, the Medical Officer-Incharge to take over the child off the womb which she readily consented to do. She asked me to fetch 4 phials of Gluconate 25c.c. 50 per cent as well as Calcium Gluconate with vitamin C Sandoz. Both of them tried to insert the injection but could not do so then Dr. Bansal applied the injection only 2 phials and the Lady Doctor instructed the Nurse Incharge to inject Morphia every four hourly and then six hourly and left the hospital at 5.15 p.m. without caring to bring out the child off the womb.

At about 6.00 p.m. the Nurse gave the bowels Anema with Mag Sulf but immediately the Nurse called in Dr. Batra as the pulse of the patient was sinking. She told me to fetch Dr. Yadava, the Medical Officer Incharge at once which I personally did and on reaching the bed side in a few minutes we found that the patient had ceased breathing. Dr. Batra in a very impetuous manner jumped on the chest of the dead to cause artificial respiration but it was not a happy sight for the near ones of the dead and it was useless.

The finish having thus being brought about by the two doctors who left the hospital at once and I brought the dead body at about 8 p.m. They committed the second murder of child also who was in a movement in the womb till about 10 p.m. as the expert ladies and the family ladies could feel it.

In view of the above facts I would request you, Sir, in the name of humanity to probe into this sad affair and see that the guilty is punished before it is too late for the public to loose faith in public hospitals completely. Those who cannot afford private medical aid have began thinking twice before admitting them in these hospitals full of carelessness.

Yours faithfully,
(Sd.) G. D. SRIVASTAVA,
Assistant Teacher,
City Inter College, 12/200, Gularia Garda, Bara Banki.

Dated : August 11, 1962.

COPY forwarded to:

(1) The Civil Surgeon, Bara Banki.
(2) The Health Minister, Uttar Pradesh, Lucknow.
(3) The District Magistrate, Bara Banki.
(4) Deputy Director (Women), Medical and Health Services, Uttar Pradesh, Lucknow.
(5) Chief Minister, Uttar Pradesh, Lucknow.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ तथा ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३१ पर)

अनुसूची १

१—आगरा इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, आगरा ।
२—अलीगढ़ इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, अलीगढ़ ।
३—औरैया वाटर एण्ड इलैक्ट्रिक सप्लाई कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, औरैया, जिला इटावा ।
४—बलरामपुर राज इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० (प्राइवेट) लि०, बलरामपुर, जिला गोंडा ।
५—बाराबंकी इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, बाराबंकी ।
६—बरेली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, बरेली ।
७—बनारस इलैक्ट्रिक लाईट एन्ड पावर कं० लि०, वाराणसी ।
८—ईस्टर्न यू० पी० इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, गाजीपुर ।
९—फर्रुखाबाद इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद ।
१०—फैजाबाद इलैक्ट्रिक लाईसेन्स, १९३३, फैजाबाद ।
११—जनरल इंजीनियरिंग कं०, वृन्दावन, जिला मथुरा ।
१२—जौनपुर इलैक्ट्रिक लाईसेन्स १९३४, जौनपुर ।
१३—झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, गोरखपुर ।
१४—झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, झांसी ।
१५—किशोर इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, बदायूं ।
१६—कोसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कं०, कोसीकलाँ, जिला मथुरा ।
१७—लक्ष्मी इलैक्ट्रिक सप्लाई कं०, हरदोई ।
१८—मिर्जापुर इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मिर्जापुर ।
१९—मथुरा इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मथुरा ।
२०—पीलीभीत इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० (प्राइवेट) लि०, पीलीभीत ।
२१—रोहतक एण्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० ।
२२—सादाबाद इलैक्ट्रिक सप्लाई कं०, सादाबाद, जिला मथुरा ।
२३—सहारनपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, सहारनपुर ।
२४—सेठ राम गोपाल एन्ड पार्टनर्स, इलैक्ट्रिसिटी सप्लायर्स, एटा ।
२५—शाहजहाँपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, शाहजहाँपुर ।
२६—यूनाइटेड प्राविंसेज इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, इलाहाबाद ।
२७—यूनाइटेड प्राविंसेज इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, लखनऊ ।
२८—अपर जमुना वैली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, मेरठ ।
२९—वेस्टर्न यू० पी० इलैक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कं० लि०, इटावा ।
३०—बस्ती (वेस्ट) गोंडा (साउथ) कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट यूनियन लि०, बभनान, जिला बस्ती ।
३१—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, अल्मोड़ा ।
३२—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, हल्द्वानी-काठगोदाम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।
३३—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, हरिद्वार यूनियन, हरिद्वार, जिला सहारनपुर ।
३४—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, कासगंज, जिला एटा ।
३५—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, खुर्जा, बुलन्दशहर ।
३६—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, मेरठ सिटी ।

३७—मसूरी देहरा हाइड्रो इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग सिटी बोर्ड, मसूरी, जिला देहरादून ।
३८—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, मुजफ्फरनगर ।
३९—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, नैनीताल ।
४०—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, रूड़की, जिला सहारनपुर ।
४१—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिकल सप्लाई अन्डरटेकिंग, उन्नाव ।
४२—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, ललितपुर, जिला झांसी ।
४३—म्युनिसिपल इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

अनुसूची २

क्रम-संख्या	इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का नाम	ऋण जो दिया गया	सूद की दर
		रु०	
१	मैनपुरी इलैक्ट्रिक सप्लाई एन्ड जेनरल मिल्स कम्पनी लिड०, मैनपुरी	१० हजार	छः प्रतिशत
२	कोसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, राधा गोविन्द इन्डस्ट्रीज लि०, कोसी कलाँ, जिला मथुरा ..	३ लाख	पाँच प्रतिशत
३	झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, झांसी ..	२ लाख	पाँच प्रतिशत
४	पीलीभीत इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिड०, पीलीभीत	५० हजार	पाँच प्रतिशत
५	रोहतक एन्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	५ लाख	पाँच प्रतिशत
६	बनारस इलैक्ट्रिक लाइट एन्ड पावर कम्पनी लि०, वाराणसी	१० लाख	सवा पाँच प्रतिशत पहले १२ साल के लिये ।
		२५ लाख	पाँच प्रतिशत
		१.२५ लाख	साढ़े चार प्रतिशत
		१० लाख	साढ़े चार प्रतिशत
		४ लाख	साढ़े चार प्रतिशत
७	बरेली इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, बरेली ..	८ लाख	पाँच प्रतिशत
८	आगरा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, आगरा	१२ लाख ६० लाख	पाँच प्रतिशत सवा पाँच प्रतिशत पहले
९	यू० पी० इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, लखनऊ-इलाहाबाद	३० लाख	१२ साल के लिये ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३३ पर)

प्रथम सूचना के अनुसार घटना इस प्रकार है :—

दिनांक ३१–५–६२ व १–६–६२ की रात में श्री गंगा राम अपनी कोठरी के आगे सो रहे थे । पास ही में उनका छोटा भाई भी अपनी कोठरी के आगे सो रहा था । आधी रात के लगभग कुछ आवाज सुनकर उनका छोटा भाई उठा और उसने सरदार कुर्मी, जंतरी कुर्मी, भूप कुर्मी और मंगली कुर्मी को अपने भाई की चारपाई की तरफ दौड़ते हुये देखा । सरदार के पास एक देसी पिस्तौल थी और उसने इससे श्री गंगा राम को गोली मारी । श्रीमती चमेली, पत्नी श्री गंगा राम, ने अभियुक्त सरदार को पकड़ लिया । मगर अभियुक्त मंगली ने श्रीमती चमेली को लाठी मारी जिससे उसे अभियुक्त सरदार को छोड़ना पड़ा । आवाज सुनकर श्री गंगा राम के परिवार के दूसरे लोग भी वहाँ पहुंच गये । अभियुक्तों ने उनको भी मारा पीटा । वह श्री गंगा राम की बंदूक जो उसकी चारपाई के पास थी, लेकर भाग गये ।

श्री गंगा राम गोली लगने की वजह से मर गये ।

अभियुक्त और श्री गंगा राम के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है । पिछले पंचायत के एलेक्शन में कल्यान जो कि एक अभियुक्त का भाई है एलेक्शन में खड़ा हुआ था । उसके मुकाबले में श्री गंगा राम के चाचा का लड़का खड़ा हुआ था । वह जीत गया पर कल्यान हार गया । कुछ दिवस पहले इसी अभियुक्त के घर पर डकैती पड़ी थी और उसको शक है कि यह डकैती श्री गंगा राम की वजह से पड़ी । पिछले बैसाख के महीने में श्री गंगा राम के भतीजे का विवाह हुआ मगर अभियुक्त इसमें शरीक नहीं हुये । इसकी वजह से और दुश्मनी बढ़ गई । इन्हीं रंजिशों के कारण यह हत्या हुई है ।

अभियुक्तों के लापता होने के कारण उनके विरुद्ध ८७/८८ जा० फा० की कार्यवाही की जा रही है तथा मामले में तफतीश जारी है ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

सेशन जज, कानपुर द्वारा पारित "स्ट्रिक्चरों" के उद्धरण

"Sub-Inspector Gopi Chand was deputed to hold an inquest and he held the inquest the next morning at 9 a.m. though he is supposed to have left the Police Station at 3.45 a.m. as soon as the information was received."

* * *

"It may appear, this dying declaration did not see the light of the day till it was produced before me at the trial. It was not even produced in the Committing Magistrate's Court. The Investigating Officer Sub-Inspector Prem Shanker had charge-sheeted the accused on the 27th of October, 1961, without coming to know about any such dying declaration."

* * *

"Tulsi is supposed to have been returning after attending the call of nature when he was caught hold of by Shyam Lal and stabbed by Laxmi Narain. This fact is also completely denied. Regarding whether Tulsi dictated any report in which they might have been implicated as well there is complete denial. Complete ignorance has been shown of the existence of the dying declaration."

* * *

"It must have taken some time for the constable to arrive at Lala Lajpat Rai Hospital and even if the clock at the Police Station was faster than the clock at the Hospital the arrival of the constable at the hospital could not be 7 p.m."

* * *

"There is one more piece of evidence that remains to be dealt with. After the assailant Laxmi Narain ran out of the Ranika Baghicha and entered the Gaushala, he is supposed to have jumped into the compound of Sri H. K. Srivastava where he was caught by Deo Dutt and Bachau peon. The Police caught him there and brought him to the Police Station. Deo Dutt and Bachau are supposed to be two witnesses being P. W. 7 and 8 respectively by whom the arrest of Laxmi Narain was made and Laxmi Narain is even supposed to have asked them to let him go as he had run away after stabbing some one and people were after him. This is a sort of an admission on which reliance has been placed by the prosecution. This Bachau is son of Deota Din and his statement is supposed to have been recorded by the Investigating Officer during the course of investigation. But the person whose statement the Investigating Officer actually recorded is Bachu son of Data Din. It cannot, therefore, be said that Bachau son of Deota Din is the same person who was supposed to be one of the persons before whom the admission was made and whose statement the Investigating Officer is supposed to have recorded without delay. This evidence also thus becomes unreliable."

* * *

It is unfortunate that such a cold blooded murder in which the culprits should be punished with extreme penalty of death should go unpunished.

"But the way investigation has been done in this case where truth is so badly intermingled with falsehood that it is impossible to separate grain from the chaff with the best possible effort, has left the court helpless in the matter."

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३७ पर)

सूची

१—जिप फास्टनर्स,
२—प्रेस तथा नाइलान के बटन,
३—ताले,
४—नाप जोख तथा गणित के यंत्र,
५—काँच के खिलौने,
६—लालटेन तथा बरनर,
७—सिलाई की मशीन तथा उसके पुर्जे,
८—साइकिल की तीलियाँ तथा फ्रिव्हील,
९—रेफ्रीजीरेटर तथा उसके पुर्जे,
१०—स्टील के बने हुये नापने के फीते,
११—कागज बनाना,
१२—गन्ना पेरने की मशीन,
१३—फाउन्टेनपेन बनाना,
१४—लकड़ी के फ्रेम वाली स्लेट तथा उन पर लिखने वाली पेंसिल,
१५—बिजली का सामान,
१६—डिजिल आयल से चलने वाली इंजिन,
१७—खेल कूद का सामान बनाना,
१८—दाढ़ी बनाने के लिये ब्लेड्स,
१९—चित्रकारी का सामान,
२०—टीन की बाल्टियाँ बनाना,
२१—आलपीन बनाना,
२२—कटीले तार बनाना,
२३—मिट्टी के तेल से जलने वाले चूल्हे,
२४—खेती तथा बागवानी के औजार,
२५—छाते की छड़ियाँ,
२६—सिगरेट लाइटर,
२७—बैटरीज,
२८—बिजली के पंखे,
२९—प्लास्टिक तथा पोलीथीन के थैले,
३०—वार्निश,
३१—नाइट्रिक एसिड बनाना,
३२—प्लास्टिक के खिलौने तथा अन्य वस्तुयें,
३३—चमड़े का सामान,
३४—फल संरक्षण,
३५—जूतों की पालिश बनाना,
३६—दियासलाई,
३७—कपूर बनाना ।

अमर प्रकाशन विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३९ पर)

श्री रक्षपाल सिंह एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर में उल्लिखित यूनियन की मांगों की सूची

(१) मिल के सभी श्रमिकों को (क्लर्क्स तथा वाच एन्ड वार्ड को मिलाकर) ४ मास का वेतन १९६०–६१ के साल के बोनस के रूप में दिया जाये ।

(२) कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के आंकड़ों के आधार पर सभी श्रमिकों को महंगाई भत्ता दिया जावे ।

(३) मिल के लिपिकों तथा अस्थाई श्रमिकों के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी को जाड़े तथा गर्मियों की वर्दी हर साल दी जावे ।

(४) चौकीदारों तथा पल्लेदारों को बरसाती कोट दिये जावें ।

(५) सभी अस्थाई श्रमिकों को स्थाई किया जावे ।

(६) सब चपरासियों को छाता दिया जावे ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ और ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

प्रश्न संख्या ८२ से संबंधित सूचना

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	थाने का नाम	गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या
१	फर्रुखाबाद	१३२
२	फतेहगढ़	३९
३	राजेपुर	४३
४	कमालगंज	६५
५	मोहम्दाबाद	५७
६	छिबरामऊ	८६
७	नवाबगंज	२९
८	शमसाबाद	५४
९	कायमगंज	९२
१०	कम्पिल	२२
११	गुरसहायगंज	१०८
१२	इन्दरगढ़	३६
१३	ठठिया	२३
१४	कन्नौज	१०१
१५	सौरिख	३२
	योग ..	९१९

संसद पुस्तकालय पटना

प्रश्न संख्या ८४ से संबंधित सूचना
तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	थाने का नाम		डकैती १९६१		डकैती, १९६२ (१५ सितम्बर तक)		कत्ल १९६१		कत्ल १९६२ (१५ सितम्बर तक)	
			डकैती की संख्या	मुकदमों की संख्या जो चलाये गये	डकैती की संख्या	मुकदमों की संख्या जो चलाये गये	कत्ल की संख्या	मुकदमों की संख्या जो चलाये गये	कत्ल की संख्या	मुकदमों की संख्या जो चलाये गये
१	फर्रुखाबाद	..	—	—	३	२	८	८	९	८
२	फतेहगढ़	..	१	—	१	—	४	२	३	१
३	कन्नौज	..	६	४	७	५	४	३	७	३
४	ठठिया	..	२	२	५	५	२	२	१	१
५	इंदरगढ़	..	२	२	४	१	४	१	२	१
६	सौरिख	..	५	३	६	३	२	—	१	१
७	गुरसहायगंज	..	३	१	८	५	६	२	४	२
८	छिबरामऊ	..	५	५	७	३	५	४	५	१
९	कमालगंज	..	२	—	४	२	२	२	३	२
१०	कायमगंज	..	५	४	१	१	६	४	६	२
११	कम्पिल	..	५	४	५	५	३	२	४	१
१२	नवाबगंज	..	५	३	७	१	६	५	५	२
१३	शमशाबाद	..	२	१	३	—	३	१	४	१
१४	मुहम्मदाबाद	..	४	३	३	१	३	२	२	१
१५	राजेपुर	..	२	२	३	२	३	२	१	१
	योग	..	४९	३४	६७	३६	६४	४०	५७	२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १४ वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री रतीपाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर से संबंधित सूची

क्रम-संख्या	नाम	अनुदान की धनराशि
		रु०
१	श्री शिवभजन, पितम्बरपुर	२००
२	श्री राम लखन, बैंतो	२००
३	श्री भीम शंकर त्रिवेदी	२५०
४	श्री हरी राम प्रसाद श्रीवास्तव	२५०
५	गृह उद्योग सहकारी समिति, सूदन खेरा	२,०००
६	चर्मकला औद्योगिक सहकारी समिति लि०, मनेहरू ..	२,०००
७	ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति लि०, जलालपुर ..	१,२००
८	ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति लि०, थुलरई ..	१,२५०
९	ग्रामीण तेल उद्योग सहकारी समिति लि०, गल्लामन्डी ..	७५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर)

एक पावरलूम लगाने व उसके चलाने के लिये अनुमानित धन की आवश्यकता

	रु०
१—एक पावरलूम, मोटर, स्विच स्टार्टर मय सेल्स वैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फ्रेट इत्यादि तथा पावरलूम पर लगभग खर्च ..	२,९४०
२—बिजली लगाने में खर्च	३००
३—लूम के अन्य सामान पर खर्च	२००
४—जमीन खरीदने व भवन निर्माण पर खर्च	१,०००
योग ..	४,४४०

वर्किंग कैपिटल प्रति पावरलूम, प्रति महीने के लिये प्रतिदिन दो पाली चलाने के आधार पर

	रु०
१—ताना सूत का दाम	७७४.४०
२—ताना सूत का दाम	५६४.४५
३—बिजली पर खर्च	३९.००
४—मजदूरी बुनकरों को	७८.००
५—मरम्मत व पुर्जों का बदलना	१२.५०
६—प्रबन्ध पर खर्च	३०.००
योग ..	१,४९८.३५

विधान सभा सचिवालय

मत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५९ पर)

चमोली जिले में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची—

१—ऊन योजना:

(१) ऊन की धुनाई, ऊनी वस्त्रों की धुलाई व उन्हें अच्छा रूप देने की मशीन (Carding and Finishing Plant)

(२) १४ जल चर्खा केन्द्र

(३) दो ऊन उपयोग बढ़ाने के केन्द्र

(४) चार सचल रंगाई केन्द्र

(५) एक बिक्री केन्द्र

२—लड़कियों को सिलाई तथा मोजे आदि बनाने की शिक्षा देने का एक केन्द्र ।

३—एक लकड़ी के सामान बनाने का उत्पादन केन्द्र ।

४—एक रिंगाल उपयोग केन्द्र ।

५—स्त्रियां को कढ़ाई, बिनाई, शालबिनाई व गलीचा बनाने की शिक्षा देने के पांच केन्द्र ।

६—घरेलू उद्योग धंधों के लिये जनता को उचित ऋण व अनुदान देने की योजना ।

७—औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचित छात्रवृत्ति देने की योजना ।

८—दो जड़ी बूटी के उत्पादन फार्म ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थियां

नत्थी 'ड'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१ पर)

Details of Financial Assistance received by Industrial Central Weavers Co-operative Union Ltd., Maghar

Year	Subsidy for								Grant for							
	Establishment expenditure	Installing callendering pla	Finishing Plant	Handloom workshop	Construction of Yarn Preparatory factory building	Handloom week	Power	Total subsidy	Improved appliances	Dye-house	Sale Depots	Yarn Preparatory-factory Plant	Electrification	Total Grant	Total rebate	Working Capital under Handloom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1943-44 ..	2000.00	..	..	..	..	..	..	2,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..
1950-51 ..	..	5000.00	..	..	..	..	..	5,000.00	..	..	..	..	..	..	..	..
1952-53 ..	..	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1953-54 ..	..	..	..	..	..	300.00	..	300.00	..	2,000.00	3,725.00	..	..	5,725.00	6,981.55	..
1954-55 ..	..	..	..	..	..	500.00	..	500,00	1,200.00	..	6,275.00	..	..	7,475.00	16,245.89	..
1955-56 ..	..	..	..	..	..	500.00	..	500.00	..	1,200.00	6,000.00	..	..	7,200.00	32,247.17	52,372.50
1956-57 ..	..	..	..	..	..	350.00	..	350.00	850.00	1,050.00	11,700.00	..	..	13,600.00	16,618.02	10,821.28
1957-58 ..	..	..	33,750.00	..	..	250.00	..	34,000.00	..	333.00	3,915.00	..	..	4,289.00	4,844.50	30,000.00
1958-59 ..	..	..	..	..	..	250.00	..	250.00	..	..	..	..	..	..	49,305.06	..
1959-60 ..	..	..	..	8,000.00	..	250.00	..	8,250.00	..	..	..	..	..	..	19,361.60	..
1960-61	..	..	..	..	26,000.00	200.00	..	26,200.00	1,090.00	..	..	1,29,750.00	..	1,30,840.00	5699.03	10,000.00
1961-62	..	..	..	..	..	501.91	414.63	501.91	..	..	..	..		..		
					..			414.61	..	..	..	..	500.00	500.00	3,221.53	..
Total ..	2,000.00	5,000.00	33,750.00	8,000.00	26,000.00	3,101.91	414.63	78,266.54	3,140.00	4,583.00	31,615.00	1,29,750.00	500.00	1,69,588.00	1,54,524.38	1,93,193.7

N.B.—Besides, loan of Rs.3,10,000 for powerlooms, loan of Rs.1,24,000 for working capital under powerlooms, loan of Rs. 18,600 for electrification and grant of Rs. 6,200 for power-co n

ABSTRACT

		Rs.
1.	Subsidy	78,266.54
2.	Grant	1,69,588.00
3.	Rebate	1,54,524.38
4.	Loan	3,59,443.78
	GRANT TOTAL	7,61,822.70 n.P.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७९ का उत्तरपीछे पृष्ठ ६६२ पर)

अतारांकित प्रश्न ७९

APPENDIX "A"

List of Industrial units of Agra allotted coal during 1961-62 *and 1962-63.*

1. Messrs. National Iron Foundry, Motilal Nehru Road, Agra.
2. ,, Raj Iron Foundry, Sultanganj, Agra.
3. ,, Ram Krishna Iron Foundry, Sultanganj, Agra.
4. ,, Gulab Rai Chhotey Lal Pathwari, Belanganj, Agra.
5. ,, Malloomal Ram Pd. Iron Foundry, Lane Gaushala, Belanganj, Agra.
6. ,, B. C. Iron Foundry, Sultanganj, Agra.
7. ,, Debi Sahai Gopaldas Iron Foundry, Belanganj, Agra.
8. ,, Jack Centrifugal Casting and Engg. Works, Neem Darwaja, Dulliganj, Agra.
9. ,, Krishna Iron Foundry, Guarikunj, Freeganj, Agra.
10. ,, Kashi Iron Foundry, Freeganj Road, Agra.
11. ,, Randhir Singh Khub Chand Iron Foundry, Mastki Baghicha, Agra.
12. ,, Moti Lal Agarwal & Co., Freeganj, Agra.
13. ,, Bansal Iron Foundry, near Rly. Goods Shed, Belanganj, Lane Gaushala, Agra.
14. ,, Prabhat Iron Foundry, Freeganj Road, Agra.
15. ,, K. R. Sharma Iron Foundry, Belanganj, Pathwari, Agra.
16. ,, Rejendra Sanitary Fittings, Freeganj, Agra.
17. ,, S. K. Iron Foundry and Engineering Co., Rambagh, post office Yamuna Bridge, Agra.
18. ,, Indian Iron Foundry, Sultanganj, Agra.
19. , Hira Lal Moolchand, Freeganj Road, Agra.
20. ,, Shree Ganesh Iron Foundry, Freeganj Road, Agra.
21. ,, Chandaulia, Bros., 1073, Pathwari, Belanganj, Agra.
22. ,, Krishna Iron Works, Peepal Mandi, Agra.
23. ,, National Engineering Corporation, C.R. Oil MillsBuilding, Agra.
24. ,, Raj Moulding Works, Freeganj Road, Agra.
25. ,, Arbaria Malleable Industries, 3276, Gudri Mansur Khan, Agra.
26. ,, Om Iron Foundry, Pathwari, Belanganj, Agra.
27. ,, Agarwal Tin Manufacturing Co., & Engineering Works, Sultanganj, Agra.
28. ,, Agra Iron Founders Association, G. G. Industries, post office, Agra.
29. ,, Artex Iron & Steel Co., Laxmi Mills Building, Jeoni Mandi, Agra.
30 ,, Anand Centrifugal Casting Works, Puranchand Building, Lane, Guashala, Belanganj, Agra.

31. Messrs. Dinesh Iron Foundry, 1930, City Station Road, Agra.
32. ,, Universal Steel Industries, Gudri Mansoor Khan, Agra.
33. ,, Jain Iron Works, 5228, City Station Road, Agra.
34. ,, Bansal Metal Works, Chhipitola Road, Agra.
35. ,, Standard Steel & Iron Foundry Belanganj, Laxmi Mills Building, Jeoni Mandi, Agra.
36. ,, Syam Metal Works, 2743, Dhulliaganj, Agra.
37. ,, Jain Wire Factory, 3143, Bara Tola Ram, Lohamandi, Agra.
38. ,, India Liners, 6037, Chhipi Tola, Agra.
39. ,, Jagannath Diwanchand Jain, Freeganj, Agra.
40. ,, .U. P. Iron Foundry, 2671, Pathwari, Agra.
41. ,, Girdhar Gopal Tin Factory, Belanganj, Agra.
42. ,, Gulabchand Chhoteylal, Freeganj, Agra.
43. ,, Agra Printing Machine and Tools Manufacturing Company, Mahabir Nagar, Agra.
44. ,, Standard Engineering Corporation, Ginning Factory Building, Land Gaushala, Pathwari, Agra.
45. ,, Metal Press Works, Freeganj, Agra.
46. ,, Indian Casting Company, Kandhari, Road, near Billochpura Railway Station, Agra.
47. ,, J. G. Industries, 1425, Jeoni Mandi, Agra.
48. ,, Nav Prabhat Engineering Works, 1965, Freeganj, Agra.
49. ,, Indian Metal Industries, 2273, Moti Katra, Agra.
50. ,, Shree Raj Kumar Iron Foundry, Laskarpur, post office Jaganpur, Agra.
51. ,, Amalgamated Industries, G. P. O. Crossing, Firozabad.
52. ,, The Agra Metal Works,, Shahgunj, Agra.
53. ,, Swatantra Bharat Iron Foundry, Narain Bhawan, Motilal Nehru Road, Agra.
54. ,, Jain Nagar & Co., (P) Ltd., 5534, Khattipara, Lohamandi, Agra.
55. ,, The Popular Cycle Manufacturing Co., Ltd., Ram Bhawan, Belanganj, Agra.
56. ,, Jain Engineering Works, Pratap Pura, Agra.
57. ,, S. S. Iron Foundry, Rambagh, Agra.
58. ,, Sunrise Engineering Works, Yamuna Bridge, Agra.
59. ,, Mahajan Iron Foundry, P. B. No. 54, Opp. Billochpura Railway Station, Khandari, Agra.
60. ,, Narain Singh Babulal Iron Foundry, Behind Lohamandi Police Station, Agra.
61. ,, Nutan Engineering Mfg. 2991, Khari Khan, Hospital Road, Agra.
62. ,, Sri Jagdamba Iron Foundry, Pathwari, Agra.

63. Messrs. Democo Engineers and Manufacturers, Dar Building, Chilli Int. Road, Agra.
64. ,, The Indian Iron Industries, 918, Belanganj, Agra.
65. ,, Quality Manufacturers, Gandey-ki-Basti, Lohamandi, Agra.
66. ,, Agra Cycle Udyog Sahkari Samiti, Peapul Mandi, Agra.
67. ,, Mahabir Engineering Works, 62, Industrial Estate, Agra.
68. ,, Tar-kar-Bar, 53, Industrial Estate, Agra.
69. ,, Universal Electrical Industries, 89, Industrial Estate, Agra.
70. ,, M. S. C., Engineering, Works, 7, Industrial Estate, Agra.
71. ,, Khandelwal Industrial Corporation, 72, Industrial Estate, Agra.
72. ,, Upper India Cable Co., Moti Katra, Agra.
73. ,, Universal Electrical and Mechanical Workshop, Hing Ki Mandi, Agra.
74. ,, Bharat Iron Foundry, Moti Katra, Agra.
75. ,, Jagdish Metal Works, 5496, Katghar, Lohamandi, Agra.
76. ,, Mannoomal Laxmi Narain Iron Foundry, 5170, Katra Wazir Khan, Agra.
77. ,, Agra Metal Industries 48, Subhash Bazar, Agra.
78. ,, Manickson Industrial Corporation, Hari Bhawan, Nala Bheron, Agra.
79. ,, Bartan Grih Udyog Sahkari Samiti Ltd., Gokulpura, Agra.
80. ,, Ferrous and Non-Ferrous Foundry Industries, 77, Industrial Estate, Agra.
81. ,, Printing Machine Manufacturing Co., no. 1 Industrial Estate, Agra.
82. ,, Bharat BISWAS Industries, 47, Industrial Estate Agra.
83. ,, Mercury Desels, 75, Industrial Estate, Agra.
84. ,, Jain Metal Industries, 1048, Lane Guashala, Agra.
85. ,, Vishnu Iron Foundry, Chiman Lal Road, Freeganj, Agra.
86. ,, Gopal Iron Foundry, 1012, Nala Bhairon, Belanganj, Agra.
87. ,, Agra Steel and Iron Foundry, 2466, Jawahar Nagar, near Belanganj Agra.
88. ,, Bharat Iron & Steel Foundry, Katra Wazir Khan, Agra.
89. ,, Shri Bajrang Iron Foundry, 2472, Haveli Bahadur Khan, Maharshi Shri Dayanand Marg., Agra.
90. ,, Madan Machine Tools Co., Moti Lal Nehru Road, Agra.
91. ,, Peekey Industries, Rucka Wali Gali, Noorigate, Agra.
92. ,, Jamuna Industrial Corporation, Haveli Bahadur Khan, Pathwari, Agra.
93. ,, Agarwal Brass & Iron Foundry, Belanganj, Agra.
94. ,, Shree Kela Maharani Brass & Iron Foundry, Luskanpur, post office, Jaganpur, Agra.
95. ,, Shyam Metal Works, Yamuna Bridge, Station Road, Agra.

96. Messrs. Laxmi Iron Foundry, Nawabganj, Jamuna Par, Agra.
97. ,, Rajkamal Iron Foundry, Mathura Road, Agra.
98. ,, Shirdanwal Industries, Mansha Debi, Rajamandi, Agra.
99. ,, Babulal Iron Foundry, Kala Bheron, Belanganj, Agra.
100. ,, Agarwal Indl. Corpn, Nagla Boolchand, P. O. Jamuna Bridge, Agra.
101. ,, Associated Industrial Corporation, 1278, Beron, Belanganj, Agra.
102. ,, Atul Engineering Works, 1251, Belanganj, Agra.
103. ,, Nemichand Gulabchand & Bros., Hakla Madan, Naiki Mandi, Agra.
104. ,, Ampee Corporation, 67, Kandhari Road, Agra.
105. ,, Girdhari Lal Tej Pal Iron Foundry, 71, Industrial Estate, Agra.
106. ,, Dehari Iron Krasianter Udyog Sahkari Samiti Ltd., Jagner, district Agra.
107. ,, National Wire & Iron Foundry, Sultanganj, Agra.
108. ,, New Ambika Iron Foundry, Rambagh, post office, Jamuna Bridge, Agra.
109. ,, Vijay Trading Co., 1410, Jeoni Mandi, Agra.
110. ,, Jai Ganga Iron Foundry, Bagh Muzaffar Khan, Agra.
111. ,, Goel Industries, Mon Bhawan, 3681, Sultanganj, Agra.
112. ,, V. N. Industries, opposite Arya Samaj Mandir, Freeganj, Agra.
113. ,, Basant Lal Metal & Co., 49, Industrial Estate, Agra.
114. ,, Dhurva Metal Industries, 15, Industries Estate, Agra.
115. ,, Atlas Engineering Works, 61, Industrial Estate, Agra.
116. ,, Chandra Engineering Corporation, 68, Industrial Estate. Agra.
117. ,, Tandon Engineering & Manufacturing Works, 16, Industrial Estate, Agra.
118. ,, G. M. Auto Engineering Works, 18, Industrial Estate, Agra.
119. ,, Mehra Casting Works, 32, Industrial Estate, Agra.
120. ,, Ratan Diesels, 1011/1, Belanganj, Agra.
121. ,, Refugee Trunk & Bucket Industrial Co-operative Society,, Lohamandi, Agra.
122. ,, Ratan Chand Rikab Das Jain, Freeganj Road, Agra.
123. ,, Ajudhya Prasad Ram Prasad, Iron Foundry, Katra Wazir Khan, Agra.
124. ,, Suresh Iron Foundry, Hanuman Road, Agra.
125. ,, Hanley Burlington Industries, Chaman Lal Bansal Road Agra.
126. ,, Jain Metal Works & Brassware Rolling Mills, Freeganj, Agra.
127. ,, Mazdoor Iron Foundry, Moti Lal Nehru Road, Yamuna Kinara, Agra.

128. Messrs. Bansidhar Sumer Chand & Co., Belanganj, Agra.
129. ,, Model Industries (P) Ltd., Dayalbagh, Agra.
130. ,, Alloy Founders, Jeoni Mandi, Agra.
131. ,, Bright Industries Corporation, 131,,Industrial Estate, Agra.
132. ,, C. .O. Iron Foundry, Belanganj, Agra.
133. ,, Eastern Steel & Iron Foundry, 3953, Ratanpura, Agra.
134. ,, National Wire Works Iron Foundry, 4341, Vijai Nagar Colony, Agra.
135. ,, Shiv Shakti Brass and Iron Foundry, Gopal Bhawan, Yamuna Kinara, Agra.
136. ,, Pramod Manufacturing Industries, Agra.
137. ,, Hindustan Casting Corporation, 2002, Chimanlal Road, Freeganj, Agra.
138. ,, Dayal Bagh Tannery, Dayal Bagh, Agra.
139. ,, The Diary Manager, Government Dairy, Agra.
140. ,, The General Managar, R.E.I. Diary, Dayal Bagh, Agra.
141. ,, Johns Roller & Flour Mills, Agra.
142. ,, Om Rice and Dail Hills, Ram Bagh Road, Yamana Bridge, Agra.
143. ,, K. G. Industries, Madhurgate, Belanganj, Agra.
144. ,, B. P. Oil Mills, Jamuna Birdge, Maithan, Agra.
145. ,, G. R. Oil Mills, Pt., Moti Lal Nehru Road, Agra.
146. ,, C. R. Oil Mills, Pt. Moti Lal Nehru Road, Agra.
147. ,, Arjun Oil Mills, Belanganj, Agra.
148. ,, Jeomal Issardas Oil Mills, Belanganj, Agra.
149. ,, Sri Narain Oil Mills, Belanganj, Agra.
150. ,, Bankey Lal Oil Mills, Mastki Baghicha, Agra.
151. ,, H. B. Oil Mills, Panchkuin Road, Agra.
152. ,, Agrawal Oil Mills, Pt. Moti Lal Nehru Road, Agra.
153. ,, Jai Bharat Mills, Surajban Road, Belanganj, Agra.
154. ,, Madhusudan Oil Mills (P) Ltd., Moti Lal Nehru Road, Agra.
155. ,, Iswar Oil Mills, 1652, Jamuna Bridge, Agra.
156. ,, O. P. Oil Mills, Jamuna Bridge, Agra.
157. ,, Govind Oil Mills, 3500, B. M. Khan, Agra.
158. ,, Anand Oil Mills, Freeganj, Agra.
159. ,, Amrit Oil Mills, opposite. Ram Bagh Bridge, Agra.
160. ,, Jai Bharat Oil Co., Firozabad, Agra.
161. ,, P. K. Solvent Extraction and Manure Industries, Jamuna Bridge, Agra.
162. ,, Jain Oil Mills, Seth Gali, Agra.
163. ,, Mahabir Glass and Silicate Works, Yamuna Road, Agra.

164. Messrs. National Glass, Silicate & Chemical Works, Freeganj, Agra.
165. ,, Laxmi Chand Ram Sahai, Firozabad, district Agra.
166. ,, Surya Chemical Works, Railway Road, Firozabad, district Agra.
167. ,, J. G. Industries, 1425, Jeoni Mandi, Belanganj, Agra.
168. ,, Sheo Scientific & Chemicals, 47, Vijai Nagar Colony, Agra.
169. ,, Biological Products Ltd., Badla, Agra.
170. ,, Raja Chemical Works, Firozabad, Agra.
171. ,, Ghanshyam Chemical Industries, Nai Basti, Firozabad, district Agra.
172. ,, Promod Chemical Industries Nai Basti, Firozabad, district Agra.
173. ,, Shanker Chemical Industries, Firozabad, district Agra.
174. ,, Shri Krishna Trading Co., Station Road, Firozabad, district Agra.
175. Ganga Silicate Works, Firozabad, Agra.
176. ,, Dayal Bagh Pharmaceutical Works, Dayal Bagh, Agra.
177. ,, Agra Rubber Industries, Lohamandi, Shahganj Road, Agra
178. ,, K. K. Rubber Industries, Agra.
179. ,, Kanhaiya Ice Factory, Bheron Belanganj, Agra.
180. ,, Madan Mohan Dhamma Mal (P) Ltd., Kotla Road, Firozabad, district Agra.
181. ,, Shri Mithan Lal Agency Ice Factory, Belanganj, Agra.
182. ,, Bansidhar Shyam Beharilal Garg, Firozabad, Agra.
183. ,, Jain Class Works (P) Ltd., Harangau (H. Q. Firozabd).
184. ,, C. B. Glass Works, Etmadpur, (H. Q. Firozabad).
185. ,, Nav Bharat Glass Works, Firozabad.
186. ,, India Electrical Glass Works, Firozabad.
187. ,, India Optical and Scientific Glass Works, Firozabad.
188. ,, National Glass Works, Tundla.
189. ,, Suresh Thermos & Electrical Glass Industry, Firozabad,
190. ,, Bansal Electrical Industries, Firozabad.
191. ,, B. M. Glass Works, Firozabad.
192. ,, Ruby Novelties Glass House, Firozabad.
193. ,, Chandra Bhan Anil Kumar Glass Works, Firozabad.
194. ,, Ashok Glass Works, Firozabad.
195. ,, Gopinath Glass Works, Firozabad.
196. ,, Agra Glass Works, Agra.
197. ,, National Glass Works, Firozabad.
198. ,, Guruji Glass Works, Firozabad.
199. ,, Amar Glass Works, Firozabad.
200. ,, Dixit Glass Works, Firozabad.

201. Messrs. Flower Glass Works, Firozabad.
202. „ Devi Sahai Glass Works, Firozabad.
203. „ Decent Glass Works, Firozabad.
204. „ Shanker Novelties Glass Industries, Firozabad.
205. „ Singhal Glass Works, Firozabad.
206. „ A. B. Glass Factory, Firozabad.
207. „ Modern Glass Works, Firozabad.
208. „ Diamond Glass Works, Firozabad.
209. „ Standard Glass Bead Factory, Firozabad.
210. „ J. P. Glass Industry, Firozabad.
211. „ Indian Art and Glass Industries, Firozabad.
212. „ Mohd. Yakub Co., Firozabad.
213. „ United Bead Manufacturing Works, Firozabad.
214. „ Panchsheel Bend Industry, Firozabad.
215. „ Advance Glass Works.
216. „ Commercial Glass Works No. 1.
217. „ Shree Satyanarain Glass Works.
218. „ Amrit Glass Works.
219. „ Muslim Glass Works.
220. „ Shri Govind Glass Works.
221. „ Sri Mohan Glass Works.
222. „ Shri Vijai Glass Works.
223. „ Central Sabri Glass Works.
224. „ Gopal Glass Works, No. 2.
225. „ Sri Nanak Glass Works.
226. „ Mirza Glass Works.
227. „ Oriental Glass Works.
228. „ Adarsh Glass Works.
229. „ Sri Krishna Glass Works.
230. „ Hoderia Block Glass Works.
231. „ Ramlal Har Pd. Chaubey Glass Works.
232. „ Bharat Glass Works.
233. „ Sri Durga Glass Works.
234. „ Ahbab Glass Works.
235. „ Mahadeo Piple Factory.
236. „ Gauri Shanker Ram Gopal Glass Works.
237. „ Madanlal Ram Swarup Glass Works.
238. „ Sri Rama Glass Works.
239. „ Hailey Glass Works.
240. „ Bhoore Khan Glass Bangle Factory.
241. „ Munshilala Beniram Jain Glass Works.
242. „ Sri Radha Glass Works.

243. Messrs Sri Ganga Glass Works.
244. ,, Sri Parashnath Glass Works.
245. ,, Mathur Glass Works.
246. ,, Irfan Glass Works.
247. ,, Sharif Adil Khan Shafiq Adil Khan Glass Works.
248. ,, Manohar Glass Works.
249. ,, Damma Mal Mannumal Glass Works.
250. ,, L. Girdharilal Manoharlal Glass Works no. 2.
251. ,, Hanuman Block Glass Works.
252. ,, Laxmi Glass Works.
253. ,, Sri Shiva Glass Works.
254. ,, Girdhari Manohar Lal Glass Works.
255. ,, Nadir Bux & Co., Glass Works.
256. ,, Sri Prem Glass Works.
257. ,, Ram Hari Har Glass Works.
258. ,, Star Glass Works.
259. ,, Haji Glass Works.
260. ,, Haji Sadhullah Shahbuddin Glass Works.
261. ,, Himalaya Glass Works.
262. ,, Rustam Glass Works.
263. ,, Golden Glass Works.
264. ,, Hindu Glass Works.
265. ,, Bishambhar Glass Works.
266. ,, Sarojini Naidu Glass Works.
267. ,, Madhav Glass Works.
268. ,, Vaish Glass Works.
269. ,, Sharda Glass Works.
270. ,, Gopal Glass Works no. 1.
271. ,, Girdhari Glass Works.
272. ,, Jagdamba Glass Works.
273. ,, Coronation Glass Works.
274. ,, Friends Glass Works.
275. ,, Madina Glass Works.
276. ,, Gadri Glass Works.
277. ,, Shanker Glass Works.
278. ,, Kamla Glass Works.
279. ,, Vishwanath Glass Works.
280. ,, Mahabir Glass Works.
281. ,, Jagdish Glass Works.
282. ,, Raja Glass Works.
283. ,, Waris Glass Works.
284. ,, Welcome Glass Works.

विधान सभा

285. Messrs. New Agarwal Glass Works.
286. ,, Narain Glass Works.
287. ,, Sikandar Bux Nadir Bux Glass Works.
288. ,, Sant Glass Works.
289. ,, Indian Ceramic House, Agra .
290. ,, Lovely Ceramic House, Firozabad.
291. ,, Sunny Potteries, Firozabad.
292. ,, Sarim Textile Mills, 147, Civil Lines, Agra.

APPENDIX "B"

Name of the Industrial Units which remained closed during the years 1961-62 and 1962-63

1. Meesrs. Krishna Iron Works, Peepal Mandi, Agra.
2. ,, Jain Nagar & Co., Private Ltd.,
3. ,, Laxmi Iron Foundry, Nawalganj, Jamuna Bridge. Agra,
4. ,, Raj Kamal Iron Foundry, Mathura Road, Agra.
5. ,, Babu Lal Iron Foundry, Freeganj Road, Agra.
6. ,, Ratan Diesels, Belanganj, Agra.
7. ,, Ayodhya Prasad Ram Pd. Iron Foundry, Katra Wazir Khan, Agra.
8. ,, Agra Metal Industries, Rambagh, Agra.
9. ,, Bharat Iron and Steel Foundry, Katra Wazir Kan, Agra.
10. ,, Madan Machine and Tools, Motilal Nehru Road, Agra.
11. ,, A. K. Industries, Noorigate, Agra.
12. ,, Agarwal Brass and Iron Foundry, Belanganj, Agra.
13. ,, National Wire and Iron Foundry, Vijay Nagar Colony Agra.
14. ,, Madan Mohan Dhamma Mall, Oil and Ice Mills, Firozabad.
15. ,, Madhusudhan Oil Mills, Motilal Nehru Road, Agra.
16. ,, Savitri Glass Works, Firozabad.

Name of the Industrial unit which remained closed during 1962-63 only

17. Messrs. M. B. Industries, Freeganj Road, Agra.
18. ,, Gopal Iron Foundry Belanganj, Agra.
19. ,, Jamuna Industries Corporation, Agra.
20. ,, Agarwal Industries Corporation, Nagla Balchand, Agra.
21. ,, New Agarwal Glass Factory, Firozabad, Agra.
22. ,, Ashoka Glass Works, Firzoabad, Agra.
23. ,, Guruji Glass Works, Firozabad, Agra.
24. ,, Amar Glass Works, Firozabad, Agra.
25. ,, Flower Glass Works, Firozabad, Agra.
26. ,, Devi Sahai Glass Works, Firozabad, Agra.
27. ,, Shanker Novelties Glass Industries, Firozabad, Agra.
28. ,, Singhal Glass Works, Firozabad, Agra.
29. ,, A. B. Glass Works, Firozabad, Agra.
30. ,, Atlas Engineering Works, Firozabad, Agra.
31. ,, Chandra Engineering Coporation, Industrial Estate, Agra.
32. ,, Mehra Casting Works, Industrial Estate, Agra.

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६३ पर)

(१-३-६२ से ३१-७-६२ तक जिला उद्योग कार्यालय, सहारनपुर में प्राप्त ऋण के प्रार्थना पत्रों की सूची)

क्रम-संख्या	नाम तथा पता
१	श्री जगदीश प्रसाद, मो० लालापार, सहारनपुर
२	,, सरवनसिंह ग्राम तथा पो० लखनौती
३	,, मूलचन्द, जाटव नगर, सहारनपुर
४	,, बनारसी दास शर्मा, रानीपुर
५	,, फकान अहमद, ग्राम तथा पो० लखनौती
६	,, अब्दुल रहमान, मो० शोराजान
७	,, इकरामउलह मो० शोराजान
८	,, धर्म देव गुप्ता, मो० तथा पो० खेडाअफगान
९	,, मो० असलम मो० सराय टोपिया
१०	,, निसार अली, पो० बेरट
११	,, जहूर अहमद, पो० बेरट
१२	,, बशीर अहमद, मो० हरनमारान
१३	,, लिखरोड अली विपरित, बिजली सप्लाई कं०
१४	,, सुमेर चन्द, ग्राम औजारा, पो० संसारपुर
१५	,, शमशुद्दीन, पक्का बाग
१६	,, हाजी मो० इशहाक, पो० दाइद सरा०
१७	,, मो० रमजान, मो० टोलीलाल
१८	,, जय भगवान स्वरूप जैन, गली दीनानाथ
१९	,, शमगद अहमद, मो० शाहमदार
२०	,, कैलाश चन्द्र अस्थाना, पो० खोड़ा मुगुल
२१	,, जीवन लाल चोपड़ा की कालौनी
२२	,, कुन्दन लाल, मो० रामनगर
२३	,, अमरनाथ, नुमाइश कैम्प
२४	,, जमील अहमद, मो० अहवासा
२५	,, औतार रहमान, पो० कोरी टिल्ला
२६	,, सुदर्शन देव गुप्ता, प्रो० निव इन्डस्ट्रीयल एन्ड पक्का बाग
२७	,, मुंशी राम, जावनगर
२८	,, शमीर अहमद, मो० साहविलौल सहारनपुर

क्रम-संख्या	नाम तथा पता
२९	श्री मक्खन सिंह, अम्बाला रोड
३०	,, शुगन चन्द, अम्बाला रोड
३१	,, जहीर अहमद, मो० भोटावाला
३२	,, रामरतन, ग्राम तथा पो० बड़गांव
३३	,, मेलाराम, मैनी
३४	,, राम दास, ग्राम छुटमलपुरा
३५	,, हुकुम चन्द, बुढ़िया गेट
३६	,, प्रकाश चन्द, स्थान व पो० तोतरी
३७	,, सुखदेव गर्ग, अगीह
३८	,, नथासिंह, मो० जाटवनगर
३९	,, दीपचन्द, मो० चौधरीयान
४०	,, मुरारीलाल आनन्द प्रकाश, मगलौर
४१	,, मनोहरलाल गुलाटी, २३ ए, रामनगर, रुड़की
४२	,, चमन लाल, गगीह
४३	,, मो० अहमद, सराय गरीवान
४४	,, सचेत सिंह, नारसन क्ला
४५	,, विनोद प्रकाश, मो० कायस्थान
४६	,, गुदारशाह सूरी, लोहाबाजार
४७	,, बलजीत सिंह माजरा, दारा सिनापुर
४८	,, राम चन्द्र, हसनपुर, रामपुर रोड
४९	,, राजकेशर अली, ग्राम सलेमपुर, रुड़की
५०	,, जियालाल जाटव, नगर सहारनपुर
५१	,, राम लाल, स्थान मौजीपुर, जिला सहारनपुर
५२	,, आनन्दकुमार जैन, मो० मिसुरार
५३	,, सुखराम दास, हरिद्वार
५४	,, रामआश्रय शर्मा, मो० जाफरनवाज
५५	,, अब्दुल रज्जाक, बजरान गली
५६	,, तिरशला देवी, मो० महादेव नकुड़
५७	,, कल्याण दत्त शर्मा, शारदा आश्रम, जवालपुर
५८	,, हाफिज शरीफ अहमद, मो० सेखनाजर
५९	,, मो० इसमाइल, पुल जोगियान
६०	,, दर्शनलालन, शारदानगर
६१	,, दिनेश चन्द नकुड़
६२	,, तेलधानी उद्योग, स० स० लि० नगला बुधेरी
६३	,, जिला ग्रामीण उद्योग स० स० लि०, सहारनपुर
६४	,, आयरन एन्ड स्टील मैन्यूफैक्चरिंग एन्ड ट्रेडिंग कं० पुराना मंडी
६५	,, तेल धानी उद्योग स० स० लि०, ज्वालापुर
६६	,, तेलधानी उद्योग स० स० लि०, शालीमपुर
६७	,, गुड़ खंडसारी उद्योग स० स० लि०, रणाखण्डी
६८	,, टैनर्स स० स० लि०, ज्वालापुर
६९	,, गुड़ उद्योग स० स० लि०, कपूरी गोविन्दनगर

(१-३-६२से ३१-७-६२ तक जिला सहारनपुर से ऋण के स्वीकृत किये गये गप्रार्थये पत्रों की सूची)

क्रम-संख्या	आवेदकों का नाम	उद्योगका नाम	स्वीकृत
१	२	३	४
			रु०
१	आयरन एन्ड स्टील मैन्यूफैक्चरिंग एन्ड ट्रेडिंग कं०, पुरानी मण्डी	चैफ कटर, वेल्ड व पम्प	६,०००
२	तेल घानी उद्योग स०स० लि०, ज्वालापुर	ग्रामीण तेल	५,९८८
३	तेल घानी उद्योग स० स० लि०, शलीमपुर	ग्रामीण तेल	४,५६३
४	गुड़ खांडसारी उद्योग स० स० लि०, रणखण्डी	गुड़ खांडसारी	५,७५०
५	टैनर्स स० स० लि०, ज्वालापुर	ग्रामीण चर्म उद्योग	१०,०००
	गुड़ उद्योग स० स० लि०, कपूरी गोविन्द नगर	ग्रामीण चर्म उद्योग	५,०००

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०२ एल० ए०— १९६३—८३०+(प्रो०)